खण्ड-433, अंक-3
सोमवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1922
(27 मार्च, 2000 ई0)

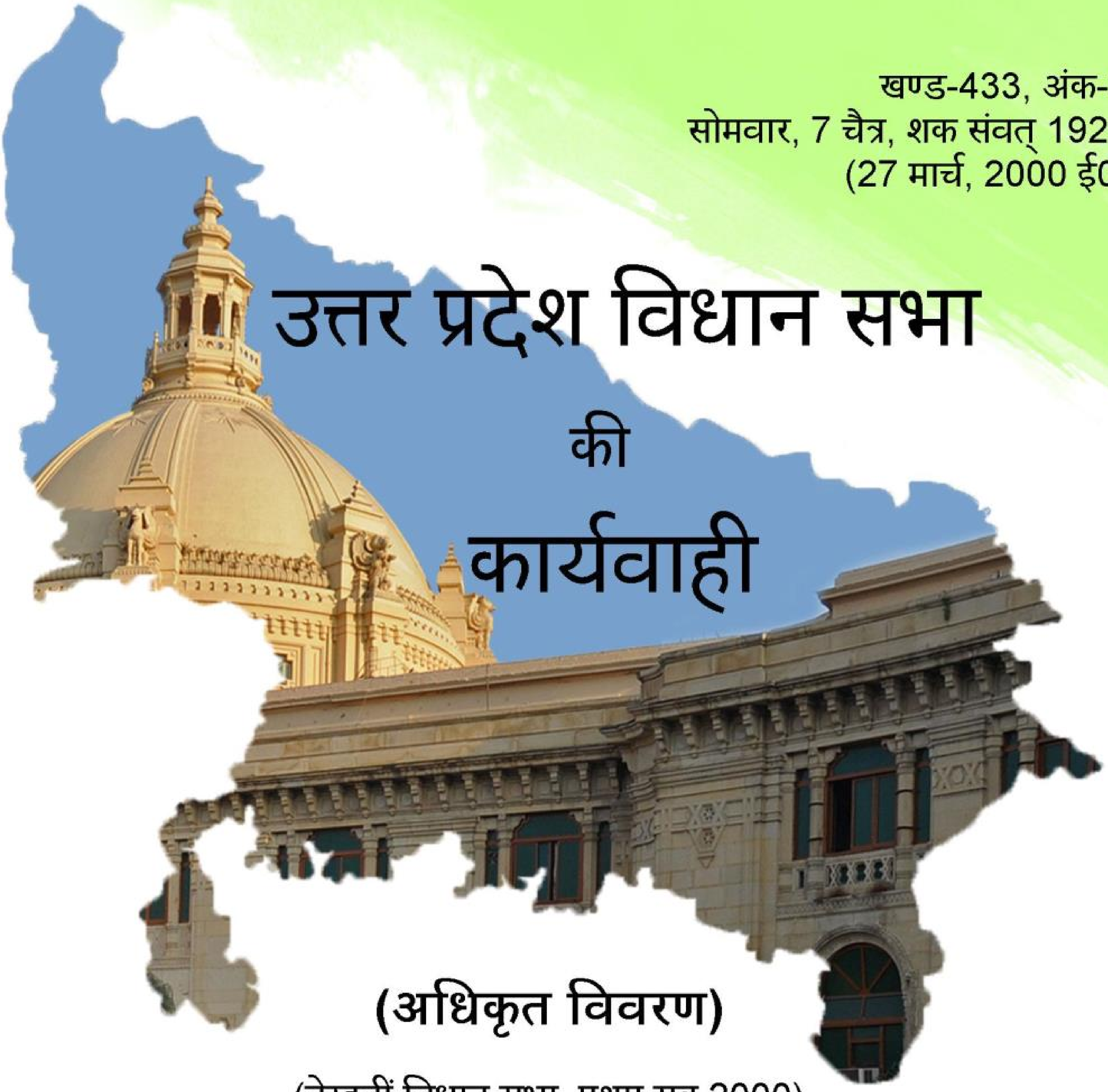

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को पुनः उठाने का प्रयास	1–2
नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर, नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से चर्चा कराये जाने की मांग (जारी) ...	2
प्रश्नोत्तर (जारी)	3
नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से चर्चा कराये जाने की मांग (जारी) ...	3–4
प्रश्नोत्तर.....(जारी)	4
नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से चर्चा कराये जाने की मांग (जारी) ...	4–6
नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 (5) के अन्तर्गत उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को उठाने का प्रयास	6–8
प्रश्नोत्तर	9–87
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना	87
वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया–जारी) ...	88–93
सदन के वेल में आये हुए सदस्यों को, "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किया जाय" सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष द्वारा चर्चा की अनुमति प्रदान न किये जाने के निर्देश ...	93
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक	94–117
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग के लिये लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया)	117–118
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 (पारित)	118–126

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	126
लोक सेवा अभिशासन और सार्वजनिक उद्यमों में सुधार हेतु शासन द्वारा बनाई गई तीन नीतियों के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	126–128
नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव को नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से लाने की मांग (जारी) ...	128–133
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर संकल्प का स्थगन	133
नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव को नियम 311 के माध्यम से उठाने की मांग	133–135
नस्थियां	136–140

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे

अजय राय, श्री	वाराणसी	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बिन्दु लाल, श्री	गोण्डा
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	मुस्लिम, डा०	रायबरेली
अमर मणि, श्री	महराजगंज	रघुराज प्रताप सिंह	
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	"राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	सर्वेश कुमार उर्फ	
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
जब नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को पुनः उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई, व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो गया ? सदन चलने दीजिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 23 तारीख को मैंने आपकी अनुमति से नियमावली के नियम–110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि "इस सदन का निश्चित मत है कि उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किया जाय" ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुज्ञा नहीं दी थी, मैंने कहा था व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । मैंने अनुज्ञा नहीं दी थी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैंने आपकी अनुमति से कहा था ।

श्री अध्यक्ष–

जब अनुमति से माननीय सदस्य उठाना चाहते है तो मैं कह देता हूं लेकिन आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मैंने नहीं दी थी । यह तब भी अनियमित था आज भी अनियमित है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस विधेयक को निरसित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी मैंने व्यवस्था दे दी यह उस दिन भी प्रस्ताव अनियमित था आज भी अनियमित है । विधान सभा ने विधेयक पारित कर दिया है, पारित होने के बाद निरसन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

एक आम सहमति बनी थी कि प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं होना चाहिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

श्रीमन् प्रस्ताव कार्यवाही का अंग बन चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(व्यवधान)

यह अनुचित बात है जब विधेयक प्रस्तुत होता है तो विधायक उसमें भाग नहीं लेते । जब पास हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि विधेयक का निरसन किया जाये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

लेकिन यह सदन की कार्यवाही का अंग बन चुका है ।

नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से चर्चा कराये जाने की मांग

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, धर्म स्थल विधेयक वापस लेने के लिए नियम–311 के अन्तर्गत हमने भेजा है कि इसको वापस लिया जाये । मेरा आपसे निवेदन है सभी नेताओं के हस्ताक्षर हैं आपने अवलोकित किया होगा, आपसे अनुरोध है सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित करके पहले इसे सुन लिया जाये । सभी विपक्षी ओं के इस पर हस्ताक्षर हैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

एक आम सहमति बनी थी कि प्रश्नकाल को होने दिया जायेगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने नेता विरोधी दल को सुन लिया है नियम 311 में अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अपरिहार्य विषय को उठाने की अनुमति मांगते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो विषय आज आपके संज्ञान में लाया गया है, अभी हमारे नेता बसपा, श्री प्रसाद मौर्य जी ने उसे नियम–110 के अन्तर्गत लेने की मांग की, नेता विपक्ष ने कहा कि नियम–311 के अन्तर्गत उन्होंने आज दिया है तथा हम लोगों ने भी उसे इसी नियम के अन्तर्गत आज उठाया है, तो मान्यवर, आज सम्पूर्ण सदन इस धर्म स्थल विधेयक पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है । इस धर्मस्थल विधेयक के पारित होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, आज जिला प्रशासन द्वारा इबादत गृहों के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा रही है.....

श्री अध्यक्ष–

हम उसके गुण-दोष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें यह आम सहमति बनी थी कि प्रश्न काल को चलने दिया जायेगा उसमें कोई व्यवधान नहीं किया जायेगा और दूसरा नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचना आयेंगी उसे मैं नियम–56 में चयनित मान लूंगा । आज नियम–56 नहीं हो रहा है तथा आज आय-व्ययक है । परसों इसकी सूचना दे दीजियेगा जिस दिन नियम–56 होगा । उस दिन मैं इस सूचना को चयनित मान लूंगा । जो आम राय बनी थी मेरा अनुरोध है कि उसके अनुसार कार्य होना चाहिए ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की अधिकतम आयु पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है । अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं । माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ें ।

(व्यवधान)

(उत्तर पढ़ा गया)

**1—डा० अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की अधिकतम उम्र 35 वर्ष कर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों को क्या पूर्ण पेंशन का लाभ 23 साल की सेवा पर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है । इससे चारों तरफ भय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 की कोई सूचना नहीं ली जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद तत्काल इसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुरोध किया है कि 29 तारीख को इसे दे दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 29 तारीख को सब लोग मतदान में व्यस्त रहेंगे । आज बजट के बाद इसको ले लें ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बजट के बाद बहुत कार्य पड़े हैं, आप कार्यसूची को देख लें । अगर उसी व्यवस्था पर आप कहना चाहते हैं तो मैंने व्यवस्था दे दी है । अब इस पर दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 29 तारीख को जब सूचना आयेगी तब इसे ले लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आम सहमति बनी है सदन के कार्य-संचालन की, उस पर हम सब लोग अमल करें । प्रश्न काल होने दें ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

(मा० मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पुनः पढ़ा गया)

(प्रश्नोत्तर के लिए देखिए पिछले पृ० 3 पर)

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में कहा है "जी हां" ।

नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम लोगों के द्वारा उपस्थित प्रश्न पर आपकी कोई व्यवस्था, आश्वासन सम्बन्धी आनी चाहिए कि इस पर चर्चा करा लेंगे कक्ष में आप चाहें तो इसे तय कर लें । आज सरकार, पूरे विपक्ष की बात को दबाना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष–

जो व्यवस्था दे दी है उसको स्वीकार कर लीजिये ।

आप लोगों ने जो बात कही है, मैंने एक व्यवस्था दे दी है कि 29 तारीख को जब सूचना आयेगी तो उस पर बात हो जायेगी आज कार्य सूची में काम अधिक है । परसों जब आप सूचना देंगे तब उसको चयनित सूचना मान लेंगे आप जानते ही हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया होती है । आप प्रश्न काल चलने दें एक दिन में कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है । राष्ट्रपति महोदय ने अभी उसमें स्वीकृति नहीं दी है । परसों तक प्रतीक्षा कर लें ।

श्री राम विशुन आजाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । आप देखिये बजट के बाद कार्य-सूची में आज कितना काम ,

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि प्रश्न काल में अवरोध न हो । लेकिन 103 में एक प्रस्ताव दे दिया गया है, माननीय मौर्य जी ने 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा है, माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलों के नेताओं के दस्तखत से 311 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है । मान्यवर, आज कार्य-सूची में मुख्य काम है बजट और लेखानुदान पेश करना इसके अलावा अन्य औपचारिक कार्य ही हैं कोई ऐसा कार्य नहीं है । मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हल जरूर निकले कि आज उस पर 103 के अन्तर्गत या 110 के

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्तर्गत जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने प्रस्तुत कर दिया है उस प्रस्ताव पर निश्चित तौर पर चर्चा करा लें । प्रश्न प्रहर हो जाय उसके बाद चर्चा करा लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन चर्चा अवश्य करवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 103 का प्रस्ताव अभी कार्य-सूची पर नहीं है नियम 103 के प्रस्ताव पर कार्य-मंत्रणा समिति निश्चित करती है कि किस दिन प्रस्तुत किया जायेगा । जहां तक मौर्य जी के तथाकथित प्रस्ताव की बात है तो मैंने उस दिन भी अनुज्ञा नहीं दी थी और आज भी अनुज्ञा नहीं दी है । लेकिन 29 तारीख को जब 311 में सूचना देंगे तब उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

जब एक बार व्यवस्था हो गयी तो मैं समझता हूं कि उस पर अमल होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था आने के बाद फिर उस व्यवस्था पर कहीं बार-बार विचार होता है ।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि एक सर्वसम्मति बनी है कि हम लोग प्रश्नकाल चलने दें । हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले और शून्यकाल को दो से ढाई बजे तक चलना है वह भी चले । अब यह व्यवधान क्यों हो रहा है एक प्रस्ताव रख दिया नेता विरोधी दल ने और सभी दलों के नेताओं ने । जो उस दिन सहमति बनी थी कि सब लोक एक मत अगर हो जायं और अगर 311 में उसे होने देंगे तो निश्चित रूप से उसको सुन लेंगे और आपने यह निर्धारित किया था कि प्रश्नकाल और 56 के बीच में उसको पहले लेंगे । तो मैं उसी का स्मरण आपको कराना चाहता हूं प्रश्नकाल हो जाने दें और उसके बाद शून्यकाल के बीच में 311 में जो सूचना माननीय नेता विरोधी दल ने या हम सब ने दी है जो धर्मस्थल विधेयक के बारे में है पूरा प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है । माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 110 के अन्तर्गत सूचना दी है यह मैं पढ़ दूं यह उनका अधिकार बनता है उन्होंने कहा है–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं– "इस सदन का निश्चित मत है कि उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किया जाय ।" अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें । अब इसके बाद आपके आदेश हैं और वह आदेश महत्वपूर्ण हैं आपने आदेश दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था के अनुसार इस प्रस्ताव को दीजिएगा तो विचार किया जायेगा ।

उसको पूरा पढ़िये उसके आगे क्या लिखा है ? जहां तक मुझे स्मरण है मैंने कहा था कि जब अध्यक्ष अनुज्ञा देंगे तब ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आपने उस दिन यह नहीं कहा कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय और यह भी नहीं कहा कि यह कार्यवाही का अंश न बने । (व्यवधान)

मान्यवर, आपके निर्देश थे कि इसको व्यवस्था के अनुसार लायें तो उसी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो कार्यवाही पढ़ी है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें कहीं हमारी अनुज्ञा है ? यह अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रस्तुत कर सकेंगे तो इसमें कहीं मेरी अनुज्ञा है । इसके लिये अनुज्ञा मांगी जाती है कि मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगता हूं अध्यक्ष अनुज्ञा देंगे तो वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति न होती तो यह कार्यवाही का अंश नहीं होता । पहले सीधे प्रश्नकाल चलायें, उसके तत्काल बाद धर्मस्थल विधेयक ले लें, उस पर चर्चा हो जाय . पिछले कई वर्षों से 5.00 बजे बजट प्रस्तुत होता रहा है । आज 12 बजे के लिये है । पहले भी सदन में कई बार समय परिवर्तित किया जा चुका है, इसको आप दो बजे करा लें और 12 से 2 बजे के बीच इस पर चर्चा करा दें ।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं 11 बजकर 40 मिनट तक के लिये कार्यवाही को स्थगित करता हूं और मैं विचार-विमर्श कर लेता हूं, उसके बाद आता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 40 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 11 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है । 12 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 (5) के अन्तर्गत उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को उठाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियमावली के नियम 110(5) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थानों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किया जाय ।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष ने आज नियम 311 में सूचना दी थी जिस पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे । माननीय मौर्य जी ने दिनांक 23 मार्च के प्रस्ताव का उल्लेख किया है । मैंने कहा कि अनुज्ञा नहीं है लेकिन सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए आज जब कार्य-सूची की मद संख्या–15 समाप्त हो जायेगी तो उसके पश्चात् मैं इस विषय पर सदन में चर्चा करा लूंगा और आप सबको अपनी बात कहने का मौका मिल जायगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संवेदनशील विषय पर जब चर्चा हो तो कृपा करके सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अवसर मिल जायेगा । अब मैं शेष प्रश्नों को ले लूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 110 (5) के अन्तर्गत माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था, धार्मिक भवनों एवं स्थानों संबंधी विधेयक को निरसित करने के बारे में । आज उसी संबंध में नियम 110(5) के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हो गया तो उस पर चर्चा कराना अपरिहार्य है । यह प्रस्ताव 23 तारीख की कार्यवाही में है । आपकी अनुज्ञा के बगैर कोई चीज कार्यवाही में नहीं लिखी जा सकती । आपने मौर्य जी को अनुज्ञा नहीं दी होती तो यह प्रस्ताव कार्यवाही का अंग न बनता, लिखा नहीं जाता । आज भी यह व्यवस्था दे दी होती कि कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा तो नहीं लिखा जाता, कार्यवाही में आ गया तो यह अपने आप में साबित हो जाता है कि अनुज्ञा दी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष–

स्वतः अनुज्ञा नहीं होती है । नियम 110(5) को आप देखें । "किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव" तो विधेयक तो पारित कर दिया गया है, विधेयक लम्बित नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आज भी वह अधिनियम नहीं बना है ।

श्री अध्यक्ष–

वापस लेने का प्रस्ताव तो तब होता जब वह विधेयक विधान सभा में लम्बित होता ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इस सदन को अधिकार है, सदन वापस ले सकता है, निरसित कर सकता है इसलिये मैं चाहूंगा कि नियम 110(5) के अन्तर्गत जो प्रस्ताव माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और नेता विरोधी दल ने रखा है उस पर चर्चा कराकर इसे वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह विधान परिषद् से भी पारित हो गया और विधेयक सदन के समक्ष लम्बित नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि जब चर्चा होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों, सबको मौका मिलेगा ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन ने यह विधेयक पारित किया है अनेक विधेयक इसी सदन ने पारित किये हैं लेकिन इसी सम्मानित सदन में कई विधेयकों के निरसन का प्रस्ताव आया है और कई विधेयकों को निरसित करके उनको समाप्त किया गया है । आज जो एक विशेष परिस्थिति इस विधेयक के कारण उत्पन्न हो गयी है.....

श्री अध्यक्ष–

जिस समय यह लिया जायेगा उस समय अपने विचार रख दीजियेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह नियमावली सबसे बड़ी पीठ द्वारा बनायी गयी है । यह प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली आपकी पीठ द्वारा बनायी गयी है । इसी नियमावली के अन्तर्गत इस माननीय सदन के अन्दर आपकी अनुज्ञा लेकर मैंने दिनांक 23 मार्च, 2000 को इस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । मान्यवर, आपकी अनुमति मिलने के बाद ही इस प्रस्ताव को रखा । 23-3-2000 की कार्यवाही के पहले पेज पर आप देखेंगे वन्दे मातरम् के बाद जब मैं प्रस्ताव के लिये खड़ा हुआ तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 110 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं । उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हो गये और आपने कहा कि मौर्य जी, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वह कुछ कहना चाहते हैं । मैं बैठ गया । उसके बाद आपकी अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद मैंने प्रस्ताव रखा ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें अनुज्ञा का कहां उल्लेख है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जब प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हो चुका और कार्यवाही का अंग बन चुका तो वह सदन की धरोहर हो गयी तो इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए । प्रस्ताव बिना आपकी आज्ञा के नहीं रखा गया है । इसलिए आप नियम 110 के अन्तर्गत चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले कहा जाता है कि मैं अध्यक्ष पीठ से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगता हूं । जब अनुज्ञा दे दी जाती है तब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ माना जाता है । आप तो खड़े हुए और पढ़ना आरम्भ कर दिया । आपने जो प्रस्ताव दिया मैं उसको सूचना मान लेता हूं । माननीय नेता विपक्ष ने भी सूचना दी है, दोनों को समेकित करते हुए उस पर चर्चा करा लेता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जब यह प्रस्ताव नियम 110 में स्वीकृत हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष ने भी 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है तो यह सदन की गरिमा के अनुकूल होगा कि नियम 110 के अन्तर्गत चर्चा करायी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने व्यवस्था दे दी है उसके अनुसार चलने दीजिए । मौर्य जी, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री राजतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, धर्मस्थल विधेयक जब आया था उस समय भी हमने इसका विरोध किया था । माननीय नेता विपक्ष जी ने इससे पूर्व भी इस विधेयक को निरसित करने का अनुरोध किया था ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम 110 के अन्तर्गत चर्चा न कराना ठीक नहीं है । नियम 110 के अन्तर्गत ही चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप स्थान ग्रहण करिये ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं ।

(बहुजन समाज पार्टी के अन्य कई सदस्य द्वारा एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

प्रदेश में होमगार्ड संगठन के कर्मचारियों को नियमित कर पुलिस दल की भांति कानून व्यवस्था का कार्य सौंपे जाने की मांग

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में होमगार्ड संगठन के कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें पुलिस दल की भांति कानून और व्यवस्था का कार्य सौंपने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक सदस्यों को नियमित करने और उन्हें पुलिस दल की भांति कानून और व्यवस्था का कार्य सौंपने का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

क्योंकि भारत सरकार की नीतियों पर संचालित इस संगठन का स्वरूप पूर्णतया स्वयंसेवी तथा पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करना है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, उत्तर में कहा गया कि भारत सरकार की नीतियों पर संचालित इस संगठन का स्वरूप पूर्णतया स्वयंसेवी तथा पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करना है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की नीतियां क्या हैं ? क्या उन नीतियों का अनुसरण हो रहा है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी ने जो प्रश्न पूछा है कि होमगार्ड संगठन के अवैतनिक सदस्यों को नियमित करेंगे और पुलिस बल की भांति कानून और व्यवस्था के कार्य सौंपने पर सरकार विचार करेगी । तो यह प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान के मध्य)

क्योंकि भारत सरकार की नीतियों में इसका कोई प्राविधान नहीं है इसलिए यह विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

भारत सरकार की नीतियां क्या हैं ? क्या उनका अनुपालन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

यह स्वयं सेवी संगठन है । स्वयं सेवी संगठन होने के नाते इसको नियमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और भारत सरकार के जो मानक हैं उत्तर प्रदेश सरकार उसके अनुसार कार्य कर रही है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पीठ की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं सदन को 12.19 तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 19 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

(4थे सोमवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये नीति निर्धारण की मांग

*2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में मार्च, 1999 के उपरान्त खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? मूल्य वृद्धि रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई ठोस उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

प्रदेश में मार्च, 1999 के उपरान्त खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं यथा–गेहूं, चावल, चीनी आदि के मूल्य स्थिर थे तथा खाद्य तेलों एवं वनस्पति के मूल्यों में कमी हुई थी। इसी प्रकार दाल, दलहन के मूल्य भी कम हुए थे।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु निम्न उपाय किये गये :—

(1) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से माह मार्च, 1999 में खाद्य तेलों/दालों की स्टाक सीमा निर्धारित की गयी।

(2) खाद्य तेल की प्रदेश में उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 5,000 मी० टन पामोलीन तेल का आवंटन प्राप्त किया और पामोलीन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया।

(3) प्रदेश के जिलों में निर्माताओं एवं व्यापार संगठनों से रिटेल काउन्टर खुलवाये गये जहां से सरसों का तेल तथा अरहर की दाल बाजार भाव से कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई।

(4) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से गेहूं/चावल का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किया गया तथा उपभोक्ताओं को 10 कि०ग्रा० अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह ए० पी० एल० दरों पर उपलब्ध कराया गया।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी।

(6) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्यों की स्थिति की दैनिक समीक्षा विभाग स्तर पर की जाती है तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "अनुश्रवण समिति" द्वारा प्रति माह समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में धान क्रय हेतु अतिरिक्त केन्द्र खोलने पर विचार

*3—श्री राम ललित चौधरी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि किसानों को अपना धान बेचने के लिये क्रय केन्द्र की कमी होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त धान क्रय केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों का धान खरीदने के लिये कुल 1696 क्रय केन्द्र खुले होने के कारण किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है । चूंकि धान खरीद अब समाप्त प्राय है, ऐसी दशा में अतिरिक्त धान क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राजधारी—

(मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया)

*2—डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

*3—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

(4थे सोमवार के लिये स्थगित)

*4—श्री श्याम देव राय चौधरी—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्रदेश स्तर पर "टापटेन" अपराधियों की सूची बनवाने पर विचार

*5—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार प्रदेश स्तर पर "टाप टेन" अपराधियों की सूची बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

टाप-टेन अपराधियों की सूची बनाना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कानून के तहत अपेक्षित कार्यवाही की व्यवस्था है ।

प्रदेश के जनपदों में सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये जाने वाली सामग्री की मात्रा का आधार एवं जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र में वितरित की जाने वाली सामग्री की मात्रा की विसंगति को दूर किये जाने की मांग

*6—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये जाने वाले गेहूं, चीनी एवं मिट्टी के तेल की मात्रा का आधार क्या जिले की जनसंख्या पर आधारित है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में जनपद-मिर्जापुर और सोनभद्र की जनसंख्या एवं उन जिलों को दी जाने वाली चीनी, गेहूं व मिट्टी के तेल की मात्रा क्या है ? क्या इस संबंध में जनसंख्या

के मानक का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस विसंगति को दूर कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी का वितरण यूनिट के आधार पर तथा गेहूं एवं मिट्टी के तेल का वितरण राशन कार्ड के आधार पर किया जाता है ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र की जनसंख्या व ज़िलों को दी जाने वाली चीनी, गेहूं व मिट्टी के तेल की मात्रा निम्नवत् है:–

		प्रतिमाह	
जनपद मिर्जापुर			
जनसंख्या	आवंटन गेहूं	चीनी	मि० तेल
1657139	300 मै०टन (ए०पी०एल०) 966.5 मै०टन (बी०पी०एल०)	590 मै०टन	1557 (के०एल०)
जनपद सोनभद्र			
1075041	26 मै०टन (ए०पी०एल०) 739 मै०टन (बी०पी०एल०)	437 मै०टन	1640 (के०एल०)

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की खाद्यान्न-चीनी, मिट्टी का तेल वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जा रहा है । वर्तमान में बढ़ी हुई जनसंख्या एवं राशनकार्डों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुये भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न-चीनी एवं मिट्टी का तेल पर्याप्त नहीं है । प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या एवं बुकलेट फार्म में बने हुये वर्तमान राशनकार्डों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न-चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में भारत सरकार से अतिरिक्त आवंटन की मांग की गयी है । भारत सरकार से अभी तक अतिरिक्त आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न-चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाना भारत सरकार के अतिरिक्त आवंटन पर निर्भर है ।

*7—श्री राम ललित चौधरी–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिये बनायी गयी रूपरेखा की जानकारी

*8–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिये मोटर यान अधिनियम, 1988, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित अधिनियम, 1988 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,

1986 के अन्तर्गत प्राविधान उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत वाहनों तथा औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन का नियमित अनुश्रवण, जांच और निरोधात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं । सभी वाहनों के लिये धुआं प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है । पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगरों/महानगरों में तिपहिया वाहनों की संख्या एवं आयु सीमा निर्धारित करने के लिये समस्त सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को निर्देशित किया जा चुका है । लखनऊ महानगर के कतिपय महत्वपूर्ण मार्गों से तिपहिया वाहनों को हटाकर नगर बस सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बसों को अनुबन्धित कर चलाने के लिये सड़कों के निर्धारण का मानक एवं समस्त सड़कों पर चलाने की अनुमति की मांग

*9–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बसों को अनुबन्धित कर चलाने के लिये सड़कों के निर्धारण का कोई मानक है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार परिवहन निगम के घाटे को कम करने तथा जनहित में अच्छी परिवहन सेवा प्रदान करने के लिये जिलों के सभी मार्गों पर अनुबन्धित बसों को चलाने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी हां ।

निजी बसों का अनुबन्धन प्रदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही किया जाता है । मार्गों का निर्धारण यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग पर उपलब्ध यातायात, उपलब्ध परिवहन व्यवस्था, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत संचालन एवं मार्ग पोषण हेतु बसों की आवश्यकता पर विचार कर किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुबंधित बसों हेतु मार्गों का सृजन उपरोक्त मानकों के अनुसार यात्रियों की सुविधा तथा परिवहन निगम को लाभप्रद रखने की दृष्टि से उचित होगा ।

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

[4थे सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद गौतमबुद्ध नगर की स्वर्णिमा आयल मिल लि०, लेदर ऐलीगेट, कावित्रा पेपर मिल धूम मानिकपुर, फैक्ट्रियों का गन्दा पानी दुजाना ड्रेन में डालने से रोके जाने की मांग

*11–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि स्वर्णिमा आयल मिल लि०, लेदर ऐलीगेट, कावित्रा पेपर मिल धूम मानिकपुर, दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर की फैक्टरियों द्वारा गन्दा पानी दुजाना ड्रेन में डालने के कारण अनेकों पशु पानी पीकर मर रहे हैं और हर वर्ष किसानों की लाखों की फसल भी बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्टरियों के गन्दे पानी को दुजाना ड्रेन में डालने से रोकने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत उक्त तीनों उद्योगों में निर्धारित क्षमता का प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित है । इन उद्योगों से निकलने वाला उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप है तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह धूम दुजाना नाले में डाला जाता है । इस नाले की सफाई हेतु इन उद्योगों द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत इन उद्योगों से अपेक्षित धनराशि लेकर वर्षानुवर्ष नाले की सफाई का कार्य सिंचाई विभाग के संबंधित खण्ड द्वारा किया जाता है ।

निजी तथा सरकारी वाहनों से अवैध लाल तथा नीली बत्तियों पर रोक लगाने की मांग

*12—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निजी तथा सरकारी वाहनों से पिछले वर्ष समस्त अवैध लाल तथा नीली बत्तियां हटा दी गयी है ? क्या यह सही है कि अब फिर से अवैध बत्तियां लगनी शुरू हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई स्थायी समाधान निकालेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । समय-समय पर चेकिंग करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में क्षमता के सापेक्ष अधिक कैदी रखने वाली जेलों में कैदियों को अलग रखने हेतु सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था की जानकारी

*13–डा० अम्मार रिजवी–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश की अधिकांश जेलों में उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी रखे गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन जेलों में उनकी क्षमता से अधिक कितने कैदी रखे गये हैं ? क्षमता से अधिक कैदियों को रखने हेतु क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

प्रदेश की कारागारों की कुल प्रभावी बन्दी क्षमता 33857 के सापेक्ष दिनांक 31-1-2000 की स्थिति के अनुसार 46988 बन्दी निरुद्ध थे, जो प्रभावी बन्दी क्षमता के सापेक्ष 138% है ।

दिनांक 31-1-2000 की स्थिति के अनुसार 50 कारागारों में उनकी बन्दी क्षमता से संलग्न विवरण के अनुसार अधिक बन्दी निरुद्ध थे ।

अतिरिक्त बन्दी क्षमता के सृजन हेतु शासन द्वारा दो प्रकार की कार्यवाही की जा रही है, पहली कारागार विहीन जनपदों में नये कारागारों का निर्माण व दूसरी वर्तमान कारागारों में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण । नवसृजित कारागार विहीन जनपद फिरोजाबाद व मऊ में नई जिला कारागारें इसी वित्तीय वर्ष में क्रियाशील की गयी हैं तथा जिला बुलन्दशहर में घनी आबादी के मध्य आ गई नई जिला कारागार को आबादी के बाहर नये स्थान पर निर्मित करके इसी वित्तीय वर्ष में क्रियाशील किया गया है।

इसके अतिरिक्त नवसृजित आठ जनपदों–कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पौड़ी, चमोली, चन्दौली, सन्त रविदास नगर और पिथौरागढ़ में जिला कारागारों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है तथा निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। नये क्रियाशील जिला कारागारों के फलस्वरूप 1554 बन्दी क्षमता का अतिरिक्त सृजन हुआ है तथा निर्माणाधीन आठ जिला कारागारों के पूर्ण होने पर 3090 अतिरिक्त बन्दी क्षमता का सृजन होगा।

वर्तमान कारागारों में वित्त आयोग से प्राप्त आर्थिक सहायता, केन्द्र पुरोनिधानित जेलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता (50%) एवं राज्य बजट से भी अतिरिक्त बैरकों का निर्माण कराकर अतिरिक्त बन्दी क्षमता का सृजन किया जा रहा है। दशम् वित्त आयोग से प्राप्त आर्थिक सहायता से 46 अतिरिक्त बैरक एवं 23 अस्पताल भवन निर्मित कराये गये तथा केन्द्र पुरोनिधानित जेलों के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में 11 बैरकों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 136–137 पर।)

जनपद पीलीभीत में दिनांक 25 जून, 1998 को ग्राम कबीरगंज, थाना हजारा में श्री नरुरत उर्फ सन्नी बालक की हत्या एवं कृत कार्यवाही

*14—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 25 जून, 1998 को ग्राम कबीरगंज थाना–हजारा, जिला–पीलीभीत में एक ग्यारह वर्षीय बालक नरुरत उर्फ सन्नी की हत्या कर दी गयी थी जिसका मु०अ०सं० 55/98 धारा–304 आई० पी० सी० दर्ज है ? यदि हां, तो संबंधित मुकदमें में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

अभियोग की विवेचना पुलिस उप-महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के आदेश दिनांक 22-10-98 के अनुसार क्षेत्राधिकारी, बहेड़ी, जनपद बरेली द्वारा की गयी। विवेचनोपरान्त मय नक्शा वाइस्तवा फिरोज खां व सुरेश के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट सं०–11 दिनांक 16-11-99 को प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में बीमा पेपर मिल, काशीपुर एवं कल्टीवाल पेपर मिल के प्रदूषित जल को कोसी नदी में प्रवाहित करने पर रोक लगाने की मांग

*15–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर में बीमा पेपर मिल, काशीपुर एवं कल्टीबाल पेपर मिल, काशीपुर का काला जहरीला पानी कोसी नदी में डाला जा रहा है ? प्रदूषण विभाग के मानक के अनुरूप न होने के कारण क्या उक्त मिल का पानी पूरी नदी को प्रदूषित कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोसी नदी में उक्त प्रदूषित जल प्रवाहित करने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

मै० चीमा पेपर एण्ड बोर्ड (पेपर बोर्ड लि०) काशीपुर से निकलने वाले उत्प्रवाह शुद्धिकरण के पश्चात् नाले के माध्यम से कोसी नदी में जाता है। मै० मल्टीवाल पल्प एण्ड बोर्ड मिल काशीपुर में समुचित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित न होने के कारण उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं है।

मै० मल्टीवाल पल्प एण्ड बोर्ड मिल का उत्प्रवाह मानकों से अधिक होने के कारण प्रदूषण की समस्या है।

उद्योग द्वारा जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत करने हेतु संयंत्र की कतिपय इकाइयां जैसे इक्वालाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरीफायर, बैकवास टैंक, ग्रेवल टैंक, फिल्टर डिफ्यूज्ड, एरेशन टैंक सरफेस एरेशन टैंक, सेकेन्डरी क्लेरी फायर, एनरोविक टैंक एवं स्लज ड्राइंग वेड्स स्थापित की गयी है। शुद्धिकरण संयंत्र में एनरोबिक डायजेस्टर स्थापित नहीं है, जिसके लिये उद्योग को 31 मार्च, 2000 तक का समय दिया गया है तथा प्रदूषण को कम करने के लिये उद्योग को निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन करने हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु उद्योग से रु० 1.00 लाख की बैंक गारण्टी भी ली गयी है।

खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाइयों हेतु व्यापार कर के छूट की सीमा बढ़ाने पर भी व्यापार कर विभाग द्वारा क्रय-विक्रय कर वसूल किये जाने की जानकारी

*16–श्री लालजी वर्मा–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाइयो हेतु व्यापार कर के छूट की सीमा 30 लाख टर्न ओवर से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि व्यापार कर विभाग द्वारा 30 लाख के टर्न ओवर के ऊपर के टर्न ओवर पर क्रय एवं विक्रय कर दोनों वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

दिनांक 1-3-97 से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थाओं को उनके द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर किसी कर निर्धारण वर्ष में 50 लाख रुपये विक्रय धन तक छूट उपलब्ध करायी गयी है। यह छूट विज्ञप्ति में उल्लिखित 41 ग्रामोद्योगों के उत्पादों पर अनुमन्य है। इस प्रकार छूट की सीमा 30 लाख रुपये वार्षिक टर्न ओवर नहीं है और न उसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में जनवरी, 1999 से जुलाई, 1999 के मध्य घटित बैंक लूट की घटनाओं पर सरकार द्वारा की गयी रोकथाम की जानकारी

*17–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विगत जनवरी, 1999 से जुलाई, 1999 के मध्य सीतापुर जनपद में दो बैंकों में लूट की घटनायें घटित हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

आलोच्य अवधि में जनपद सीतापुर में दो बैंकों में लूट की घटना घटित नहीं हुई थी, अपितु दिनांक 7-5-99 को भागीरथ ग्रामीण बैंक में एक लूट की घटना घटित हुई थी जिसके संदर्भ में दर्ज अभियोग की विवेचना पूर्ण करके चार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 13-6-99 को मा० न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

घटनाओं की रोकथाम करने एवं बैंकों की सुरक्षार्थ पुलिस कर्मियों को बैंकों पर तैनात कर सुरक्षा के प्रभावी उपाय किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में अपराधियों द्वारा फिरौती वसूल करने की नीयत से अपहरण की वारदातों को रोकने हेतु सरकार द्वारा बनाई गयी कार्य योजना की जानकारी

*18–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में अपराधियों द्वारा फिरौती वसूल करने की नीयत से अपहरण की वारदातें की जा रही हैं ? यदि हां, तो अपहरण की वारदातों को रोकने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कतिपय जनपदों में अपराधियों द्वारा फिरौती वसूल करने की नीयत से अपहरण की वारदातें की जा रही है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं से विशेष प्रभावित जनपदों जालौन, झांसी व बांदा में विशेष कार्ययोजना तैयार की गयी है जिसके अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम का कार्य प्रभावित क्षेत्र/जनपदों में अपराधियों के विषय में जानकारी एकत्रित करना, अपहृतों को छुड़ाना व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। संबंधित अधिकारियों द्वारा बीहड़ क्षेत्र के गांवों में जनसम्पर्क करने व कैम्प लगाये जाने का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन कर उनके सहयोग से कार्यवाही करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*19–श्री बी० आर० वर्मा, श्री संजय गर्ग तथा श्री अवधेश प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री संजय गर्ग–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में वर्ष 1998 की अपेक्षा वर्ष 1999 में हुई अपराधों की वृद्धि एवं इसकी रोकथाम हेतु विधान मण्डल सदस्यों को वायरलेस सेट की सुविधा देने की मांग

2—श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998 की अपेक्षा वर्ष 1999 अक्टूबर माह तक चोरी, डकैती, बैंक लूट, हत्या एवं बलात्कार तथा महिला उत्पीड़न की संख्या में अलग-अलग कुल कितनी वृद्धि हुई है ? इसे रोकने के लिये क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार विधान मंडल दल के सदस्यों को अपराधों की रोकथाम में सहयोग देने के लिये वायरलेस सेट की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1998 की अपेक्षा वर्ष 1999 अक्तूबर माह तक चोरी, डकैती, बैंक लूट, हत्या एवं बलात्कार के अपराधों में वृद्धि नहीं बल्कि कमी आयी है। महिला उत्पीड़न के अपराधों में 7.35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण के लिये शत-प्रतिशत अपराधों के पंजीकरण के निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों के अनावरण एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा पुलिस महानिदेशक एवं शासन स्तर पर नियमित रूप से की जाती है।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायत, उ० प्र० द्वारा कनिष्ठ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी श्रीमती कमलेश पाण्डेय को प्रोन्नति देने के कारण वरिष्ठ श्रीमती सरला सिंह को प्रोन्नति दिये जाने की मांग

3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ० प्र० द्वारा श्रीमती कमलेश पाण्डेय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रोन्नति कर तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में मुख्यालय में नियुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि श्रीमती सरला सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय क्षेत्रीय/जिला लेखा परीक्षा कार्यालय इलाहाबाद श्रीमती पाण्डेय से वरिष्ठ हैं ? यदि हां, तो श्रीमती सरला सिंह की प्रोन्नति अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार श्रीमती सरला सिंह, को तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद रिक्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

साफ्ट ईस्ट कम्पनी लि० सण्डीला, हरदोई में प्रदूषण प्लान्ट न लगाने वाले फैक्ट्री प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफ्ट ईस्ट कम्पनी लि० संडीला, हरदोई में क्या प्रदूषण प्लान्ट लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में फैक्ट्री प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मथुरा, थाना बल्देव के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 66/99 की जांच अन्य थाने से कराने विषयक विधायक कोष्ठक का सचिव, गृह को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

5—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 63/99 थाना बल्देव जनपद मथुरा की जांच किसी अन्य थाने से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–2/25488/मथुरा/99, दिनांक 18-7-99 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से आख्या मांगी गयी । उनसे प्राप्त सूचनानुसार इस अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष जमुनापार द्वारा की गयी । मु० अ० सं०–63/99 धारा 307 भा० द० वि०, दिनांक 13-6-99 को थाना बल्देव, जनपद मथुरा में पंजीकृत हुआ, जिसमें 12 दिन बाद तीन व्यक्ति प्रकाश में आये जोकि वादी के रिश्तेदार पाये गये जिनका आपस में धारा 125 ज० फौ० से सम्बन्धित मुकदमा थाना सादाबाद, हाथरस में चल रहा था । विवेचना से नामजदगी झूठी पायी गयी । अतः सही अभियुक्तों का पता न चलने के कारण अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट सं०–24 दिनांक 16-12-99 को प्रेषित की गयी ।

6–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रमुख सचिव, गृह को पत्र एवं कार्यवाही

7–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–2 442119, 483354, 483352, 483351, 442121, 442128 क्रमशः दिनांक 18-1-99, 20-1-99, 26-1-99 तथा 2-2-99 जो जनपद प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन के विरुद्ध थे उन्हें तथा प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

संदर्भित पत्रों में से विभाग को प्राप्त पांच में इंगित शिकायतों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र से कराई गई है । जांचोपरान्त आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं ।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि० लखनऊ को शाखा नवाबगंज में शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारियों द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

8–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 को प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि० लखनऊ को शाखा नबाबगंज में शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारियों द्वारा मचान योजना के अन्तर्गत (सब्जी की खेती को) ऋण वितरण में अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

जी हां । जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोयल गैस इण्टरप्राइजेज बरेली व योगेश गैस एजेन्सीज राजेन्द्र नगर, बरेली द्वारा गैस सिलेण्डरों को ब्लैक में बेचे जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

9–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोयल गैस इण्टर प्राइजेज बरेली व योगेश गैस एजेन्सीज राजेन्द्र नगर बरेली द्वारा गैस सिलेन्डरों को ब्लैक से बेचे जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 जिला अधिकारी बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रकरण से सम्बन्धित शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बरेली एवं उप जिलाधिकारी, नवाबगंज तथा बरेली से कराई गई थी । जांच में किसी प्रकार की कालाबाजारी आदि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया, इसलिए कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया, फिर भी उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए जनपद बरेली शहर की एजेन्सियों का उपकेन्द्र नवाबगंज तहसील में खोल दिया गया है, जहां से नवाबगंज, हाफिजगंज, सैंथल आदि स्थानों के उपभोक्ताओं को गैस सही दाम पर मिल रही है । रिठौरा बरेली शहर से नजदीक है इसलिए यहां के उपभोक्ताओं को बरेली शहर की गैस एजेन्सी से ही गैस वितरित कराई जा रही है । अब उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापार कर कार्यालय, बहराइच में सेवक पद पर कार्यरत श्री रामेश्वर मौर्य का न्यायालय के निर्णय से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

10–श्री उदयराज यादव तथा श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–2 नं० 044685 दिनांक 14 सितम्बर, 1999 जिसमें व्यापार कर कार्यालय बहराइच में सेवक पद पर कार्यरत श्री रामेश्वर मौर्य का न्यायालय के निर्णय के पश्चात् वेतन का भुगतान एवं प्रथम पत्नी के बच्चों की देखरेख से संबंधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम, एम० काम०–

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से श्री रामेश्वर मौर्य सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो गया है । उक्त स्पष्टीकरण का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि, उन्नाव को वर्ष 1990, 92 एवं 97 में 'राज्य प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि' से अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि का विवरण

11—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों का वेतन जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि खाते से किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976 के नियम 19 में यह प्राविधान है कि जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा के अनुरक्षण व्यय की कमी को "राज्य प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि" से पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त निधि से जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि को वर्ष 1990 से अब तक जनपद उन्नाव को कितनी धनराशि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

उ० प्र० प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976 यथा संशोधित नियम–19(1) के अनुसार जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि में किसी सहकारी वर्ष में समितियों द्वारा दिये अंशदान के अनुरक्षण व्यय से कम होने की दशा में राज्य प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि से दिये

जाने वाले अनुदान से पूरा किये जाने की व्यवस्था है । वर्ष 1990-92 एवं 1997 में जिला प्रारम्भिक केन्द्रीयत सेवा निधि उन्नाव को रु० 36,05,226.10 (रु० छत्तीस लाख, पांच हजार, दो सौ छब्बीस तथा दस पैसे मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के डा० आर० बी० लाल, जिलाध्यक्ष, भा०ज०पा० अनुसूचित मोर्चा को थाना गोवर्धन की पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० आर० बी० लाल जिलाध्यक्ष, भा०ज०पा अनुसूचित मोर्चा को थाना गोबर्धन जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–2/25483/ मथुरा/99, दिनांक 18-7-99 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा रोड पर एक जाटवों की सार्वजनिक भूमि है जिस पर जाटव समुदाय के शादी-विवाह एवं अन्य कार्यक्रम/समारोहों का आयोजन होता है । इस भूमि के सहारे ही श्री नन्हूमल पुत्र श्री मन्नूराम जाटव का मकान है, जो इस भूमि को पूर्व में अपने कब्जे में करना चाहता था । उक्त भूमि को लेकर एक वाद न्यायालय सिविल जज तृतीय मथुरा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री आर० बी० लाल दोनों पक्षों में कई बार राजीनामा करने की कोशिश की गयी जिसे दोनों पक्षों ने मानने से इन्कार कर दिया इसी कारण छवि धूमिल होते देखते हुए श्री लाल द्वारा दोनों पक्षों को देख लेने की धमकी दी गयी तथा दोनों पक्षों के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष से कार्यवाही किये जाने हेतु दबाव डाला गया परन्तु थानाध्यक्ष द्वारा वाद को न्यायालय के विचाराधीन देखते हुए श्री लाल की सहायता करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । मामले की जांच करने पर उक्त थानाध्यक्ष पर अभद्रता करने के आरोप की पुष्टि जांच के मध्य नहीं हो सकी ।

जनपद बरेली के मुकदमा संख्या–165 ए/99, थाना भोजीपुर की जांच पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र एवं कार्यवाही

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या– 165 ए/99 थाना भोजीपुर जनपद बरेली की जांच महानिरीक्षक अथवा पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/25525/मथुरा/99, दिनांक 20-7-99 महानिदेशक, पुलिस को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के अनुसार मु० अ० सं०–165ए/99, धारा 147/148/149/336/307/427 भा० द० वि० बनाम सुभाष, संजीव कुमार, पोशाकी लाल, परमानन्द, राम प्रकाश, संजय, अनिल, हरिओम व सुनील के विरुद्ध थाना भोजीपुरा, बरेली पर पंजीकृत कराया

गया था। इस अभियोग की विवेचना के दौरान दिनांक 4-6-99 को अभियुक्त पोशाकी एवं प्रकाश में आये अभियुक्त हरिओम तथा अनिल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। दिनांक 7-7-99 को अभियुक्त राम प्रकाश, संजीव कुमार तथा संजय ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसके उपरान्त वे जेल चले गये। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के बाद आरोप-पत्र सं०–35 दिनांक 9-10-99 को न्यायालय प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त सुभाष, परमानन्द, सुनील जो दिनांक 7-2-2000 को न्यायालय में हाजिर हुए, उनके विरुद्ध दिनांक 8-2-2000 को आरोप-पत्र सं०–35 ए न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त अभियोग की विवेचना समाप्त की जा चुकी है। अतः अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

जनपद सहारनपुर के थाना सदर में व्यापारी नेता ओ० पी० जुनेजा एवं उनकी पत्नी की हत्याकाण्ड की जांच

14–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1999 में जनपद सहारनपुर के थाना सदर में व्यापारी नेता ओ० पी० जुनेजा एवं उनकी पत्नी के हत्याकाण्ड की जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त हत्याकाण्ड की जांच सी० बी० आई० से करायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद सहारनपुर के थाना सदर में व्यापारी नेता ओ० पी० जुनेजा एवं उनकी पत्नी के हत्याकाण्ड की जांच प्रचलित है।

अभी अभियुक्तों का सही पता न लगने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पायी है।

अभियुक्तों का पता लगाकर गिरफ्तारी करने हेतु स्थानीय पुलिस के साथ स्पेशल आपरेशन ग्रुप को भी निर्दिष्ट किया गया है। प्रकरण की जांच सी० बी० आई० से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली का कार्य क्षेत्र एवं उसके विभाजन पर विचार किये जाने की मांग

15–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के थाना–देहात कोतवाली का भौगोलिक कार्य क्षेत्र क्या है ? क्या अपराधों की रोकथाम करने के लिये सरकार उसके विभाजन करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद सहारनपुर में थाना देहात कोतवाली का क्षेत्रफल 550 वर्ग कि०मी० है।

कोतवाली क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण है। भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली देहात के अन्तर्गत हसनपुर में नवीन थाने की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था लेकिन वर्तमान में नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

जनपद महाराजगंज, थाना कोठीभार के सिसवा बाजार खुर्द, के निवासी इन्द्रजीत की सड़क दुर्घटना में मृत्योपरान्त मृतक की पत्नी श्रीमती रूमाली देवी को मृतक के बीमा का भुगतान

16–श्री राजीव कुमार सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–39 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लाभार्थी को लाभ दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा 6-5-99 को श्रीमती रूमाली देवी को 8,500/- रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गयी थी, किन्तु क्षेत्रीय/मण्डलीय प्रबन्धक, दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, गोरखपुर को जिलाधिकारी के आदेश की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति, एवं फार्म–ए० बी० तथा डी० प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका । समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके दिनांक 15-3-2000 को पुनः जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का चेक देने सम्बन्धी आदेश की प्रति बीमा कम्पनी को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, महराजगंज द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है । इस प्रकार अब भुगतान की कार्यवाही उक्त बीमा कम्पनी के स्तर पर लम्बित है ।

जनपद महराजगंज, थाना कोठीभार में दि० 7-9-97 को वादी नथुनी पुत्र गोपाली द्वारा दर्ज रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही

17–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के थाना कोठीभार में दर्ज अपराध संख्या–शून्य, दिनांक 7-9-97 को वादी नथुनी पुत्र गोपाली द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अभियोग की विवेचना कराई गई । मृतक मुन्शी लाल पुत्र नथुनी नि० लोहेपार, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज का बिसरा थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर द्वारा डाकेट नं० 1433 दिनांक 18-2-2000 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ दाखिल किया गया है, बिसरा परीक्षण की रिपोर्ट आना शेष है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । विवेचना थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर द्वारा की जा रही है ।

श्री शिवेन्द्र सिंह, तत्कालीन विधायक का अनियमितता सम्बन्धी पुलिस महानिरीक्षक को दि० 23-6-97 को प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही

18–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन विधायक शिवेन्द्र सिंह का पत्रांक–बी–13504 दिनांक 23-6-97 जिसमें गम्भीर अनियमितता की शिकायत की गयी थी, पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उस पर स्थानीय पुलिस द्वारा विधि सम्यक् तथा निष्पक्ष कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० भण्डारागार निगम, उ० प्र० लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के 25 रिक्त पदों के विरुद्ध 153 पदों पर अनियमित नियुक्तियां करने एवं जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० भण्डारागार निगम, उ० प्र० लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के 25 रिक्त पदों हेतु वर्ष 1999 में साक्षात्कार हुआ था ? क्या यह सही है कि उन रिक्त पदों के विरुद्ध 153 पदों पर अनियमित रूप से नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम में चौकीदार/चपरासी पद की 25 रिक्तियां सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित की गयी थीं परन्तु मार्च, 1999 में मूल्य समर्थन योजना की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के तहत निगम को 07 लाख मै० टन गेहूं भण्डारित करना था तथा 1.50 लाख मै० टन गेहूं क्रय करना था, जिसके लिये निगम को 172 चौकीदार/चपरासियों की तात्कालिक आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति हेतु माह अप्रैल, 1999 में चयन की कार्यवाही की गयी एवं 153 चौकीदार/चपरासियों की नियुक्ति की गयी।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय बाट एवं माप, उ० प्र० लखनऊ में दस वर्षों से तैनात उपनियंत्रकों की संख्या एवं उन्हें स्थानान्तरित किये जाने की मांग

20–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रक बांट एवं माप उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय में ऐसे कितने उपनियंत्रक हैं, जो एक ही स्थान पर गत दस वर्षों से लगातार तैनात हैं ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? ऐसे उप नियंत्रकों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नियंत्रक, बाट एवं माप, उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय में केवल एक उप नियंत्रक गत दस वर्षों से लगातार तैनात हैं ।

वर्ष 1999-2000 के लिये शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति जो दिनांक 08 अप्रैल, 1999 को जारी की गयी है, के अनुसार इनको स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

नियंत्रक, बाट एवं माप, उ० प्र० लखनऊ द्वारा वरिष्ठ निरीक्षक पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने की मांग

21—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रक बांट एवं माप उ० प्र० लखनऊ ने वर्ष 1977 से 1984 तक वरिष्ठ निरीक्षक पद पर तदर्थ पदोन्नति पायें कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत एवं बाहर के पदों पर तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 के तहत विनियमितीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अत्याचार पर जांच आख्या की जानकारी दिये जाने की मांग

22–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अत्याचार के प्रकरण पर सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा सी० बी० नं० 1094/94 शासन के गृह विभाग के पत्र सं० 2076 आर/6-11-93-1428/93 दिनांक 14-12-93 की जांच पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच कब और किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गयी ? जांच आख्या क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां, जांच पूर्ण कर ली गयी है ।

मामले की जांच अपराध शाखा के निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गयी थी जांच पूर्ण होने के पश्चात् जांच आख्या पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अप० अनु० विभाग द्वारा दि० 29-12-95 को शासन को प्रेषित की गयी ।

इस जांच में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 120 पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के मतदान में स्थानीय पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की जांच की गयी थी । जांच के उपरान्त किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विधान सभा चुनाव के मध्य कोई अनियमितता किया जाना नहीं पाया गया और न ही किसी संज्ञेय अपराध का होना पाया गया ।

जिला कारागार, देवरिया में चिकित्सक की स्थायी नियुक्ति किये जाने की मांग

23–श्री दीपलाल भारती–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जिला कारागार देवरिया में कोई चिकित्सक स्थायी रूप से नियुक्त नहीं है जबकि लाखों रुपये की एक्स-रे मशीन व अन्य कीमती उपकरण वर्ष 93 में ही क्रय करके अभी तक रखें हुए हैं ? उक्त कारागार में चिकित्सक की नियुक्ति स्थायी रूप से कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जिला कारागार, देवरिया के चिकित्सालय में अंशकालिक चिकित्सक तैनात है । कारागार चिकित्सालय में चिकित्सकों की तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर की जाती है । देवरिया जिला कारागार में पूर्णकालिक चिकित्सक की तैनाती का अनुरोध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से किया गया है । जिला कारागार, देवरिया में एक्स-रे मशीन क्रय नहीं की गयी है ।

जनपद शाहजहांपुर, तिलहर मीरानपुर कटरा में रोडवेज बस स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति किये जाने की मांग

24–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि रोडवेज बस स्टेशन तिलहर मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर में बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति न होने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है और बस स्टेशन पर बसें भी नहीं रुकतीं तथा तिलहर, मीरानपुर कटरा बस स्टेशन पर चेक पोस्टों पर भी कर्मचारी नहीं रहते ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त बस स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे में निगम के पुराने बस स्टेशन से बसों का आवागमन बन्द है । बसें तिलहर बाईपास से आती जाती हैं । तिलहर तथा मीरानपुर कटरा में बुकिंग लिपिक तैनात नहीं है । इससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर बसें रुककर यात्री उतारती एवं चढ़ाती हैं तथा बसों के परिचालकों द्वारा उन्हें टिकट दिये जाते हैं । इन दोनों स्थानों पर निगम का चेक पोस्ट स्थापित नहीं है, अतः यहां कर्मचारी रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्तमान में रास्ते के स्टापेज/बस स्टेशनों पर बस के परिचालक द्वारा ही टिकट की बुकिंग की जाती है, अतः इन स्थानों पर बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सन्त रविदास नगर, विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में पैक्स फेड एजेन्सी द्वारा अधूरे मार्गों को पूर्ण किये जाने की मांग

25–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में पैक्स फेड एजेन्सी द्वारा 1997-98 में कराये गये चकरपानपुर से सुन्दरपुर गोपीगंज से पथराई मार्ग, कसियापुर सम्पर्क मार्ग ज्ञानपुर डिहवा मार्ग, जी० टी० रोड से छतमी, धनतुलसी यूनियन बैंक से धनतुलसी ग्राम तक डगडगपुर से दर बांसी मार्ग अभी भी अधूरे पड़े हैं ? क्या इन कार्यों को पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

चकरपानपुर से सुन्दरपुर, गोपीगंज से ककराई मार्ग तथा जी० टी० रोड से छतमी मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है । कसियापुर सम्पर्कमार्ग, धनतुलसी यूनियन बैंक से धनतुलसी ग्राम तल का कार्य तथा ज्ञानपुर डिहवा मार्ग अधूरे हैं । उक्त सभी कार्य पैक्सफेड को वर्ष 1998-99 में आवंटित हुए थे ।

डगडगपुर से दरबांसी मार्ग पैक्सफेड से संबंधित नहीं है ।

जी हां । अधूरे मार्गों को पूर्ण किया जायेगा ।

मार्च, 2000 तक ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रस्तावित थानों को स्थापित करने की शासन की स्वीकृति की जानकारी

26–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रस्तावित आठ थानों को स्थापित करने हेतु क्या शासन ने स्वीकृति दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

जनपद हरदोई के राजकीय बस डिपो के वर्कशाप को सुचारु रूप से संचालित किये जाने की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के राजकीय बस डिपो पर तमाम गाड़ियां निष्क्रिय खड़ी हैं ? क्या वर्कशाप का प्रबन्धन समुचित रूप से नहीं चल रहा है ? क्या सरकार वर्कशाप को सुचारु रूप से संचालन कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्कशाप के सुचारु रूप से कार्य करने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की डिपो से हरदोई कानपुर मार्ग पर प्रस्तावित 8 बसों के संचालन की मांग

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई डिपो से हरदोई कानपुर मार्ग पर 8 बसों को चलाया जाना स्वीकृत है परन्तु मात्र 3 बसों का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सभी बसों के संचालन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्तमान में हरदोई डिपो से निर्धारित चार बसों की समय सारणी के विरुद्ध तीन बसों का संचालन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम द्वारा संचालित बसें पर्याप्त हैं ।

परिवहन निगम में एक डिपो की बस दूसरे क्षेत्र में खराब होने पर, उसी डिपो के कर्मचारियों से मरम्मत कराये जाने की व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने की मांग

29–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम के किसी डिपो की बस किसी दूसरे क्षेत्र में खराब हो जाने पर उसकी मरम्मत हेतु उसी डिपो के कर्मचारी जाते हैं जिस डिपो की वह बस होती है ? क्या यह सही है कि इस व्यवस्था से खराब बस को ठीक करने में अधिक समय लगता है तथा धन भी अधिक व्यय होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में परिवर्तन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, नगर पंचायत खड्डा की जनसंख्या के आधार पर राशन कार्ड की यूनिट बढ़ाने की मांग

30–श्री दीप लाल भारती–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत खड्डा की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 10,060 है और राशन कार्डों के अनुसार 12,000 यूनिट है, उसके बाद भी 30 प्रतिशत लोगों के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं हैं ? क्या सरकार नये राशन कार्ड आज की जनसंख्या के अनुसार यूनिट बढ़ाते हुये बनाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

1991 की जनगणना के अनुसार खड्डा नगर पंचायत की जनसंख्या 10,008 थी । जनसंख्या में अब तक हुई वृद्धि के फलस्वरूप अब यूनिट में भी वृद्धि हो गयी है । बढ़ी हुई जनसंख्या के फलस्वरूप खड्डा नगर पंचायत में ए० पी० एल० के 3546 परिवारों को, बी० पी० एल० के 751 परिवारों को जिनकी यूनिट संख्या क्रमशः 21125 व 3223 (कुल योग 24348 है) राशनकार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं ।

राशन कार्ड बनाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है । जिन व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड बनाये जाने की मांग की जाती है उन्हें जांचोपरान्त राशनकार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है ।

परिवहन निगम की अनुबन्धित मिनी बस संख्या–यू० पी०–65 एच-7626 में विधायकों की सीट का आरक्षण अंकित किये जाने की मांग

31—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के अन्तर्गत अनुबन्धित बसों में मा० विधायकों की सीट आरक्षित रहती है ? यदि हां, तो क्या उसे अनुबन्धित बसों में सीट के ऊपर लिखित रूप में दर्शाया जाता है ? यदि हां, तो क्या बस संख्या यू० पी०–65 एच–7626 राप्तीनगर डिपो गोरखपुर से वाराणसी चलने वाली बस में विधायकों की सीट का आरक्षण अंकित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार परिवहन निगम के अन्तर्गत मा० विधायकों के लिये आरक्षित सीट सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

अनुबन्धित मिनी बस संख्या–यू०पी०–65 एच–7626 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि बस में उक्त अंकन नहीं था, जो अब अंकित कर दिया गया है ।

परिवहन निगम तथा निगम में अनुबन्धित बसों में माननीय विधायकों के लिये आरक्षित सीट पूर्व से ही निर्धारित है । व्यवस्था कठोरता से लागू रहे, इस हेतु पुनः कठोर निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार–तूनाखाल–द्वारिखाल मोटर मार्ग पर प्राइवेट बस संचालन हेतु परमिट जारी किये जाने की मांग

32–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार तूनाखाल–द्वारिखाल मोटर मार्ग पर परिवहन निगम की कितनी बसें संचालित की जा रही हैं ? क्या यह सही है कि उक्त मार्गों पर बसों का कम संचालन होने से यात्रियों को कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग पर प्राइवेट बस चलाये जाने हेतु परमिट जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

कोटद्वार–तूनीखाल–द्वारीखाल मार्ग के कोटद्वार तूनीखाल भाग पर परिवहन निगम द्वारा एक बस संचालित की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्ग की कुल दूरी 44 कि०मी० है जिसमें कोटद्वार से डाडामण्डी तक का 26 कि०मी० का मार्गांश राष्ट्रीयकृत है । राष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर निजी बस चालकों को परमिट जारी नहीं किया जा सकता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, कोतवाली अकबरपुर में दर्ज एफ० आई० आर० पर की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग

33–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-9-99 को कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में महन्थ मिश्र द्वारा कोई एफ० आई० आर० दर्ज करवाई गई थी ? क्या यह सही है कि गम्भीर चोटों का मेडिकल परीक्षण करवाकर डाक्टरी रिपोर्ट कोतवाली अकबरपुर को दी गयी थी ? यदि हां, तो डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा कायम करके अपराधियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 14-11-99 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में मेसर्स रीचूमल किसान रूफिंग टाइल्स एवं मेसर्स मयूर टाइल्स पहितीपुर रोड शाहजादपुर तथा संत रूफिंग टाइल्स दोस्तपुर रोड अकबरपुर की फर्मों द्वारा बिक्रीकर के रूप में जमा की गई एवं अवशेष धनराशि की वसूली की कार्यवाही

34—श्री चेतराम–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में मेसर्स रीचूमल किसान रूफिंग टाइल्स एवं मेसर्स मयूर टाइल्स पहितीपुर रोड शाहजादपुर तथा संत रूफिंग टाइल्स दोस्तपुर रोड अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर की फर्मों द्वारा बिक्री कर के रूप में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में कितनी धनराशि जमा की गयी है और कितना बकाया है ? उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम, एम० काम०–

सर्वश्री रीचूमल किसान रूफिंग टाइल्स के नाम से कोई फर्म कार्यालय में पंजीकृत नहीं है । एक फर्म मेसर्स किसान रूफिंग टाइल्स मिर्जापुर भिखारीपुर, अकबरपुर के नाम से पंजीकृत है, जिसमें श्री रिच्चूमल पुत्र श्री चन्दूमल निवासी अब्दुल्लापुर शहजादपुर एवं श्री जयराम पुत्र श्री रिच्चूमल निवासी शहजादपुर उपरोक्त दो साझीदार हैं । इस फर्म द्वारा वर्ष 97-98 में रु० 33,000/- की धनराशि जमा की गयी है । वर्ष 98-99 के लिये रुपया 41,226.00 की धनराशि जमा की गयी है ।

मैसर्स मयूर टाइल्स पहितीपुर रोड, शहजादपुर के नाम से कोई फर्म कार्यालय में पंजीकृत नहीं है । एक फर्म मयूर इण्डस्ट्रीज मिर्जापुर भिखारीपुर, अकबरपुर के नाम से कार्यालय में पंजीकृत है, इसमें श्री जय राम संगवानी पुत्र श्री रिच्छूमल निवासी अब्दुल्लापुर अकबरपुर एवं श्रीमती डी० देवी निवासी अब्दुल्लापुर अकबरपुर, पत्नी श्री आर० एम० फर्म के दो साझीदार हैं । इस फर्म द्वारा वर्ष 97-98 में रु० 87,914/- एवं वर्ष 98-99 में रु०. 2,81,539.80 की धनराशि कर के रूप में जमा की गयी है ।

सर्वश्री संत रूफिंग टाइल्स दोस्पर रोड अकबरपुर के नाम से कोई फर्म कार्यालय में पंजीकृत नहीं है । एक फर्म मैसर्स संत रूफिंग टाइल्स इण्डस्ट्रीज गोहन्ना भिखारीपुर जिला अम्बेडकर नगर के नाम से दिनांक 27-8-98 से पंजीकृत है । इस तरह इस पंजीकृत फर्म का वर्ष 97-98 में कोई अस्तित्व नहीं था । वर्ष 98-99 में इण्डस्ट्री निर्माणाधीन थी ।

टाइल्स का कोई निर्माण स्वीकार नहीं किया गया है ।

उपरोक्त फर्मों पर वर्ष 97-98 तथा 1998-99 के लिये कोई बकाया नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना अहरौली, ग्राम कुर्मीडीहा की रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक पुलिस महानिदेशक को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

35—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रेश कुमार ग्राम कुर्मीडीहा थाना अहरौली जिला अम्बेडकर नगर की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–1/25529/मथुरा/99, दिनांक 20-7-99 महानिदेशक, पुलिस उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की गई जिससे यह प्रकाश में आया कि दोनों पक्षों के मध्य मजदूरी के लेन देन को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी । बाद में दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लिये हैं ।

जनपद रायबरेली, थाना/ब्लाक डीह के ग्राम—खेतौधन में पी० सी० एफ० द्वारा निर्मित गोदाम को जनहित में सदुपयोग किये जाने की मांग

36—श्री अब्दुल मन्नान—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खेतौधन, थाना/ब्लाक डीह, जनपद रायबरेली में पी० सी० एफ० द्वारा कोई गोदाम निर्मित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उस गोदाम में कोई सामान रखा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में उक्त गोदाम का सदुपयोग सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा—

जी हां ।

इसका निर्माण वर्ष 87-88 में हुआ है ।

जी नहीं ।

क्योंकि :-

1—यह गोदाम मुख्य सड़क मार्ग से 4 किलोमीटर अन्दर गांव में स्थित है जहां न ही कोई मण्डी अथवा उप मण्डी स्थल है।

2—जुलाई, 1987 से पी० सी० एफ० द्वारा उर्वरक का निजी व्यवसाय किया जाना समाप्त कर दिया गया है।

3—अगस्त, 87 के पश्चात् उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं यथा–इफ्को, कृभको, एन० एफ० एल० आदि ने उर्वरक भण्डारण हेतु इस गोदाम का आरक्षण नहीं कराया।

4—किसी भी प्राइवेट पार्टी, राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक अथवा सहकारी उपक्रम ने भी इस गोदाम को भण्डारण हेतु किराये पर लेने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं दिया।

जी हां।

प्रयास जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के जिला कार्यालय लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ हाट निरीक्षिका को राजकीय कालोनी आवंटित होने पर भी निगम से मकान किराया भत्ता लिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

37–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के जिला कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ हाट निरीक्षिका द्वारा स्वयं समाज सेविका के नाम से अलीगंज पुरनियां स्थित राजकीय कालोनी में एल० के० एस०–2 भवन आवंटित कराकर अपने निगम से मकान किराया भत्ता भी लिये जाने से संबंधित विधायक श्री सुरेश चन्द्र तिवारी का शिकायती-पत्र दिनांक 31 मई, 1999 मुख्य मंत्री को एवं दिनांक 31 मई, 1999 को ही राज्य सम्पत्ति अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, थाना गोवर्धन के श्री सौदान सिंह पुत्र श्री हरी सिंह निवासी–माधुरी कुण्ड द्वारा पंजीकृत मुकदमें में विधायक का पत्र एवं कार्यवाही

38–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सौदान सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी–माधुरी कुण्ड थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा पंजीकृत कराये गये मुकदमें की विवेचना कराने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–1/25560/मथुरा/99 दिनांक 20-7-99 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त संदर्भगत पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को शासन के पत्र सं०–737सी एम/6-12-99-4(56)डी/99 दिनांक 3 अगस्त, 1999 द्वारा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा गया था तथा दिनांक 22-12-99 द्वारा स्मरण भी कराया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा की सूचनानुसार उक्त संदर्भगत पत्र उनके कार्यालय में अनुपलब्ध होने एवं उसके अभाव में कोई कार्यवाही संभव न हो सकने की सूचना दी गयी है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा ने यह सूचित किया है कि थाना गोवर्धन जनपद मथुरा पर दिनांक 18-12-98 को वादी श्री नेत्रपाल सिंह द्वारा मु० अ० सं०–323/98 श्री सौदान सिंह पुत्र हरी सिंह आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसके बचाव में श्री सौदान सिंह द्वारा उक्त प्रश्न कराया गया प्रतीत होता है । श्री सौदान सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र का किसी भी थाना/कार्यालय में प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश रा० स० प० निगम द्वारा बस स्टाप हरदोई से पिहानी होते हुए दिल्ली जाने वाली बस पुनः चलाये जाने की मांग

39–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० निगम बस स्टाप हरदोई से पिहानी होते हुए दिल्ली जाने वाली बस इस समय न चलने से जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के लिये पुनः बस चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । हरदोई से पिहानी के मार्ग पर काफी संख्या में निजी बसों का संचालन हो रहा है । इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 99 से सीतापुर से पिहानी होते हुए दिल्ली के लिये निगम की बस सेवा संचालित की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के उ० प्र० रा० स० प० निगम बस डिपो की वर्कशाप में कर्मचारियों की व्यवस्था किये जाने की मांग

40–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के उ० प्र० रा० स० प० निगम बस डिपो हरदोई में वर्कशाप में कर्मचारियों की कमी के कारण बहुत सी बसें निष्क्रिय खड़ी रहती हैं ? क्या सरकार उक्त डिपो में कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, थाना गौरीगंज, ग्राम जगदीशपुर के श्री राम अभिलाख सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह का सिपाही के पद से निलम्बन से सम्बन्धित पत्र एवं कार्यवाही

41–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम अभिलाख सिंह पुत्र श्री पाल सिंह ग्राम–जगदीशपुर थाना गौरीगंज, सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-8-99 गृह सचिव, उ० प्र० शासन, डी० आई० जी०, लखनऊ क्षेत्र लखनऊ, पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को प्राप्त हुआ है, जो उनके रायबरेली में सिपाही के पद से निलम्बन से संबंधित मा० उच्च न्यायालय के निर्णय 29 जुलाई, 99 द्वारा निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता देने के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

अतः उक्त पत्र पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार में कमलदास कुटिया भूपतिवाला हरिद्वार के अवशेष किराये का भुगतान सरकार द्वारा किये जाने के निर्देश

42–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार में कमलदास कुटिया भूपति वाला हरिद्वार में स्थित रिजर्व पुलिस लाइन का किराया अप्रैल, 1997 के पश्चात् आज तक भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कमल कुटिया के सभी कार्य अवरुद्ध पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बकाया पड़ा किराया भुगतान करने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां,

सम्प्रति प्रकरण शासन के समक्ष परीक्षणाधीन है । मामले में सम्पत्ति के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में न्यायालय में कई वाद लम्बित हैं । अतः सम्पूर्ण विधिक स्थिति स्पष्ट हो जाने के उपरान्त ही किराये का भुगतान किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद मथुरा, थाना वृन्दावन में मुकदमा अ० सं०-384ए/98 की निष्पक्ष विवेचना संबंधी पत्र एवं कार्यवाही

43–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अ० सं०–384ए/98 थाना वृन्दावन अन्तर्गत धारा 308/147/148/325 भा० दं० वि० की निष्पक्ष विवेचना किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–1/25559/मथुरा/99, दिनांक 20-7-99 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र पर जनपद पुलिस से आख्या मांगी गयी । जनपद से प्राप्त सूचनानुसार मु० अ० सं०–384ए/98 धारा 147/148/149/332/308 भा० दं० वि०, थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा पर दिनांक 4-1-99 को अभियुक्तगण सियाराम, अर्जुन, मोहनलाल उर्फ गप्पू, राकेश उर्फ खुन्ना, खिल्ली,

रामगोपाल, श्याम उर्फ श्यामलाल, पूरन निवासी छरौरा, थाना वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। पूर्व विवेचना के आधार पर प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं०–23/99, दिनांक 25-4-99 को रोक कर अन्य विवेचक द्वारा इस अभियोग की विवेचना गुण-दोष के आधार पर पुनः करायी गयी। पूर्व प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिनांक 17-10-99 को उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त मोहनलाल उर्फ गप्पू, राकेश उर्फ खुन्ना को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया एवं दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म/आरोप साबित होने पर दिनांक 23-10-99 को आरोप-पत्र सं०–234ए/99 प्रेषित किया गया। अभियुक्त अर्जुन की झगड़े के दौरान मृत्यु हो जाने के उपरान्त, अभियोग से अलग कर दिया गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 2-12-99 को धारा 83 सी० आर० पी० सी० प्राप्त किये जाने हेतु न्यायालय को रिपोर्ट दी गयी है किन्तु न्यायालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके प्रयास जारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष मथुरा का स्थानान्तरण कर मुकदमा कायम कर कार्यवाही किये जाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

44–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष मथुरा को तत्काल प्रभाव से मथुरा से बाहर स्थानान्तरण करते हुए मुकदमा कायम करके कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–1/25887/मथुरा/99, दिनांक 28-7-99 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, थाना–सराय ख्वाजा, ग्राम राजेपुर, दयानन्द पुत्र अवध द्वारा आत्मदाह विषयक सूचना एवं कार्यवाही

45–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दयानन्द पुत्र अवध ग्राम राजेपुर, थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर ने 29 सितम्बर, 1999 को आत्मदाह करने की सूचना उन्हें एवं जिला प्रशासन जौनपुर को दी थी ? यदि हां, तो आत्मदाह करने के क्या कारण हैं और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

हां। दिनांक 29-9-99 को आत्मदाह करने की सूचना श्री दयानन्द पुत्र अवध ग्राम राजेपुर, पोस्ट एवं थाना–सराय ख्वाजा, विकास खण्ड–शाहगंज, जनपद–जौनपुर ने प्रशासन को दिया था।

ग्राम–राजेपुर के प्रधान श्रीमती चमेली देवी के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में है। ग्राम पंचायत–राजेपुर के प्रधान श्रीमती चमेली देवी के विरुद्ध अन्तिम जांच में मु० 22085.00 का दुरुपयोग पाया गया है जिसके लिये प्रधान को दिनांक 26-11-99 एवं दिनांक 20-12-99 को नोटिस दी गयी तथा उनसे 31-12-99 तक स्पष्टीकरण मांगा गया। उक्त जारी नोटिस के क्रम में प्रधान द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 1-1-2000 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं है अज्ञानता में अधिक धनराशि व्यय हुआ है। उसके सापेक्ष विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। जिसकी समीक्षा स० जि० पं० राज० अ० (तक०) से करायी गयी। समीक्षा की तिथि तक प्रधान द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। जिसके क्रम में ग्राम पंचायत का

खाता संचालन कार्यालय के पत्रांक 3052 दिनांक 01-02-2000 द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद लखनऊ में पुलिस विभाग में स्वीकृत पद एवं पिछड़ी जातियों का प्रतिशत प्रभार दिया जाना

46–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी उप निरीक्षक थाना और प्रभारी उप निरीक्षक चौकी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से पिछड़ी जाति के पुलिस कर्मियों को जनपद में कितना प्रतिशत प्रभार दिया गया है ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद लखनऊ में पुलिस उपाधीक्षक के 11, प्रभारी निरीक्षक के 18, प्रभारी थानाध्यक्ष के 16 एवं प्रभारी चौकी के 4 पद स्वीकृत हैं।

उक्त पदों के सापेक्ष वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक पद पर 15 प्रतिशत, प्रभारी निरीक्षक के पद पर 5.5 प्रतिशत, प्रभारी थानाध्यक्ष के पद पर 25 प्रतिशत एवं प्रभारी चौकी के पद पर 25 प्रतिशत पिछड़ी जाति के अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं।

जिला हरदोई, राजकीय रोडवेज बस स्टैण्ड पर पेयजल की व्यवस्था की मांग

47–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज जि० हरदोई बस स्टैण्ड पर जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प के खराब पड़े होने के कारण यात्रियों को पेयजल की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पेयजल की सुचारु रूप से व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं। प्रश्नगत स्थल पर पेयजल सुलभ है।

जनपद हरदोई मुख्यालय के राजकीय बस अड्डे से दिल्ली जाने वाली स्वीकृत 8 बसों को पुनः चलाये जाने की मांग

48–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई मुख्यालय के राजकीय बस अड्डे से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की स्वीकृति 8 बसों के लिये दी गई है ? क्या वर्तमान में केवल तीन ही बसें चलने के कारण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष 5 गाड़ियों को चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

जी नहीं। वर्तमान में हरदोई होते हुए निगम के विभिन्न डिपो की 14 बसें दिल्ली के लिये संचालित की जा रही हैं जो पर्याप्त हैं।

जनपद हरदोई के राजकीय बस डिपो में कल पुर्जों की व्यवस्था की मांग

49–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई मुख्यालय के राजकीय बस डिपो में कल पुर्जों के अभाव के फलस्वरूप निष्क्रिय बेकार खड़ी बसों की मरम्मत न हो पाने के कारण सरकार

को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है तथा जनता को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिपो में कल पुर्जों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में परिवहन निगम का डिपो शहर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने की मांग

50–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सहारनपुर में परिवहन निगम का डिपो शहर के बीचो बीच में होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती है एवं आवागमन अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । प्रश्नगत डिपो को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ में मिट्टी के तेल के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें एवं पूर्ति निरीक्षक की तैनाती

51–श्री सौलत अली–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में मिट्टी के तेल के वितरण से संबंधित दिनांक 1-1-1999 से 18-6-99 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इन गम्भीर अनियमितताओं में लिप्त पूर्ति निरीक्षक की शासकीय नीति के विरुद्ध उपरोक्त तहसील में तीन वर्षों में तीन बार तैनाती की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 1-1-99 से 18-6-99 तक कुल 7 शिकायती पत्र प्राप्त हुए । प्रकरण में कोई दोषी नहीं पाया गया, इसलिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

संबंधित पूर्ति निरीक्षक की तैनाती बाराबंकी की विभिन्न तहसीलों में विभिन्न अवधि में की गयी तथा वर्तमान समय में वह हैदरगढ़ तहसील में दिनांक 5-4-99 से तैनात है । यह तैनाती जनहित को ध्यान में रखकर की गयी है ।

जनपद सुल्तानपुर में खोले गये कादीपुर बस डिपो के लिये बसें, वर्कशाप, स्टाफ की जानकारी दिये जाने की मांग

52–श्री काशीनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कादीपुर जनपद सुल्तानपुर में रोडवेज डिपो खोला गया है ? यदि हां, तो उक्त डिपो को आवश्यक बसें, वर्कशाप, स्टाफ एवं अन्य सुविधायें प्रदान कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण इस स्थान पर डिपो का खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर में स्वीकृत मुन्सिफ कोर्ट के लिये समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने की जानकारी

53–श्री काशीनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कादीपुर जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत मुन्सिफ कोर्ट की समस्त औपचारिकता पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा नये पदों के सृजन पर रोक होने के कारण ।

जनपद जौनपुर के जेल विजिटर श्री अमरजीत सिंह व नीरज कुमार गुप्ता द्वारा जेल में व्याप्त अव्यवस्था से सम्बन्धित ज्ञापन पर कार्यवाही

54–श्री अफजाल अहमद–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के जेल विजिटर श्री अमरजीत सिंह व नीरज कुमार गुप्ता ने जिला जेल जौनपुर में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में दिनांक 1 मई, 1999 से 31 अगस्त, 1999 के मध्य दिया गया ज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जिला कारागार, जौनपुर के तत्कालीन जेल विजिटर श्री अमरजीत सिंह व श्री नीरज कुमार गुप्ता के द्वारा दिनांक 1 मई, 1999 से 31-8-99 की अवधि के बीच जिला कारागार, जौनपुर के दिनांक 23-6-99 को किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित टिप्पणी उक्त जेल वीक्षकों द्वारा उक्त जेल का दिनांक 9-11-99 को किये गये निरीक्षण टिप्पणी के साथ संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई ।

उपर्युक्त जेल वीक्षकों द्वारा उनके पत्र दिनांक 23-6-99 में दिये गये सुझावों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

गृह अभियोजन विभाग में समूह 'ग' के रिक्त पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानकारी

55–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गृह अभियोजन विभाग में समूह "ग" के 90 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

समूह "ग" के विभिन्न पदों पर जो चयन की कार्यवाही की गयी उसमें जिला स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर के पदों हेतु उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

श्री संजय भाई उर्फ अहमद अली, निवासी सिकन्दरपुर, जिला बलिया को न्याय दिलाने विषयक प्रमुख सचिव, गृह, उ० प्र० शासन को प्रेषित पत्र

56–श्री मुराद लारी, श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री छोटे लाल राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री ने प्रमुख सचिव गृह, उ० प्र० शासन को पत्र सं०–318, दिनांक 1-10-99 द्वारा संजय भाई उर्फ अहमद अली, निवासी–सिकन्दरपुर, जिला बलिया को न्याय दिलाने की मांग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीराम प्रकाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में शिवा पेपर मिल धमौरा के जहरीले पानी से उत्पन्न बीमारी की रोकथाम की मांग

57–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर में शिवा पेपर मिल धमौरा के काले जहरीले पानी के नाले में गिरने से बीमारी फैल रही है ? क्या उक्त नाले के किनारे लगभग सौ गांवों के नलों में भी काला पानी आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में पी० सी० एफ० के सेमरी जमालपुर शीतगृह तथा डी० सी० एफ० आजमगढ़ के शीतगृह दोहरीघाट में सड़े हुए आलू का प्रतिकर किसानों को भुगतान की मांग

58–श्री समर पाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–117 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेमरी जमालपुर में वर्ष 1997 में सड़े हुए आलू के प्रतिकर का भुगतान किसानों को किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रकरण न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, मऊ, उत्तर प्रदेश में भण्डारकर्ताओं के "वाद" विचाराधीन है।

मा० न्यायालय के निर्णय के बाद स्थिति के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के निर्णयानुसार आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान उच्चीकृत करके वैयक्तिक सहायक के समान किये जाने की मांग

59–श्री राम पाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त विभाग को सन्दर्भित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-3-1999 के क्रम में समता समिति–1989 के परिप्रेक्ष्य में वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के निणर्यानुसार 1-1-1986 से आशुलिपिक संवर्ग वेतनमान 515–860 का पुनरीक्षित साधारण वेतनमान 1640–2900 पदनाम वैयक्तिक सहायक निर्धारित हुआ था ? क्या आशुलिपिक पद को उच्चीकृत करके पदनाम वैयक्तिक सहायक वेतनमान 1640–2900 कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या वैयक्तिक सहायक पद पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु 1-1-86 के पूर्व आशुलिपिक के पद पर की गयी सेवा को गणना में लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं ।

राजकीय विभागों, (सचिवालय/समकक्ष विभाग तथा शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर) आशुलिपिक संवर्ग के पद केन्द्र सरकार के सादृश्य पर विभाग में उपलब्ध अधिकारियों के वेतनमानों के आधार पर रु० 1200–2040, रु० 1400–2600, रु० 1640–2900 तथा रु० 2000–3200 में विभाजित किये गये हैं । उक्त वेतनमान किसी पदधारक को संवर्ग में उसकी ज्येष्ठता के आधार पर देय है । इसमें वेतनमानों का उच्चीकरण नहीं हुआ है । रुपया 4500–5700 या उससे अधिक किन्तु रु० 5900–6700 से कम वेतनमान वाले अधिकारी से सम्बद्ध आशुलिपिक को रु० 1640–2900 का वेतनमान देते हुए पदनाम वैयक्तिक सहायक रखने का निर्णय है ।

आशुलिपिक संवर्ग में आशुलिपिक पद पर दिनांक 1-1-1986 से पूर्व समकक्ष वेतनमान में की गयी सेवा को गणना में लिया जायेगा परन्तु आशुलिपिक संवर्ग के पदों के विभाजन संबंधी शासन के निर्णय के अनुसार जहां किसी पदधारक को प्रति स्थानी वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त हो गया है तो उसके द्वारा दिनांक 1-1-1986 से पूर्व के निम्न वेतनमान में की गयी सेवा को समयमान वेतनमान के लाभ हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को प्रति स्थानी वेतनमान से उच्च वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है ।

जनपद हरदोई में थाना पाली व पचदेवरा के अन्तर्गत पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जबरन शस्त्र लाइसेन्स जमा कराये जाने पर कार्यवाही की मांग

60–श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि तेरहवीं लोक सभा चुनाव में शस्त्र लाइसेंस न जमा कराने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे ? क्या इसके बाद भी जनपद हरदोई में थाना पाली व पचदेवरा के अन्तर्गत पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस जबरन जमा कराये गये ? यदि हां, तो क्या न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में उक्त पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त वही शस्त्र दाखिल किये गये हैं जिनको शस्त्र धारको ने स्वेच्छा से जमा किया है ।

उपर्युक्त को देखते हुए किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

61–श्री अजय कुमार पोइया–

(3रे बुधवार में अंता० प्र० सं०–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मुजफ्फरनगर, थाना पुरकाजी अन्तर्गत दिनांक 19-2-98 को हुई पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ का विवरण

62–श्री नेतराम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी अन्तर्गत दिनांक 19-2-98 को पुलिस मुठभेड़ में मिन्टू बंजारे गैंग के किन-किन बदमाशों को मारा गया था तथा इन्हें मार गिराने वाले पुलिस कर्मी कौन-कौन थे ? क्या यह सही है कि सरकार ने मारे गये उक्त बदमाशों पर रु० 50,000 तथा आउट आफ टर्न प्रमोशन का इनाम घोषित किया था ? यदि हां, तो घोषित ईनाम किस-किस को कब और कितना-कितना दिया गया तथा आउट आफ टर्न प्रमोशनं किस-किस को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी अन्तर्गत दिनांक 19-2-98 को पुलिस मुठभेड़ की कोई घटना नहीं हुई तथा जनपद मुजफ्फरनगर में मिन्टू बंजारे नाम का कोई गैंग सूचीबद्ध नहीं है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

प्रदेश में धान मिलों से पर्यावरण प्रदूषण की जांच कराने का प्राविधान एवं मूलचन्द राईस मिल, सीतापुर रोड, लखनऊ की जांच कराकर कार्यवाही की मांग

63–श्री तेजभान सिंह–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में धान मिलों के पर्यावरण प्रदूषण की जांच कराने का क्या प्राविधान है ? वर्ष 1999 में लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत कितने मिलों की जांच की गयी ? क्या मूलचन्द राईस मिल, महाराजा अग्रसेन नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से वहां के नागरिकों में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

धान मिलों के पर्यावरण प्रदूषण की जांच के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में प्राविधान है । उक्त अधिनियमों की धारा–18 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कतिपय उद्योगों को नियमित निरीक्षण से छूट प्रदान की गयी है जिसमें धान मिल भी सम्मिलित है । केवल विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसे उद्योगों का आकस्मिक निरीक्षण करने की व्यवस्था की गयी है ।

वर्ष 1999 में एक राईस/दाल मिल की जांच की गयी ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद स्तर पर अग्नि शमन विभाग में तकनीकी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति

64–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा में परिक्षेत्र स्तर पर अग्निशमन विभाग का तकनीकी राजपत्रित अधिकारी मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के रूप में कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद स्तर पर अग्नि शमन विभाग के तकनीकी राजपत्रित अधिकारी नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर भी की जायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

परिक्षेत्र (मण्डलीय) स्तर पर अग्निशमन विभाग का कोई अधिकारी तैनात नहीं है परन्तु परिक्षेत्र (मण्डल) मुख्यालय वाले जनपदों–लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, देहरादून, बरेली, मुरादाबाद एवं नैनीताल में अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी तैनात हैं। परिक्षेत्र मुख्यालय के अतिरिक्त जनपद मुख्यालयों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान पर्यवेक्षण व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

जिला स्तर पर फायर सर्विस में डी० डी० ओ० की नियुक्ति

65–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लेखा शीर्षक–2070 से सिविल डिफेंस होमगार्ड व फायर सर्विस का वेतन आहरित किया जाता है ? क्या सिविल डिफेंस में उसी विभाग के डी०डी०ओ० आफीसर नियुक्त है किन्तु फायर सर्विस में उसी विभाग का डी०डी०ओ० आफीसर नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार फायर सर्विस में उसी विभाग के डी-डी०ओ० की नियुक्ति जिला स्तर पर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी, हां।

जी, हां।

जी, नहीं।

जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक प्रभारी अग्निशमन शाखा के आहरण वितरण अधिकारी होते हैं। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा जनपद बलिया के सिकन्दरपुर निवासी संजय भाई उर्फ अहमद अली के प्रकरण में सी० बी० सी० आई० डी० जांच विषयक पत्र

66–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि माह अक्टूबर, 1999 में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह ने बलिया जनपद के सिकन्दरपुर निवासी संजय भाई उर्फ अहमद अली के प्रकरण में सी०बी०सी०आई०डी० जांच कराये जाने की मांग सम्बन्धी पत्र लिखा था ? क्या सी०बी०सी०आई०डी० से इस प्रकरण की जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं। ऐसा कोई पत्र गृह विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ऊर्जा मंत्री जी का पत्र दिनांक 9-9-99 प्राप्त हुआ है। सी० बी० सी० आई० डी० जांच का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकान प्राप्त करने हेतु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र एवं उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष डा० दिनेश शर्मा का पत्र एवं कार्यवाही

67–श्री अफजाल अहमद–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकान प्राप्त करने हेतु 1 जनवरी, 1999 से 31-10-99 के मध्य औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त सहकारी समितियों के सम्बन्ध में उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष, डा० दिनेश शर्मा का पत्र दिनांक 10-8-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित किये जाने के संबंध में शासन को निम्न प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं :—

प्रार्थनाकर्ता का नाम	दिनांक
1–बांके लाल सोनकर माननीय विधायक	11-1-99
2–बांके लाल सोनकर माननीय विधायक	16-2-99

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, जौनपुर को इस संबंध में 3 अन्य प्रार्थना-पत्र पत्र प्राप्त हुए हैं ।

प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर को निर्देशित कर दिया गया है ।

जी हां ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है । राशन की दुकानों के चयनहेतु नई व्यवस्था निर्धारित की जा रही है, इसलिये राशन की दुकानों के चयन संबंधी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गयी है ।

जनपद सीतापुर के थानाध्यक्ष, मछरेहटा द्वारा श्रीमती रजनी पत्नी विपिन बिहारी नि० ग्रा० हालूपुरा, पो० बीहटवीरम के खाते से रुपया निकाले जाने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

68–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के थानाध्यक्ष मछरेहटा ने श्रीमती रजनी पत्नी विपिन बिहारी नि०ग्रा० हालूपुर पो० बीहटवीरम, सीतापुर की भागीरथ ग्रामीण बैंक मछरेहटा खाता संख्या 7681 पृष्ठ सं० 175/13 से जबरन दिनांक 18-5-99 को विड्राल फार्म पर हस्ताक्षर कर रुपया निकाल लिया है जिसकी सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दी गयी थी परन्तु दिनांक 5-6-99 तक पैसा वापस नहीं कराया गया है ? क्या रुपये वापस किये जाने के आदेश सरकार निर्गत करेगी तथा दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, बल्कि श्री विपिन बिहारी शुक्ला पुत्र श्री गनेश प्रसाद शुक्ला की बुआ श्रीमती सुर्जरानी पत्नी स्व० कृष्ण बिहारी मिश्रा द्वारा सकलित की गयी धनराशि रु० 18,000/- श्री विपिन बिहारी शुक्ला को अपने खाते में जमा करने के लिये दिया था । किन्तु श्री विपिन बिहारी शुक्ला ने उक्त धनराशि अपनी पत्नी श्रीमती रजनी के खाता संख्या–7681, भागीरथ ग्रामीण बैंक मछरेहटा में रु० 17,500/- जमा किया गया तथा इस धनराशि को जमा करने के बाद दो बार

रुपया 1000/-, रु० 1000/- करके श्रीमती रजनी द्वारा निकाला गया । इसकी जानकारी बेवा श्रीमती सुर्जरानी को जब हुई तो उन्होंने स्व० श्री नागेन्द्र सिंह की पत्नी ग्राम बीहटवीरम को उक्त स्थिति से अवगत कराया । स्व० नागेन्द्र सिंह की पत्नी द्वारा दूरभाष पर थानाध्यक्ष मछरेहटा ने श्रीमती सुर्जरानी के साथ घटित घटना के संबंध में बताया और उसका पैसा व सामान वापस कराने की बात कही । बेवा श्रीमती सुर्जरानी के हित को ध्यान में रखकर न्यायहित में थानाध्यक्ष मछरेहटा ने श्रीमती रजनी पत्नी श्री विपिन बिहारी से रु० 10,000/- दिनांक 18-5-99 को बैंक से निकलवाकर बेवा श्रीमती सुर्जरानी को उपलब्ध करा दिया । दोनों पक्षों के समझौता के अनुसार रु० 8,000/- श्रीमती सुर्जरानी, श्रीमती रजनी द्वारा दिया जाना है । थानाध्यक्ष मछरेहटा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात श्री माता प्रसाद सिंह स० आ० प्र० वि० सरायगार्ड शिवगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की मृत्यु हो जाने पर बीमा राशि भुगतान किये जाने की मांग

69–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 अक्टूबर में विधान सभा चुनाव के दौरान दोनों पैरों से विकलांग श्री माता प्रसाद सिंह, स०आ०प्र०वि० सरायगार्ड शिवगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की चुनाव ड्यूटी के दौरान 9-10-96 को हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया था ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश पत्र सं०/निर्वा०/29-181, दिनांक 25 सितम्बर, 96 के अनुसार चुनाव ड्यूटी के समस्त कर्मचारियों का बीमा 27-9-96 से दिनांक 12-10-96 तक आकस्मिक मृत्यु होने या दुर्घटना पर 5 लाख रुपये की धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक बीमा की धनराशि उनके परिवार को नहीं उपलब्ध करायी गयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी बीमें के भुगतान का आदेश निर्गत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री माता प्रसाद सिंह का स्वर्गवास दिनांक 9-10-96 को हुआ जबकि वे चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे । चुनाव ड्यूटी से उन्हें दो दिन पूर्व दिनांक 7-10-96 को कार्यमुक्त किया जा चुका था ।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-निर्वा०/29-181, दिनांक 25 सितम्बर, 1996 द्वारा शासनादेश दिनांक 20-9-96 के दुर्घटना बीमा संबंधी प्राविधानों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी । सुसंगत शासनादेश के अनुसार दुर्घटना बीमा की प्रश्नगत योजना दिनांक 27 सितम्बर, 1996 से 12 अक्टूबर, 1996 की अवधि के लिए लागू थी । इसके अन्तर्गत उक्त अवधि में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर या दोनों पैर, दोनों आंखें अथवा एक पैर या एक आंख स्थायी रूप से नष्ट हो जाने पर अधिकतम बीमा की राशि रुपये 5 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया था । श्री माता प्रसाद सिंह का स्वर्गवास किसी दुर्घटना में न होकर चुनाव ड्यूटी से अवमुक्त होने के दो दिन पश्चात दिनांक 9-10-1996 को हृदयगति रुकने से हुआ । हृदयगति रुकने से मृत्यु का प्रकरण बीमा पालिसी की शर्तों में दुर्घटना मृत्यु के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, थाना बख्शी का तालाब के श्री डगरू पासी निवासी ग्राम कठवारा की हवालात की गाड़ी में मौत होने पर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

70–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि डगरू पासी निवासी ग्राम कठवारा थाना बख्शी तालाब जनपद लखनऊ को 10 जून, 1996 को थानाध्यक्ष द्वारा एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के अन्तर्गत फर्जी

चालान किया गया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 31-10-96 को जेल से लखनऊ कचेहरी से पेशी से वापस जेल जाते समय कैदी वाहन के अन्दर ही उसकी हत्या की गयी है ? क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या इस दुर्घटना की जांच सी०आई०डी० द्वारा करायी जायेगी ? क्या इस हत्या के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री डगरू पासी निवासी ग्राम कठवारा को थानाध्यक्ष बख्शी का तालाब द्वारा दिनांक 9-6-96 को 20 ग्राम नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था एवं तदोपरान्त दर्ज मु०अ०सं०-283/96 धारा 20(8)(2) एन०डी०पी०एस०एक्ट में आरोप सिद्ध होने पर तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 4-9-96 को आरोप पत्र संख्या–154 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, आलमबाग से करायी गयी । जांचोपरान्त इस घटना में किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया । तथ्य इस प्रकार है कि इस घटना के संबंध में दर्ज मु० अ० सं०–400/96 धारा 147/436/302 भा० दं० वि० व 3(2)5 एचसी एससी एक्ट थाना आलमबाग में हवालात की गाड़ी में ही मौजूद अन्य कैदी विनोद यादव, अजय यादव, हित किशोर, मनोज, छोटे लाल, राजेश ठाकुर एवं वसीम को उक्त हत्या हेतु दोषी पाया गया एवं उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । विवेचना से पाया गया कि हवालात की गाड़ी पर उपलब्ध पुलिस बल जब तक दरवाजा खोलकर अन्दर पहुंचते तब तक उक्त विचाराधीन कैदी डगरू पासी की मृत्यु हो चुकी थी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में दर्ज मु० अ० सं०–400/96 की विवेचना क्षेत्राधिकारी आलमबाग द्वारा की जा चुकी है एवं आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 16-1-97 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो कि सत्र न्यायालय द्वितीय लखनऊ में विवेचनाधीन है । अतः सी० आई० डी० जांच का कोई औचित्य नहीं है ।

विवेचना से पुलिस कर्मचारियों को दोषी नहीं पाया गया है । अतः उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के उ० प्र० परिवहन निगम डिपो में स्थित कैन्टीन ठेकेदार द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली के संबंध में थाना कोतवाली सीतापुर में दर्ज मुकदमा एवं कार्यवाही

71–श्री रमेश राही–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी प०सं०–1212/एफ०ए०/97/-5एफ ए जनरल/ओ०सी०94, दिनांक 9 मई, 1997 के विरुद्ध जनपद सीतापुर के उ० प्र० परिवहन निगम डिपो में स्थित कैन्टीन ठेकेदार द्वारा यात्रियों को पानी पिलाये जाने पर अवैध वसूली की जा रही है ? क्या इसी को लेकर दिनांक 2-7-97 को सतीश शुक्ला चालक उ० प्र० रा० सड़क परिवहन निगम से विवाद भी हुआ था जिसका मु०अ०सं०–389/97, धारा 332/324/506 आई०पी०सी० थाना कोतवाली सीतापुर में दर्ज किया गया ? क्या इस घटना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी है ।

प्रश्नगत वाद सी० जे० एम० सीतापुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद बस्ती, जौनपुर तथा बहराइच की पुरानी जेलों के टिन शेड के प्रशासनिक भवनों का निर्माण नई जेलों के मानक के अनुसार कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

72–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती, जौनपुर तथा बहराइच की पुरानी जेलों के टिन शेड के प्रशासनिक भवनों का निर्माण नई जेलों के मानक के अनुसार कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह नवम्बर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां । जिला कारागार जौनपुर का प्रशासनिक भवन टिन शेड वाला नहीं है । जिला कारागार बस्ती व बहराइच के प्रशासनिक भवन एसी शीट/टिन शेड वाले हैं । उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत इन भवनों की आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाती है तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 में भी अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

निर्धारित मानक के अनुसार प्रशासनिक भवनों के पुनर्निर्माण में निहित वित्तीय उपाश्रय एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति टिन शेड वाले भवनों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

73–श्री बांकेलाल सोनकर–

[दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

74–श्री जोखूलाल यादव–

[दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर, थाना हरगांव में दर्ज मुकदमा अ० सं०–152/99 पर की गयी कार्यवाही

75–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के थाना हरगांव में दर्ज मुकदमा अ०सं०–152/99 धारा 147, 148, 149 धारा 302/323 आई०पी०सी० के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नामजद किया गया है ? नामजद कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं ? उनको गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद सीतापुर के थाना हरगांव में दर्ज मु० अ० सं०–152/99 धारा 147/148/149/302/323 भा० दं० वि० में पांच व्यक्तियों को प्रथम सूचना में नामजद किया गया है ।

नामजद पांचों अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदयराज यादव, सदस्य, विधान सभा एवं उ० प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य का आनन्दनगर, आलमबाग के मकान पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

76–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उदयराज यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1999 जो विधायक कोष्ठक के माध्यम से उन्हें भेजा गया था और जिसकी एक प्रति एस०एस०पी० लखनऊ को भी दी गयी थी तथा इसी सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोकतान्त्रिक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कासिम अली का पत्र जो होमगार्ड राज्य मंत्री द्वारा उनको माह मार्च, 1999 के अन्तिम सप्ताह में भेजा गया था, जो आनन्दनगर, आलमबाग के मकान पर कराये गये अवैध कब्जे से सम्बन्धित था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण में एफ०आई०आर० दर्ज कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1996 से 1999 तक इसकी एफ०आई०आर० दर्ज न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उपरोक्त दोनों पत्रों में अंकित बिन्दुओं की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । श्री उदय राज यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1999 का न होकर 13 अगस्त, 1999 का है ।

जी नहीं । जांच से किरायेदारी का विवाद होना पाया गया जो कि सिविल न्यायालय से सम्बन्धित है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी आलमबाग से करायी गयी । जांच से पाया गया कि प्रश्नगत मकान में श्रीमती कृष्णा कुमारी किराये पर रहती हैं । शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाये गये ।

जांच क्षेत्राधिकारी, आलमबाग द्वारा की जा चुकी है।

जांच सम्पादित की जा चुकी है । अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हाथरस, तहसील सिकन्दराराऊ, ग्राम पोरा में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की मांग

77–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोरा, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस में पुलिस चौकी की स्थापना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुलिस चौकी कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस में मानक के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था किये जाने की मांग

78–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद हाथरस में क्या मानक के अनुरूप पुलिस बल की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां,

नवसृजित जनपदों के मानक के अनुसार 157 पद सहवर्ती स्टाफ के लिये स्वीकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली अकबरपुर निवासी रामचनईपुर के श्री राम सुरेश सिंह पुत्र श्री राम नरेश के यहां हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज किये जाने की मांग

79–श्री राम हर्ष सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सुरेश सिंह पुत्र श्री राम नरेश निवासी ग्राम चनईपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के यहां दिनांक 30-8-99 को हुई चोरी की तहरीर लिखकर कोतवाली अकबरपुर में दी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक मुकदमा कायम न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार रिपोर्ट दर्ज करवाने एवं कोतवाली द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

दिनांक 26-12-99 को मुकदमा अपराध संख्या–808/99 पंजीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की सरकारी संस्थाओं में जांच के उपरान्त लाभांश का शीघ्र वितरण कराने की मांग

80–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–88 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या समितियों के अंश धारकों को लाभांश वितरण हो गया है ? यदि हां, तो कब एवं उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समितियों को अपेक्षित लाभ न प्राप्त होने के कारण लाभांश का वितरण नहीं किया गया है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, निवासी ग्राम नयागांव, पोस्ट–बहोड़ा घाट के श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र श्री राम शंकर वर्मा के शिकायती-पत्र पर सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से मांगी गयी जांच आख्या एवं कार्यवाही

81–श्री लालजी वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र श्री राम शंकर वर्मा, निवासी ग्राम नयागांव, पोस्ट–बहोड़ा घाट, जिला अम्बेडकर नगर के शिकायती-पत्र पर उप निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, फैजाबाद मण्डल द्वारा दिनांक 30 जून, 1999 को सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नगर से उक्त शिकायतों की जांच आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषीजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायत निराधार पायी गयी ।

82–श्री उबैदुर्रहमान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा, थाना सदर निवासी म० नं० ई-2/1289 श्री असरफ अली के अपहरण के संबंध में विधायक का पत्र एवं जांच

83–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं०–सी०एम०/वि०को/एम–2/27098, दिनांक 25-10-99 गोण्डा व पत्र संख्या–क–407702, दिनांक 18-11-99 व पत्र संख्या–क–26658, दिनांक 16-10-99 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या पत्रों में वर्णित तथ्यों की जांच विन्दुवार कराकर अपहरण किये गये श्री असरफ अली निवासी म०नं० ई–2/1289 थाना सदर जनपद आगरा को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करायी गयी । जांच में पाया गया कि प्रकरण के संबंध में वादी श्री जहीर खां की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु० अ० सं०–946/99 धारा 364 भा० दं० वि० बनाम गुरजीत सिंह उर्फ गुरुप्रीति सिंह, नरेन्द्र उर्फ कल्लू व अजय चौधरी उर्फ चुन्ने उर्फ अग्निवेश के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना के मध्य तीनों नामित अभियुक्त दिनांक 3-10-99 को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं । अपहृत असरफ की तलाश जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के नि० मो० कुंअर गंज तिलहर के श्री चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद मिश्र द्वारा कोतवाली तिलहर में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही

84–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद मिश्र नि० मो० कुँअर गंज तिलहर जनपद शाहजहांपुर ने दिनांक 13-10-99 को कोतवाली तिलहर में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसकी संख्या 352185 है ? यदि हां, तो प्रभारी निरीक्षक तिलहर ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

वादी श्री चन्द्रशेखर मिश्र की सूचना पर दिनांक 13-10-99 को चिक गैर दस्तन्दाजी संख्या–348/99 धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत की गयी । थाना तिलहर की पुलिस को जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मुल्जिमान रतिराम, बहादुर, महेश पर वादी श्री चन्द्रशेखर मिश्र के

रु० 2100/- उधार थे जिनको वापस मांगने पर आपस में झगड़ा हुआ। बाद में दिनांक 9-12-99 को वादी श्री चन्द्रशेखर एवं विपक्षीगण रतीराम आदि ने कस्बा तिलहर में संभ्रान्त व्यक्तियों को बीच में डाल कर अपना फैसला कर लिया है। वादी एवं प्रतिवादी प्रकरण में अब किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं। चूंकि यह मामला अहस्तक्षेपीय अपराध की श्रेणी में आता था। इसलिए इसकी विवेचना पुलिस स्तर से नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खण्ड पीठ स्थापित किये जाने पर विचार किये जाने की मांग

85–श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मुदकमों को शीघ्र निस्तारण तथा जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खण्ड पीठ स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–1 (संघसूची) की प्रविष्टि संख्या–78 में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ बनाने की विधायी क्षमता संसद में निहित होने के कारण संदर्भित बिन्दु भारत सरकार के विचार का बिन्दु है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, थाना–आसपुर देवसरा, निवासी ग्राम कोटिया के श्री बजरंगी सिंह, श्री सूर्यभान सिंह तथा श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

86–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बजरंगी सिंह, श्री सूर्य भान सिंह तथा श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी ग्राम–कोटिया, थाना–आसपुर देवसरा, जनपद–प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक को मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-10-1999 पर क्या मुदकमा पंजीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका मुकदमा अपराध संख्या क्या है ? क्या उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपि दिनांक 27-10-1999 को पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद को भी फैक्स द्वारा भेजी गयी थी, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, श्री बजरंगी सिंह, श्री सूर्यभान सिंह तथा श्री रामचन्द्र सिंह नि० ग्राम कोटिया, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 21-10-99 को कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को दिया जाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अभिलेखानुसार नहीं पाया गया।

जी हां, पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद के पत्र द्वारा श्री बजरंगी सिंह पुत्र द्वारिका सिंह एवं श्री रामचंद सिंह पुत्र श्री लालता प्रसाद सिंह नि० कोटिया, थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुए थे। जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से करायी गयी। आवेदक ने अपने शिकायती पत्र में मु० अ० सं०–90/99 धारा 147/323/325/308/504/506 भादवि व 3(1) 10 एस सी/एस टी एक्ट थाना आसपुरदेवसरा के विवेचक श्री बनवारी लाल, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, पट्टी पर जातिगत आधार पर वादी की मदद करने तथा थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा पर कतिपय आरोप लगाये हैं। जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। श्री सूर्य भान सिंह पुत्र राम नरेश सिंह निवासी ग्राम कोटिया का प्रार्थना-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम

से प्राप्त हुआ था जिसकी जांच से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की भी पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री लाल बहादुर मौर्य के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच तथा कार्यवाही की मांग

87–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री लाल बहादुर मौर्य के विरुद्ध सतर्कता जांच कराने सम्बन्धी शासन के आदेश दिनांक 30-5-1997 पर जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? कौन-कौन लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

शासन के सतर्कता विभाग द्वारा श्री लाल बहादुर मौर्य पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध जांच के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र एवं कार्यवाही

88–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र जो पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध था संख्या–ग–2 नं० 631884, 631885, 631886, ग-2 440020, ग-2 440036, दिनांक 20-1-1999 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? क्या उक्त की प्रतियां डी०आई०जी० इलाहाबाद को भी फैक्स द्वारा दिनांक 21-1-1999, 26-2-1999, 30-3-1999 प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सन्दर्भित शिकायती-पत्रों में से विभाग को प्राप्त तीन में जांच करायी गयी । आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

जनपद लखनऊ, आलमबाग, आजादनगर निवासी श्री एम० आई० वारसी पुत्र श्री निजामुद्दीन वारसी का मुख्य लेखाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र० लखनऊ (श्री अवधेश चन्द्र दुबे) के विरुद्ध दिया गया शिकायती-पत्र

89–श्री मतेशचन्द्र सोनकर तथा श्री इन्द्रजीत सरोज–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम०आई० वारसी पुत्र श्री निजामुद्दीन वारसी, नि० आजाद नगर, आलमबाग, लखनऊ द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र० लखनऊ (श्री अवधेश चन्द्र दुबे) के विरुद्ध वित्तीय अनियमिततायें, जालसाजी, भ्रष्टाचार एवं अधिकारों का दुरुपयोग करने सम्बन्धी पत्र मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, वित्त को दिनांक 7-10-1998 व 29-4-1999 को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

शिकायती-पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की जांच निदेशक, कोषागार से करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

90-श्री मतेशचन्द्र सोनकर तथा श्री इन्द्रजीत सरोज–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितिया एवं पंचायतें, उ० प्र० लखनऊ के प्रदेश में स्थित कार्यालयों में समूह 'ग' के पदों की स्थिति एवं भरे जाने की कार्यवाही किये जाने की मांग

91–श्री मतेशचन्द्र सोनकर तथा श्री इन्द्रजीत सरोज–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र० लखनऊ के प्रदेश में स्थित समस्त कार्यालयों में समूह "ग" में विभिन्न संवर्गों में कुल कितने पद रिक्त हैं ? उसमें आरक्षित वर्ग के कितने पद हैं ? क्या सरकार समस्त रिक्त पदों को आरक्षण कोटे को ध्यान में रखते हुए भरने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां।

834 पद रिक्त हैं।

अग्रेनित 125 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल आरक्षित पद 317 हैं।

रिक्त पदों को शासनादेशों एवं सेवा नियमावलियों के अनुरूप पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर चयन समिति के माध्यम से आरक्षण कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है।

उपरोक्तानुसार आरक्षण कोटा भरने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर के श्री अमरजीत सिंह निवासी सरोज भवन रिजवी खां (सराय) पो० सदर का थानाध्यक्ष खेतासराय के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं कार्यवाही

92–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमरजीत सिंह निवासी सरोज भवन रिजवी खां (सराय) पो० सदर, जिला जौनपुर का थानाध्यक्ष खेतासराय जनपद जौनपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 5-2-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जौनपुर से जांच कराई गई। उनकी जांच आख्या से यह पाया गया कि श्री बिन्देश्वरी प्रसाद गुप्ता व श्री दीन मोहम्मद आदि निवासीगण मानीकला के मध्य महर्षि विद्या मन्दिर स्कूल के परिसर में दरवाजा लगाने के विवाद को लेकर उत्पन्न हुई शान्ति व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए थानाध्यक्ष खेतासराय श्री कृष्ण मुरारी शर्मा द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध 151/107/116 जा० फौ० की कार्यवाही की गयी। तदोपरान्त श्री बिन्देश्वरी प्रसाद के साथ मार-पीट करने पर अभियुक्त शकील आदि 14 नफर के विरुद्ध मु०अ०सं०–24/99 धारा 147/332/504/506 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात् विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हेतु प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया। सारे प्रयास विफल होने के कारण स्कूल की बची हुई भूमि की बाउन्ड्री वाल कराकर विवाद का निस्तारण करा दिया गया है। इस प्रकरण में थानाध्यक्ष खेतासराय श्री कृष्ण मुरारी शर्मा द्वारा वर्ग विशेष का उत्पीड़न किये जाने की बात जांच में परिलक्षित नहीं हुई।

जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में पेंशनरों की सुविधा हेतु कोषाधिकारी की नियुक्ति

93–श्री सिंहासन सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि तहसील जमनियां जनपद गाजीपुर में पिछले तीन वर्षों से उप कोषाधिकारी नियुक्त न होने के कारण पेंशनरों को पेंशन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील जमनियां, जनपद गाजीपुर में उप कोषाधिकारी की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं ।

तहसील जमानियां में उपकोषाधिकारी के पद पर श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव की तैनाती आदेश दिनांक 29-11-99 के द्वारा की जा चुकी है तथा श्री श्रीवास्तव ने दिनांक 28-12-99 को उक्त पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में पुलिस उपनिरीक्षकों के पद एवं वर्तमान में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

94–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में पुलिस उप निरीक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

31 पद ।

2 पद ।

अन्य जनपदों से कुल 10 उपनिरीक्षक ना० पु० इस जनपद के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं जैसे ही यह उपनिरीक्षक इस जनपद में अपना आगमन करते हैं रिक्त पदों की पूर्ति हो जायेगी ।

मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गये पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को अपराधिक इतिहास के 12 लोगों पर कार्यवाही किये जाने के आदेश एवं की गयी कार्यवाही

95–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/24006/प्रतापगढ़/99, दिनांक 31-5-1999 जो पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को आपराधिक इतिहास के 12 लोगों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में था, का पालन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत 12 लोगों के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1–श्री संजय सिंह पुत्र श्री राम उजागिर सिंह सा० विरहदापुर थाना चांद, जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध मु० अ०सं० 59/99 धारा 3(1) उ० प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी ।

2—श्री सभापति यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सा० विनौरा थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु० अ० सं० 56/99 धारा 3 (3) उ० प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ।

3—श्री लाल बहादुर सरोज पुत्र श्री राम निहोर सा० बैजलपुर, थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु० अ० सं०–58/99 धारा 3(1) उ० प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ।

4—श्री संतोष सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र श्री शारदा प्रसाद सिंह सा० विक्रय पही थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु० अ० सं०–63/99 3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ।

5—श्री संतोष सिंह पुत्र श्री गौरी शंकर सिंह ग्राम पिपरी भनवापुर, थाना आसपुर देवसरा मु० अ० सं० 46/99 धारा 302/307/34 भा० दं० वि० थाना आसपुर देवसरा को दिनांक 24-4-99 को जेल भेजा गया ।

6—श्री रामदेव वर्मा पुत्र श्री नन्हकू वर्मा निवासी भजरोरा, थाना कन्धई, प्रतापगढ़

7—श्री राम केवल चौरसिया पुत्र श्री राम निहोर निवासी मगरोरा, थाना कन्धई

8—श्री राम लखन यादव पुत्र श्री महराज दीन निवासी परसन्डा, थाना कन्धई

9—श्री इन्द्र देव तिवारी निवासी मुसई थाना कोहडोर, प्रतापगढ़

इन व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिये गये हैं ।

10—श्री डब्बू सिंह निवासी बैजलपुर थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही इस नाम का कोई व्यक्ति थाना क्षेत्र में रहता है ।

11—श्री फतेह बहादुर सिंह निवासी बिरदी, थाना चांदा, सुल्तानपुर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, न इसका आतंक है न आना-जाना पाया गया ।

12—श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ला निवासी अदसड़ के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी ।

श्री डब्बू सिंह, श्री फतेह बहादुर सिंह एवं श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ला के बारे में विशेष प्रयास कर जानकारी कर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्रीमती अन्जू गुप्ता सहित अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

96–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश पत्र–सी०एम०/वि०को०/एम–2/21123/प्रतापगढ़/99, दिनांक 11-3-1999 जो जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्रीमती अन्जू गुप्ता सहित अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक था, क्या प्रमुख सचिव गृह द्वारा जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच किस स्तर से करायी गयी उसके परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

संदर्भित आदेश पत्र गृह विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है। वर्णित पत्र सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को भेजा गया है तथा वह श्रीमती अन्जू गुप्ता से संबंधित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चित्रकूट में कार्यरत जिला पूर्ति अधिकारी के अनियमित कार्यों की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

97–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-3-99 जो जनपद चित्रकूट में कार्यरत जिलापूर्ति अधिकारी के अनियमित कार्यों की जांच के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी, हां।

जी, हां।

दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

98–श्री रमेश राही–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

99–श्री अब्दुल मन्नान–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा निवासी ग्राम चौदरी के बुद्धाराम पुत्र राम चरन, थाना राया की लूट करने के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

100–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना राया के अन्तर्गत दिनांक 3-10-97 को बुद्धाराम पुत्र रामचरन निवासी ग्राम चौदरी थाना राया की लूट करने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की 20 फरवरी, 98 की आख्या के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार मथुरा जनपद के थाना राया के अन्तर्गत दिनांक 3-10-97 को बुद्धाराम पुत्र राम चरन निवासी ग्राम चौदरी, थाना–राया की लूट करने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण की दिनांक 20 फरवरी, 98 की आख्या पर पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा ने प्रकरण की पुनः जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराकर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। अतः प्रकरण की पुनः जांच श्री वीर बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, मथुरा से करायी गयी। जिनकी संस्तुति के अनुसार श्री बुद्धाराम के साथ दिनांक 3-10-97 को घटित लूट की घटना के संबंध में थाना राया पर मु० अ० सं०–284/98 दिनांक 15-11-98 को वीरो व गोपाल निवासीगण नगला सोगरकर, थाना राया, जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना में बुद्धाराम के साथ हुई घटना सही पायी गयी, परन्तु अभियुक्तों की नामजदगी संदिग्ध पाये जाने, चालान करने

योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 30-4-99 को अन्तिम रिपोर्ट सं०–27 पर विवेचना समाप्त कर दी गयी। लूट में घटना के सही अभियुक्तों का पता नहीं चल सका।

श्री बुद्धाराम के प्रार्थना-पत्र पर वैधानिक कार्यवाही न करने एवं दिनांक 4-10-97 के बाद एक दिन विलम्ब से अभिरक्षा में रह रहे गोपाल व वीरी से प्राप्त प्रार्थना-पत्र लेकर भ्रामक तथ्यों के आधार पर श्री बुद्धाराम आदि के विरुद्ध अभियोग सं०–271/91 धारा 147/342/323 भां० द० वि० व 3(1)10 अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम पंजीकृत करने एवं थाने की जी० डी० रोककर मनमाने ढंग से प्रविष्टि अंकित करने हेतु उपनिरीक्षक श्री ऋषिपाल सिंह सिरोही को परिनिन्दा प्रविष्टि एवं वर्ष 1997 की सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकी गयी। साथ ही उप निरीक्षक ना० पु० दुर्गा शरण सिंह को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर कठोर चेतावनी प्रदान की गयी। मुख्य आरक्षी 32 ना० पु० वीरपाल सिंह को अलीगढ़ जनपद में स्थानान्तरित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा ओ० आर० में दण्डित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर में आपराधिक रिकार्ड के लाइसेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

101–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना–जलालपुर, जनपद–जौनपुर के आपराधिक रिकार्ड वाले कितने लोगों के पास लाइसेंसी असलहें हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि अपराधिक रिकर्ड वाले को शस्त्र लाइसेन्स नहीं दिये जाते हैं, किन्तु जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर के अन्तर्गत 4 शस्त्र लाइसेन्सी ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त अभियोग दर्ज किये गये हैं।

उक्त शस्त्र लाइसेन्सों के निरस्तीकरण के संबंध में आख्या प्राप्त होने पर उनके निलम्बन की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के उपनिरीक्षक के विरुद्ध हो रही जांच विषयक पत्रांक सी०एम०/विको०/एम–3/16555/प्रतापगढ़ का प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही

102–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रांक सी०एम०/ वि०को०/एम–3/16555/प्रतापगढ़ दिनांक 25-9-98, जो जनपद प्रतापगढ़ के उप निरीक्षक के विरुद्ध हो रही जांच विषयक है, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

उक्त पत्र में सचिव मुख्य मंत्री (श्री पी० एल० पुनिया) का जो पृष्ठांकन आदेश दिनांक 13-7-94 डी० जी० पुलिस को भेजने का उल्लेख है वह डी० जी० पुलिस के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। इसी पत्र में ही उपनिरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतों का उल्लेख किया गया होगा उसके प्राप्त न होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों को थाना अन्तू से हटाकर थाना कोहडोर, प्रतापगढ़ में शामिल करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके कार्यालय के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम-2/20611/प्रतापगढ़/99, दिनांक 18-2-99 जो जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 15 ग्रामों को थाना अन्तू से हटाकर थाना कोहडोर प्रतापगढ़ में शामिल करने हेतु था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

प्रकरण पर पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त अधिसूचना का आलेख अन्तर्विभागीय कार्यवाही में प्रचलित है तथा उसके उपरान्त अधिसूचना जारी कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, थाना तरकुलवा, ग्राम मुन्डेरा रतन पट्टी, श्री भोला प्रसाद के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने हेतु पत्र एवं कार्यवाही

104-श्री बेचन राम तथा श्री शिवपूजन राम-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भोला प्रसाद ग्राम मुंडेरा रतन पट्टी, थाना तरकुलवा, जिला कुशीनगर के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने हेतु पत्रांक सी०एम०/वि०को/एम-2/26599/कुशीनगर/99, दिनांक 5-9-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

जी हां ।

मामले में जांच करायी गयी । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है फिर भी आवेदक की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना तरकुलवा में दिनांक 30-1-2000 को मु०अ०स० 11/2000 धारा 395 व 3(2) 5 एस०सी०/एस० टी० ऐक्ट का अभियोग विरुद्ध सुरेश पुत्र बाबू लाल कुर्मी नि० मुन्डेरा रतनपट्टी, थाना तरकुलवा जनपद देवरिया आदि नफर पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा चुनाव ड्यूटी के दौरान जनपद प्रतापगढ़ के श्री माता प्रसाद सिंह, स०अ०/प्र०वि० सरायगनई शिवगढ़ का हृदयगति रुक जाने से मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को बीमा धनराशि दिये जाने की मांग

105-श्री रमेश राही-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996 अक्टूबर में विधान सभा चुनाव के दौरान श्री माता प्रसाद सिंह स०अ०/प्र०वि० सरायगनई शिवगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का चुनाव ड्यूटी के दौरान 9-10-96 को हृदयगति रुकने से स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो क्या लगभग चार वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक मृतक आश्रित को बीमा धनराशि नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विकलांग व्यक्ति की जबरन ड्यूटी लगाने वाले तत्कालीन अपर जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री माता प्रसाद सिंह का स्वर्गवास दिनांक 9-10-96 को हुआ जबकि वे चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे। चुनाव ड्यूटी से उन्हें दो दिन पूर्व दिनांक 7-10-96 को कार्यमुक्त किया जा चुका था।

प्रश्न नहीं उठता है।

सुसंगत शासनादेश के अनुसार दुर्घटना बीमा की प्रश्नगत योजना दिनांक 27 सितम्बर, 1996 से 12 अक्टूबर, 1996 की अवधि के लिए लागू थी। इसके अन्तर्गत उक्त अवधि में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर या दोनों पैर, दोनों आंखें अथवा एक पैर या एक आंख स्थायी रूप से नष्ट हो जाने पर अधिकतम बीमा की राशि रुपये 5 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया था। श्री माता प्रसाद सिंह का स्वर्गवास किसी दुर्घटना में न होकर चुनाव ड्यूटी से अवमुक्त होने के दो दिन पश्चात् दिनांक 9-10-96 को हृदयगति रुकने से हुआ। हृदयगति रुकने से मृत्यु का प्रकरण बीमा पालिसी की शर्तों में दुर्घटना मृत्यु के अन्तर्गत आच्छादित भी नहीं होता है।

विकलांग व्यक्ति की ड्यूटी लगाने के संदर्भ में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रिका प्रसाद तिवारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 25-6-99 को दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां के ग्राम नेरी के बन्द पड़े शीतगृह को पुनः चालू किये जाने की मांग

106–श्री रमेश राही–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां के ग्राम नेरी में शीतगृह का निर्माण कई वर्ष पूर्व लाखों की लागत से कराया गया था जो लगभग दस वर्षों से बंद पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शीतगृह को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शीतगृह को बिक्री किये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री राम औतार मिश्र, विपणन निरीक्षक की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके जी०पी०एफ० आदि का भुगतान किये जाने की मांग

107–श्री रमेश राही–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार मिश्र, विपणन निरीक्षक, दिनांक 31-7-97 को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली के खुटार केन्द्र से सेवा निवृत्त हुए थे परन्तु अभी तक उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस विलम्ब के लिए दोषी कौन हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके समस्त अवशेषों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

श्री राम औतार मिश्र, विपणन निरीक्षक को नकदीकरण की धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर तथा पेंशन राशिकरण का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन की स्वीकृति दि० 17-8-99 को दी जा चुकी है जिसका भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। ग्रेच्युटी का भुगतान शासकीय धनराशि को वसूली, उपादान की धनराशि से अधिक होने के कारण भुगतान की जानी संभव नहीं है। जी०पी०एफ० की कटौतियां स्पष्ट न होने के कारण भुगतान प्रकरण प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त श्री मिश्र द्वारा जी०पी०एफ० के भुगतान हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अवशेष सेवानिवृत्तिक लाभों का निस्तारण प्रक्रिया में है, इसलिए विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है। श्री राम औतार मिश्र के विरूद्ध प्रकाश में आयी सरकारी हानि की देयता इनको भुगतान किये जाने वाले उपादान की धनराशि रु० 107,883 से काफी अधिक है। इसलिए सरकारी धन की वसूली होने की स्थिति में उपादान का भुगतान संभव नहीं है।

जनपद सीतापुर के थाना-संदना के ग्राम पनाह नगर के हथिया घाट पर पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की मांग

108–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सीतापुर के थाना–संदना के ग्राम पनाह नगर जो हरदोई जनपद की सीमा से मिला हुआ है, लूट, हत्यायें एवं डकैती की घटनायें निरन्तर होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पनाह नगर के हथिया घाट पर पुलिस चौकी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

ऐसा कोई संगीन अपराध घटित होना प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

यह मानक में नहीं आता है।

जनपद मैनपुरी के बड़े अपराधी व उनका अपराधिक इतिहास तथा उनको नियन्त्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये प्रयास की जानकारी

109–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना बेवर जनपद मैनपुरी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वर्तमान में 10 सबसे बड़े आपराधिक पृष्ठभूमि के कौन-कौन अपराधी जीवित हैं ? उनका क्या आपराधिक इतिहास है ? सरकार ने 1-4-1998 के बाद अब तक ऐसे अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई कारगर कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अपराधी का नाम	अपराधों की संख्या
1—उपदेश उर्फ खलीफा	62
2—शिवराज सिंह	50
3—हरवीर सिंह	19

4—शिव कुमार उर्फ उद्दू	18
5—उदयवीर सिंह	15
6—मुनेन्द्र उर्फ मुनेश	15
7—संतोष उर्फ भूरा	15
8—प्रेमपाल	15
9—श्री कृष्ण	14
10— करू उर्फ देवेन्द्र	11

उक्त के अतिरिक्त अरविन्द दीक्षित व बिजेन्द्र उर्फ भल्लू के विरुद्ध भी 11-11 अभियोग पंजीकृत हैं।

दिनांक 1-4-98 के बाद उक्त अपराधियों में से निम्न के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है :–

1—शिवराज सिंह–

(1) अ०सं०–155/2000 धारा 188 भा०द०वि० थाना कोतवाली, मैनपुरी।

2—हरवीर सिंह–

(1) अ०सं०–324/99 धारा 3 यू०पी०गुण्डा ऐक्ट।

(2) अ०सं०–326/99 धारा 110 सी०आर०पी०सी०।

(3) अ०सं०–388/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट।

3—उदयवीर सिंह–

(1) अ०सं०–321/99 धारा 3 यू०पी०गुण्डा ऐक्ट।

(2) अ०सं०–331/99 धारा 110 सी०आर०पी०सी०।

(3) अ०सं०–389/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट।

4—विजेन्द्र उर्फ भल्लू–

(1) अ०सं०–155/2000 धारा 188 भादवि कोतवाली, मैनपुरी।

शेष अपराधियों में उपदेश उर्फ खलीफा वर्ष 1997 से मार्च, 1999 तक जेल में रहा, जिससे उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई तथा अन्य के विरूद्ध समाज विरोधी गतिविधियां भय व आतंक व्याप्त न होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सौरहा खुर्द के शिव मन्दिर में पशु मांस रखने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र एवं कार्यवाही

110–श्री दीपलाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम सौरहा खुर्द के शिव मन्दिर में पशु का मांस रखने से उत्पन्न तनाव के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी०एम०/वि०को०एम-2/127174/कुशीनगर/99, दिनांक 28-10-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मामले में संबंधित असामाजिक तत्वों के विरूद्ध मु०अ०सं० 165/99 धारा–153 क/ 295 भा०दं०वि० थाना-नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर में पंजीकृत किया गया । विवेचना में प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । गांव में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अथवा गैंगस्टर के अधीन कार्यवाही करने हेतु पार्याप्त आधार एवं औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कुशीनगर, थाना–खड्डा मुकदमा अपराध सं० 158/99 में नाम जद अभियुक्तों को दण्डित कराने के विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय से नगर विकास मंत्री को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

111–श्री दीपलाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०एम-2/27109/कुशीनगर/99, दिनांक 25-10-99 जो मुकदमा अपराध संख्या–158/99, थाना–खड्डा, जिला कुशीनगर में नामजद अभियुक्तों को दण्डित कराने के सम्बन्ध में है, नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

पंजीकृत अपराध संख्या–158/99 राजकुमार डालमिया पुत्र नथमल डालमिया आदि 7 नफर अभियुक्त प्रकाश में आये । विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित होने पर दिनांक 22-9-99 को न्यायालय में प्रेषित किया गया है । दौरान विवेचना उपरोक्त में 7 नफर अभियुक्त दिनांक 14-9-99 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर रिहा हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, निवासी ग्राम पूरे अन्ती श्री विनोद कुमार पाण्डेय की एफ० आई० आर० दर्ज करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही

112–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/25708/प्रतापगढ़/99, दिनांक 14-7-1999 एवं 27338/प्रतापगढ़/99 दिनांक 24-7-1999 जो श्री विनोद कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम पूरेअन्ती प्रतापगढ़ की एफ०आई०आर० दर्ज करने विषयक पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? मुकदमा कब और किस थाने में पंजीकृत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने जनपद में पुलिस पर आरोप होने के कारण से इस मामले की जांच किसी अन्य से कराने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद को अपने पत्रांक एसटी/एसपी/सी–4/99 दिनांक 5-7-99 के द्वारा लिखा । पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र इलाहाबाद ने जांच में आरोपों को गलत पाया है ।

इस मामले में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा भी मजिस्ट्रीयल जांच कराई गई और जाच में श्री विनोद कुमार पाण्डे द्वारा लगाये गये आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांचों में आरोप असत्य पाये गये अतः मुकदमा पंजीकृत कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ थाना–पट्टी, ग्राम–सदहा के निवासी जय प्रकाश पाण्डेय आदि के प्रकरण पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध जांच

113–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सदहा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ निवासी श्री जय प्रकाश पाण्डेय आदि के प्रकरण पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच कराने एवं 20-5-1999 तक अवगत कराने सम्बन्धी आदेश संख्या–सी०एम०/वि०को०/ एम–1/22581/99 दिनांक 19-4-1999 का अनुपालन पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो जांच किस स्तर से करायी गयी और उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां, जांच कराकर अवगत कराया गया ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक से करायी गयी । जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में कोई पुष्टिकारक तथ्य उपलब्ध नहीं हुए ।

जनपद गोण्डा के कौड़िया थाने में एक महिला को जलाने एवं गड़रियन पुरवा में अल्पसंख्यक घरों के जलाने की घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

114–श्री अवधेश प्रसाद

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के कौड़िया थाने में एक अल्पसंख्यक परिवार की महिला को माह अक्टूबर, 1999 में जिन्दा जलाया गया ? क्या इसी थाने के गड़रियन पुरवा में 14 अल्पसंख्यक घरों को भी जला दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । दिनांक 23/24-10-99 को रात्रि करीब 10.00 बजे ग्राम तेलियाकोट में सुभान अली के घर में आगजनी की घटना हुई थी । जिसमें उसकी पत्नी की गलाकाटकर हत्या एवं दो बच्चों को घर में बन्द कर आग लगा दीं जिससे लोग जलकर मर गये । इस संबंध में थाना कौड़िया में मु०अ०सं० 158/99 धारा–436/302 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त राम अभियुक्त राम अदालत गोसाई व छोटकऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अर्जुन सरदार व झोथू की कुर्की की गई । दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 11-12-99 को आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

जी हां ।

27 अभियुक्तों में से 22 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं शेष 5 न्यायालय में आत्मसमरपर्ण कर दिये । सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 11-12-99 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । घटना में पीड़ित सभी व्यक्तियों को ग्यारह-ग्यारह हजार रुपया दिया गया इसके अतिरिक्त जले हुए छप्परों को पुनः बनवाकर रखवाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की उरई कोतवाली में श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नृपत कोरी के साथ शर्मनाक व्यवहार किये जाने विषयक रिपोर्ट एवं कार्यवाही

115–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उरई जनपद जालौन में दिनांक 22 नवम्बर, 1999 को उरई कोतवाली की पुलिस द्वारा एक 22 वर्षीय दलित महिला के साथ शर्मनाक व्यवहार किये जाने के

फलस्वरूप उक्त महिला अचेतन अवस्था में उरई के जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती करायी गयी ? क्या इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी ? क्या उक्त महिला की ओर से दिनांक 23 नवम्बर, 1999 को अपराध संख्या–1157ए/99 धारा 323/452 तथा 3 एस०सी०एस०टी० ऐक्ट रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 22-11-1999 को उरई कोतवाली की पुलिस द्वारा श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नृपत कोरी के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसे अस्पताल इलाज के लिये भेजा गया । इस संबंध में श्रीमती सुनीता के प्रार्थना-पत्र पर मु०अ०सं०–1357ए/99, धारा 323/452/354 भा०दं०वि० व 3(1)(10) एससी/एसटी ऐक्ट बनाम अज्ञात कोतवाली पुलिस पंजीकृत किया गया । क्षेत्राधिकारी, माधोगढ़ द्वारा विवेचना की जा रही है । इस दौरान (1) उपनिरीक्षक अमर सिंह, (2) कां०ना०पु०अमर सिंह, (3) कां०ना०पु० राजेश व्यास, (4) तेज सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह, (5) पवन कुमार, (6) छुन्ना महाराज व (7) आशीष जयसवाल के नाम प्रकाश में आये, इनमें से कां० अमर सिंह, तेज सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह तथा पवन कुमार को क्रमशः दिनांक 27-11-99, 26.11-99 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनकी जमानतें न्यायालय से क्रमशः 6-1-2000 तथा 15-1-2000 को हो चुकी है । प्रश्नगत प्रकरण अभी भी विवेचनाधीन है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में निदेशक कम्प्यूटर का पद एवं अर्हतायें

116-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में निदेशक कम्प्यूटर का पद कब सृजित किया गया है ? उक्त पद के लिए क्या अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं ? क्या वर्तमान निदेशक, उक्त पद के लिए निर्धारित अर्हतायें रखते हैं ? क्या वर्तमान निदेशक, कम्प्यूटर सेवा, उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रदेश पुलिस सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नहीं हैं ? क्या वह मूलतः केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के कर्मचारी हैं और प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कम्प्यूटर सेल के प्रभारी के रूप में नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो निर्धारित प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बावजूद भी उन्हें उनके मूल विभाग में वापस न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश–

निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र के पद का सृजन शासनादेश संख्याः 211/8-10-57/76 दिनांकः 2-2-79 द्वारा किया गया था ।

वर्तमान में निदेशक का कोई पद नहीं है तथा उक्त पदनाम से कोई अधिकारी भी कार्यरत नहीं है, बल्कि पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी "पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें के पद पर कार्यरत हैं" ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रीकर के रूप में परिवहन विभाग को किया गया भुगतान एवं कांग्रेस पार्टी पर बकाया धन राशि को वसूल किये जाने की कार्यवाही

117-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष यात्रीकर के रूप में कितना धन परिवहन विभाग को भुगतान किया जाता है ? क्या यह सच है कि निगम ने विगत 3 वर्षों से यात्रीकर भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो कर वसूल न होने का क्या

कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि निगम का कांग्रेस पार्टी पर बकाया दो करोड़ सरसठ लाख रुपये वसूल किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कोई निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष यात्रीकर के रूप में भुगतान नहीं की जाती । वरना उ० प्र० मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत निगम पर यात्रीकर (अतिरिक्त कर) सकल आय x 21/121 की दर से देय होता है ।

भुगतान किया है परन्तु यात्रियों से वसूल की गयी यात्रीकर की पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

उ०प्र० परिवहन निगम की विषय आर्थिक परिस्थितियों के कारण यात्रियों से वसूली गयी यात्रीकर की पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी ।

परिवहन निगम का कांग्रेस पार्टी पर बकाया दो करोड़ सरसठ लाख रुपये न होकर 268.30 लाख रुपये है । प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने उक्त बकाया धनराशि के भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 8-9-98 को वसूली प्रमाण-पत्र भेजा । कांग्रेस (आई) ने उक्त के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । वर्तमान में मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना बसखारी निवासी ग्राम-सखदूम नगर निवासी श्री रामू द्वारा अपने पुत्र जयभीम की हत्या की जांच विषयक पत्र

118–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामू, निवासी ग्राम-सखदूमनगर, थाना बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर ने अपने पुत्र जयभीम, जिसकी हत्या दिनांक 23-10-96 को हुई थी, की जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र जनता दरबार में दिनांक 4-5-98 को दिया था ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा से करायी गयी । जांच से पाया गया कि आवेदक का लड़का दिनांक 23-10-96 को रात्रि में बसखारी में रामलीला देखने गया था जिसकी नहर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो गयी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी डूबने से मृत्यु होना अंकित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा उ० प्र० सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ में सहायक प्रबन्धक के पद हेतु ली गयी परीक्षा

119–श्री लालजी वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा उ० प्र० सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ में सहायक प्रबन्धक के पद के लिए 30-6-99 तक पचास रुपये के ड्राफ्ट (परीक्षा शुल्क हेतु) सहित आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर भर्ती बिना परीक्षा कराये ही कर ली गयी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का उपयोग न किये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?, यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए परीक्षा शुल्क रु० 20.00 तथा अन्य के लिए परीक्षा शुल्क रु० 50.00 निर्धारित था ।

जी नहीं । जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र पूर्ण थे, उनकी उ०प्र० सहकारी सेवा मण्डल द्वारा दिनांक 27-10-99 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर पुलिस महनिदेशक, कानून व्यवस्था लखनऊ द्वारा जनपद प्रतापगढ़ श्री विनोद पाण्डेय ग्राम पूरे अन्ती की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को आदेश एवं कार्यवाही

120–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था लखनऊ द्वारा दिनांक 30/31-10-99 को श्री विनोद पाण्डेय ग्राम पूरे अन्ती जनपद प्रतापगढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अपर पुलिस महानिदेशक ने प्रकरण को स्वयं देखकर अपराध दर्ज करने हेतु लिखा था ।

अपर पुलिस महानिदेशक के उपर्युक्त पत्र के सन्दर्भ में रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक ने पत्रांक एस०टी०/एस०पी०/सी–4/99 दिनांक 8-11-99 द्वारा उन्हें भेज दी थी । पुलिस अधीक्षक ने श्री विनोद पाण्डेय के पत्र में स्थानीय पुलिस पर आरोप होने के कारण से प्रकरण जांच किसी अन्य से कराने का अनुरोध पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी से किया था । पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी ने श्री विनोद पाण्डेय द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत पाया । इसी प्रकरण में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा मजिस्ट्रीयल जांच भी कराई गयी है । जांच से श्री विनोद कुमार पाण्डये द्वारा लगाये गये आरोप असत्य पाये गये हैं । इस कारण कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव गृह द्वारा श्री आंशीष गुप्ता पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ तथा अन्य के विरूद्ध कृत कार्यवाही

121–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश संख्या–सी० एम०/वि०को०/ एम–2/27142/ प्रतापगढ़/99, दिनांक 27-10-1999 पर प्रमुख सचिव गृह द्वारा श्री आंशीष गुप्ता पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ तथा अन्य के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

मा० सदस्य से उक्त पत्र की पठनीय प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु उनसे पठनीय प्रति प्राप्त न होने के कारण उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के जेल विजिटर्स अमरजीत सिंह एवं नीरज गुप्ता द्वारा की गई निरीक्षण आख्या एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण

122–श्री अफजाल अहमद–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के जेल विजिटर्स अमरजीत सिंह एवं नीरज गुप्ता के द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 22-11-99 की निरीक्षण आख्या संलग्न सहित उनको प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो निरीक्षण आख्या पर बिन्दुवार हुई कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, थाना-जालौन निवासी सहावना श्री गंगाराम पुत्र कथूले की की गई हत्या एवं मृतक आश्रित को दिया गया अनुदान

123–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री गंगाराम पुत्र कथूले निवासी सहावना का थाना जालौन जिला जालौन की दिनांक 25-10-99 को ग्राम इटहिया थाना सिरसाकलार जिला जालौन में की गयी हत्या का मु०अ०सं०-223/99 थाना सिरसा कलार में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को कोई अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मृतक की बेवा श्रीमती कंटोरी पत्नी स्व० श्री गंगाराम नि० मुह० सहावना का जिला जालौन को चेक संख्या–040527 दिनांक 18-12-99 द्वारा रु० 75,000/- का अनुदान दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, थाना चुरखी ग्राम पंचायत कुटरा गढ़गुवा निवासी श्री आशाराम ग्राम प्रधान के ऊपर हमला करने वालों के विरूद्ध रिपोर्ट एवं कार्यवाही

124–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19-11-99 को श्री आशाराम ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत कुटरा गढ़गुवा निवासी गुढ़गुवा थाना कालपी जालौन की चुरखी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ लोगों ने हमला किया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जालौन के आदेश से थाना कोतवाली कालपी में दिनांक 19-11-99 को नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व तफ्तीश हेतु थाना चुरखी को स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या नाम दर्ज अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

छापी नहीं गयी ।

जी हां । नामजद सभी आठ अभियुक्तों को दिनांक 21-12-99 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, थाना–बेवर, अपराध संख्या 335/99 धारा 302 आई०पी०सी० के केस में जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

125–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 335/99 धारा 302 आई०पी०सी० थाना–बेवर, जनपद–मैनपुरी के केस में विवेचना सिविल पुलिस के बजाय सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०वि०को०/एम–2/26853/ मैनपुरी/99,माह अक्टूबर, 1999 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपे जाने/न सौंपे जाने के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी का अभिमत मांगा गया है । अभिमत प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक प्रश्नकर्ता के कतिपय संलग्नकों सहित पत्र एवं उनका अनुपालन

127–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–ग–2 नं० 700208 एवं 700223, 700224, 700249 दिनांक 28-10-99 के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र श्री बजरंगी सिंह कोटिया प्रतापगढ़, श्री सूर्यभान सिंह कोटिया, रामचन्द्र सिंह कोटिया, प्रतापगढ़ पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–ग–2 नं० 700224 एवं नं०–700208 के संबंध में मु०अ०सं०–90ए/99 धारा–504/506/342/452 भा०दं०वि० का अभियोग श्री बनवारी लाल, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, पट्टी, एम०आर०प्रेमी, तत्कालीन थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा, श्री शिवशंकर पाण्डेय थानाध्यक्ष कन्धई, उपनिरीक्षक श्री बलराम सरोज थाना पट्टी तथा मु०अ०सं०–90बी/99 धारा 452/504/506/342 भादवि का अभियोग तत्कालीन क्षेत्राधिरी पट्टी श्री बनवारी लाल एवं तत्कालीन धानाध्यक्ष आसपुर देवसरा, श्री एम०आर०प्रेमी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है । दोनों अभियोगों की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा की जा रही है ।

शिकायतकर्ता के पत्र संख्या–ग–2 नं०–700223 श्री सूर्यभान सिंह निवासी कोटिया के प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी पट्टी से कराई गई । जांच से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है । पत्र संख्या–ग–2 नं० 700249 जो ग्राम पंचायत आसपुर देवसरा की ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–374 रकबा 0.126 हे० के हिस्से पर अवैध कब्जा कर निर्माण से सम्बन्धित है । प्रश्नगत मामले में अपराध सं०–13/99 धारा 447/352 भा०दं०वि० का अभियोग सम्बन्धित के विरूद्ध थाना देवसरा में पंजीकृत किया गया और विवेचनोपरान्त दिनांक 02-02-99 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 96-97 व 97-98 में दण्ड ब्याज के रूप में किये गये धन का भुगतान

128–श्री लाल जी वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० रा० सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996-97 व 1997-98 में दण्ड ब्याज के रूप में धन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितना और किसे ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में दण्ड ब्याज के रूप में कोई भी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

उ० प्र० परिवहन निगम के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर, जिला चम्पावत तथा पिथौरागढ़ के लिए संचालित बसों की संख्या एवं चालक, परिचालक की समुचित व्यवस्था की मांग

129–श्री कृष्ण चन्द्र पुन्नेठा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर, उ० प्र० परिवहन निगम के अधीन जि० चम्पावत तथा पिथौरागढ़ के लिए कितनी बसें संचालित हैं ? क्या संचालित सभी बसों हेतु चालक तथा परिचालकों की कमी है ? यदि हां, तो इस हेतु चालक तथा परिचालकों की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रश्नगत जनपदों में निगम के अधीन 107 बसें संचालित की जा रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130–श्री बी०-आर० वर्मा

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद बरेली, थाना बारादरी मु० अपराध सं० 1594/94 में पुलिस द्वारा मोहम्मद कयूब व लड़के को गलत फंसाने विषयक प्रमुख सचिव गृह को प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही

131–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1999 जो मु० अपराध सं० 1594/94 धारा 302 में थाना बारादरी जनपद बरेली की पुलिस द्वारा मोहम्मद कयूब व उनके लड़के को गलत फंसाए जाने की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से

कराने के सम्बन्ध में [illegible] प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से प्राप्त आख्यानुसार मु०अ०सं०–1504/94 धारा 302 थाना बारादरी, जनपद बरेली में श्री ललित कुमार की तहरीरी सूचना पर दिनांक 20-9-99 को अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया । तदोपरान्त श्री ललित कुमार ने दिनांक 21-9-99 को एक अन्य तहरीर में मो० अयूब एवं उनके पुत्र आबिद को नामित करते हुए, एक अन्य व्यक्ति का उल्लेख करते हुए दाखिल की । इस प्रकरण की विवेचना के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक ओम प्रकाश व उसके भाई मिट्ठन लाल अभियुक्तों की दुकान के किरायेदार थे और उक्त दुकान को खाली कराये जाने के उद्देश्य से उनके बीच रंजिश चली आ रही थी । इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त हाजी मोहम्मद अयूब को दिनांक 28-9-99 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आबिद ने दिनांक 1-11-99 को आत्मसमपर्ण न्यायालय करके जेल गया । चूंकि अभियुक्तों के विरूद्ध 302 भा०दं०वि० के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं अतः इस केस की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में परिवहन निगम के अन्तर्गत अनुबंधित बसों के चलाने के लिए मार्ग निर्धारित करने का मानक

132–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन निगम के अन्तर्गत अनुबन्धित बसों के चलाने के लिए मार्ग निर्धारित का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

निजी बसों का अनुबन्ध प्रदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही किया जाता है मार्गों का निर्धारण यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग पर उपलब्ध यातायात, उपलब्ध परिवहन व्यवस्था, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अधिकृत संचालन एवं मार्ग पोषण में बसों की आवश्यकता पर विचार कर किया जाता है ।

जनपद मेरठ तहसील सरधना में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

133–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ की तहसील सरधना में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब तक मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना हो जायेगी ?

श्री राधे श्याम गुप्त–

जी नहीं ।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना में मुंसिफ न्यायालय अब सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय की स्थापना के लिए तहसील स्थित उप जिलाधिकारी न्यायालय का भवन स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । जिन पर राजस्व परिषद् उ० प्र० की सहमति मांगी गयी है, जो अभी तक प्रतीक्षित है ।

वहां से स्वीकृति प्राप्त होने तथा वित्तीय व्यवस्था होनेपर न्यायालय की स्थापना की जा सकेगी ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला में मुन्सिफ अदालत की स्थापना की मांग

134–श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टूण्डला जनपद फिरोजाबाद में मुंसिफ अदालत स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक मुंसिफ अदालत की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार टूण्डला में मुंसिफ अदालत की स्थापना के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत व संस्तुति प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर स्थित शिवा पेपर मिल के गन्दे पानी से हो रही बीमारियों की रोकथाम की मांग

135–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि रामपुर स्थित शिवा पेपर मिल के गन्दे पानी से सैकड़ों गांवों में बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेडियो विभाग में तैनात सहायक रेडियो अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग

136–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस रेडियो विभाग में तैनात सहायक रेडियो अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी मैनपुरी श्री अजीत कुमार टण्डन द्वारा पुलिस/तहसील आख्या आने पर लाइसेन्स निर्गत किया जाना

137–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अजित कुमार टण्डन द्वारा किन-किन के अग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों पर ही पूर्व में सशर्त पुलिस/तहसील आख्या आने पर लाइसेन्स स्वीकृत कर निर्गत करने के आदेश कर दिये थे ? क्या सरकार उक्त अवशेष प्रार्थना पत्रों पर लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत मामले में जनपद मैनपुरी के तत्कालीन जिला अधिकारी श्री अजित कुमार टण्डन द्वारा कार्यालय में उपलब्ध 26 व्यक्तियों के आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों के प्रार्थना पत्रों पर सशर्त पुलिस/तहसील आख्या आने पर लाइसेंस स्वीकृत कर निर्गत करने के आदेश दिये गये थे। सूची संलग्न है। शासनादेश संख्या 1084 आर/छ-पु-5-6-678/96 दिनांक 3 जून, 1998 के प्रस्तर–13 के अन्तर्गत कार्यभार छोड़ते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थानावार शस्त्र रनिंग पंजिकायें हस्ताक्षर कर बन्द कर दिये जाने एवं पुलिस तथा तहसील आख्यायें न आने के कारण उक्त लाइसेंस निर्गत नहीं किये जा सके क्योंकि आवेदकगण द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया। चूंकि आयुध नियमावली–1962 के अनुसार प्रश्नगत शस्त्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं तथा लाइसेंस संबंधी कार्यवाही एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है अतः उक्त के संबंध में शसन द्वारा कोई हस्तक्षेप करना उचित न होगा।

(सूची देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 138 पर)

जनपद मैनपुरी के थाना-बेवर में टाप टेन चिन्हीकरण किये जाने की नीति के तहत चिन्हित किये गये अपराधी एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में टाप-टेन अपराधियों के चिन्हीकरण किये जाने की नीति के तहत अब तक कितने अपराधी चिन्हित किये गये हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और उनमें से इस समय कौन-कौन अपराधी किस केस में कब से वांछित चल रहे हैं ?

श्री राम प्रकाश–

थाना बेवर, जनपद मैनपुरी में टाप-टेन अपराधियों के चिन्हीकरण किये जाने की नीति के तहत अब तक 06 अपराधी (1) रक्षपाल सिंह (2) विनोद कुमार (3) इन्द्रपाल (4) शीलू (5) हरवीर सिं (6) अजीत उर्फ सुल्ताना चिन्हित किये गये हैं।

कार्यवाही का विवरण–

1—**रक्षपाल सिंह**–

(1) अ०सं०–67/99 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट।

(2) अ०सं०–72/99 धारा 110 सी०आर०पी०सी०।

(3) अ०सं०–152/99 धारा गैंगेस्टर ऐक्ट।

2—**विनोद कुमार**–

(1) अ०सं०–82/99 धारा 110 सी०आर०पी०सी०।

(2) अ०सं०–83/99 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट।

3—**इन्द्रपाल**–

(1) अ०सं०–125/99 धारा 3 यू० पी० गुण्डा ऐक्ट।

(2) अ०सं०–153/99 धारा गैंगेस्टर ऐक्ट।

4—**शीलू**–

(1) अ०सं०–382/99 धारा 110 सी०आर०पी०सी०।

(2) अ०सं०–393/99 धारा गैंगेस्टर ऐक्ट।

(3) अ०सं०–494/99 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट।

5—<u>हरवीर सिंह</u>–

(1) अ०सं०–324/99 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट ।

(2) अ०सं०–326/99 धारा 110 सी०आर०पी०सी० ।

(3) अ०सं०–388/99 धारा गैंगेस्टर ऐक्ट ।

6—<u>अजीत उर्फ सुल्ताना</u>–

(1) अ०सं०–197/99 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट ।

उपरोक्त अपराधियों में से केवल हरवीर सिंह अ०सं०–335/99 धारा 147/148/149/302 भा०दं०वि० थाना बेवर जनपद मैनपुरी में दिनांक 23-5-99 से वांछित चल रहा है ।

जनपद मैनपुरी में थाना बेवर के अन्तर्गत अपराधिक इतिहास को छुपाकर शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने वाले अपराधी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

139–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में थाना बेवर के अन्तर्गत ऐसे कितने लोग है जिन्होंने जनपद एवं प्रदेश से बाहर के अपने आपराधिक इतिहास को छुपाकर बन्दूकों, रायफिलों एवं रिवाल्वरों के लाइसेन्स प्राप्त कर लिये हैं ? क्या यह सच है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठिभूमि वाले अपराधियों ने लाइसेंस प्राप्त कर हिंसात्मक एवं आतंकवादी गतिविधियां जनपद एवं प्रदेश में फैला रखी है और स्थानीय स्तर पर इस समय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद मैनपुरी में थाना बेवर के अन्तर्गत 14 व्यक्ति ऐसे पाये गये हैं जिन्होंने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाकर शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त किये हैं । ऐसे 14 व्यक्तियों की सूची संलग्न है । जनपद मैनपुरी के अलावा संलग्न तालिका के क्रमांक–1 पर वर्णित श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध थाना तिलहर जनपद–शाहजहांपुर में धारा 364/302/201 भा०दं०वि० के अन्तर्गत मु०अ०सं०–109/88 तथा क्रमांक–10 पर वर्णित श्री शिशुपाल के विरूद्ध थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद में भी धारा 364 भा०दं०वि० के अन्तर्गत मु०अ०सं० 120/98 पंजीकृत होने की सूचना प्राप्त है ।

शेष व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य जनपदों में कोई अपराध किये जाने की जानकारी नहीं पाई गई है । उक्त सभी 14 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्सों के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है । इनमें से 2 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जा चुके हैं तथा शेष 12 के लाइसेन्स निलम्बित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 139 पर)

प्रदेश में ''वाई'' एवं ''जेड'' तथा ''जैड प्लस'' सुरक्षा देने की नीति की जानकारी

140–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ''वाई'' एवं ''जेड'' तथा ''जैडप्लस'' सुरक्षा देने की नीति क्या है ? क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम प्रकाश–

प्रदेश में श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित है, जो संबंधित महानुभावों के जीवनमय आंकलन के आधार पर श्रेणीबद्ध सुरक्षा का निर्धारण करती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम् कालोनी, ई–1218 निवासी श्री श्याम कुमार द्विवेदी को दी जा रही पेंशन का विवरण

141–श्री अजय कुमार पोइया

क्या राजनैतिक पेन्शन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम कुमार द्विवेदी निवासी ई–1218, राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ की राजनैतिक पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सही है कि श्री द्विवेदी द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन प्राप्त की जा रही है? क्या श्री द्विवेदी को दी जा रही पेंशन को समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाये जाने की विचाराधीन योजना को प्रारम्भ करने की मांग

142–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी एवं भूमि की उपलब्धता न होने के कारण प्रश्नगत बस स्टेशन बनाया जाना संभव नहीं है ।

अलीगढ़ सहकारी बैंक लि० में कर्मचारियों की संख्या/मानक के अनुसार कर्मचारियों की संख्या पूर्ण किये जाने की मांग

143–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक लि० में वर्तमान समय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या यह सही है कि मानक के अनुसार उक्त बैंक में कर्मचारियों की संख्या पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

वर्तमान समय में विभिन्न वर्गों में 82 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी हां, मानक के अनुसार कर्मचारियों की संख्या जिला सहकारी बैंक लि०, अलीगढ़ में पूर्ण नहीं है । विभिन्न वर्गों में मानक के अनुसार 42 कर्मचारी कम कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है । बैंक का प्रबन्ध तंत्र नियुक्ति प्राधिकारी है जो बैंक की आर्थिक स्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के वित्तीय अनुशासन को दृष्टिगत रख कर निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० की अनुमति से रिक्त पदों पर नियमानुसार उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के माध्यम से नियुक्ति करता है । अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़, बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट की धारा–11(1) के प्राविधान की पूर्ति नहीं करता है ।

जनपद चित्रकूट व बांदा के थानों से सम्बद्ध गांव की संख्या एवं परिसीमन करके नजदीकी थानों से सम्बद्ध किये जाने की मांग

144–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चित्रकूट के कितने गांव जनपद–बांदा के किन-किन थानों से सम्बद्ध हैं तथा जनपद बांदा के कितने गांव जनपद चित्रकूट के थानों से सम्बद्ध हैं ? क्या सरकार थानों का परिसीमन करके यह विषमता समाप्त करेगी तथा उक्त गांवों को उससे सम्बन्धित जनपदों के नजदीकी थानों से सम्बद्ध करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद चित्रकूट के 27 गांव जनपद बांदा के थाना बदौसा, फतेहगंज तथा कमसिन से सम्बद्ध हैं तथा जनपद बांदा के 8 गांव जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी से सम्बद्ध हैं ।

जी हां । पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 96-97 से 99–2000 तक एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर को उपलब्ध कराई गयी धनराशि एवं विभिन्न मदों पर हुआ व्यय

145–श्री तेजभान सिंह–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक कुल कितनी धनराशि एन०आर०डी०एम०एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के संचालन हेतु उपलब्ध कराई गयी तथा उक्त धनराशि का सुल्तानपुर केन्द्र पर किन-किन मदों में व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर सुल्तानपुर के संचालन हेतु वर्ष 1996-97 से 1999–2000 तक कुल रु० 13.60 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जिसमें से अधोलिखित विवरण के अनुसार रु० 10.535 लाख की धनराशि व्यय की गयी है :—

मद		व्यय (रुपया)
1–वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय	रु०	4,75,138.00
2– विविध आकस्मिक व्यय	रु०	59, 057.00
3–प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	रु०	2,694.00
4–यात्रा व्यय	रु०	46,355.00
5–डाटा प्रोडक्ट का मूल्य	रु०	1,83,700.00
6–प्रशिक्षण एवं सेमिनार	रु०	11,844.00
7–संयंत्रों का रखरखाव एवं मरम्मत	रु०	1,280.00
8–ट्रंक एवं टेलीफोन	रु०	372.00

9–कैलकुलेटर	रु०	650.00
10–कम्प्यूटर की मरम्मत एवं रखरखाव	रु०	3,700.00
11–विद्युत व्यय	रु०	1,020.00
12–कर्मचारियों को अग्रिम	रु०	17,690.00
13–यू पी डेस्को को अग्रिम	रु०	2,50,000.00
योग	रु०	10,53,500.00

प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि०, प्रतापगढ़ में गबन की जांच हेतु मुख्य मंत्री द्वारा निबन्धक सहकारिता को भेजा गया आदेश एवं उसकी जांच

146–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि० प्रतापगढ़ में कुल रु० 15,25,000/- के गबन की जांच हेतु मुख्य मंत्री जी के आदेश सं०–सी०एम०/वि०को०/एम/5/8230/प्रतापगढ़/98 दिनांक 25-3-1998 निबन्धक सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस स्तर से करायी जा रही है और उसके परिणाम क्या हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच उप निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० इलाहाबाद मण्डल के स्तर से गठित जांच समिति (क्षेत्रीय सहायक निबन्धक, उपभोक्ता की अध्यक्षता में) द्वारा कराई गयी । जांच समिति की आख्या के अनुसार संदर्भित संस्था के सचिव एवं संचालक मण्डल द्वारा मु० 15,25,000 रु० भवन क्रय करने हेतु अनियमित रूप से व्यय किया गया । इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त निदेश के पश्चात् सीमा से अधिक लिये गये ऋण की वापसी सचिव द्वारा कर ली गयी है ।

जनपद जौनपुर, थाना नेवढ़ियां ग्राम कादीहद, श्री गजराज सिंह तथा श्री ईश्वर देव सिंह द्वारा पुलिस उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

147–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गजराज सिंह तथा श्री ईश्वर देव सिंह, ग्राम कादीहद, थाना नेवढ़ियां, जिला जौनपुर ने दिनांक 12-8-1998 को अपने तथा अपने परिवार वालों के ऊपर पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में कोई फैक्स प्रमुख सचिव, गृह को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 20-9-98 को श्री गजराज सिंह की पुत्रवधू श्रीमती विन्दू देवी पत्नी श्री विजय प्रताप सिंह उर्फ आलम ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर आत्म हत्या कर ली ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कर यथोचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अभिलेखों में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहीं । बल्कि अपने पति के अपराधिक प्रवृत्तियों से तंग होकर आत्महत्या कर लिया । इसके पति आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह का अपराधिक इतिहास संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(संलग्नक देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 140 पर)

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम मून्नू खेड़ा में निवासियों को चीनी व मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराये जाने पर जांच कराये जाने की मांग

148–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम मून्नू खेड़ा में विगत 6 माह से वहां के निवासियों को चीनी व मिट्टी का तेल नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम सभा मुन्नू खेड़ा में वहां के निवासियों को चीनी एवं मिट्टी का तेल नियमानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारागार में मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों को लागू किये जाने की मांग

149–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि परिहार प्रणाली तथा समय पूर्व रिहाई (पैरोल) को प्रभावी बनाने के लिए मुल्ला कमेटी ने कतिपय संस्तुतियां की हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी ने कारागार में उचित चिकित्सा सुविधा एवं समुचित स्वस्थ वातावरण का रख-रखाव किये जाने का भी उल्लेख किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों को लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

जी हां ।

उ० प्र० जेल मैनुअल पुनरीक्षण समिति द्वारा मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों पर भी विचार किया गया । समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में जेल मैनुअल में संशोधन का प्रकरण सम्प्रति शासन के विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना बरसाना अपराध सं०–62, 63, 64/95 में मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र एवं कार्यवाही

150–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या–62/95, 63/95, 64/95, थाना–बरसाना जनपद मथुरा में मुल्जिमान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/21955/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

विवेचना से अभियुक्तगण मोहम्मद एवं गुन्नी को दिनांक 27-8-95 को मौके पर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । एक अभियुक्त बच्चू सिंह जो फरार हो गया था, ने दिनांक 8-11-95 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अभियुक्तगण मोहम्मद एवं गुन्नी के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या–42 एवं 43 दिनांक 15-5-95 को तथा अभियुक्त बच्चू के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या–66, दिनांक 18-11-95 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य दण्डाधिकारी, मथुरा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

151–श्री संजय गर्ग–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आयुधों की दुकानों के प्रारूप 11, 12, 13, 14 पर रिनूवल कराते समय बढ़ी हुई स्टाम्प शुल्क समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

152–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–2/26839/ मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 के साथ जो आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आयुधों की दुकानों के प्रारूप 11, 12, 13, 14 पर रिनूवल कराते समय बढ़ी हुई स्टाम्प शुल्क समाप्त करने विषयक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

असलहों के व्यापारिक लाइसेन्स के फार्म नं०–11, 12, 13, 14 एवं उनके नवीनीकरण पर पूर्व से लगाई गई स्टाम्प शुल्क समाप्त नहीं की गयी है, किन्तु व्यक्तिगत असलहों की अनुज्ञप्ति विलेख के नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी अधिसूचना दिनांक मई 10, 1999 द्वारा पूर्णरूपेण समाप्त कर दी गयी है ।

व्यापारिक लाइसेन्सों पर स्टाम्प शुल्क इसलिए नहीं समाप्त किया गया, क्योंकि इसे राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से आवश्यक माना गया है ।

जनपद मैनपुरी के महाकवि देव स्मारक समिति कुसमरा के रजिस्ट्रेशन रिनूवल के संबंध में मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

153–श्री राम औतार शाक्य–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाकविदेव स्मारक समिति कुसमरा जनपद मैनपुरी के रजिस्ट्रेशन/रिनूवल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०वि०को०/ एम–1/ 26824/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, आगरा को संस्था के नवीनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । उप निबन्धक आगरा द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था के नवीनीकरण हेतु देय शुल्क, मूल प्रमाण-पत्र, प्रबन्ध समिति की सूची, आय-व्यय का लेखा, चुनाव कार्यवाही तथा विवाद हीनता का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा, विधान सभा क्षेत्र चरखारी स्थित मां कैरोसिन एजेन्सी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

154–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र चरखारी स्थित मां कैरोसिन एजेन्सी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-9-98 को जांच हेतु मुख्य मंत्री को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त एजेन्सी की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र चरखारी स्थित मां कैरोसिन एजेन्सी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-9-98 नहीं बल्कि दिनांक 22-9-98 प्राप्त हुआ है । इस शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई । जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गई ।

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत द्वारा निर्मित औषधियों को क्रय करने के निर्णय सम्बन्धी शासनादेश निर्गम किया जाना

155–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत वर्ष 1954 से विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण एवं क्रय-विक्रय तथा परीक्षण का कार्य कर रही है ? क्या यह भी सही है कि राजकीय आपूर्ति के सम्बन्ध में 11 नवम्बर, 1993 को शासन स्तर में विभिन्न उच्च अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस फैक्ट्री द्वारा निर्मित औषधियों को शतप्रतिशत क्रय करने का भी निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसका शासनादेश निर्गम कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

शासनादेश चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी किया जाना है, जिसके लिये उनसे अनुरोध कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर, वाराणसी सम्भाग की वाराणसी में समूह 'ग' के अन्तर्गत परीक्षा का परिणाम घोषित कराकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

156–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर, वाराणसी सम्भाग, बी वाराणसी में समूह "ग" के अन्तर्गत आशुलिपिक एवं टंकण परीक्षा का परिणाम घोषित कराकर सफल अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियुक्ति प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०–2/26418/वाराणसी/99, दिनांक 21-8-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में योग्यता क्रम से किन अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया और किन किन को कब और कहां नियुक्ति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हाँ ।

किसी भी अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया है ।

किसी भी अभ्यर्थी के उत्तीर्ण न होने के कारण नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियमानुसार आवश्यक अर्हता का आंकलन करने हेतु आयोजित की गयी 23 अभ्यर्थियों की आशुलेखन परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सका ।

जनपद मथुरा, थाना–बल्देव अपराध संख्या 67/99 धारा 302 आई० पी० सी० में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

157–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का अपराध संख्या 67/99 धारा 302 आई०पी०सी० थाना बल्देव जनपद–मथुरा की बाबत अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने विषयक पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम/26822/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अपराध संख्या–67/99 धारा 302 आई० पी० सी० थाना बल्देव, जनपद मथुरा में अभियुक्त लाला राम पुत्र श्री गनपति ब्राह्मण के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । प्रश्नगत मामले में बयान वादी/गवाहान/निरीक्षण घटना स्थल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोग झूठा पाये जाने के कारण विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं० 09, दिनांक 31-5-99 मय जुर्मखारिजा रिपोर्ट के समाप्त कर दी गयी । उपरोक्त अभियोग में अनुसूचित जाति जनजाति की धाराओं के सम्बन्ध में कोई पुष्टि कारक साक्ष्य नहीं मिले और न ही इस घटना के संबंध में कोई चश्मदीद साक्ष्य था । चूंकि अभियोग झूठा पंजीकृत कराया गया था अतः इस कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158–श्री उबैदुर्रहमान–

[दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं०–179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़, थाना–कन्धई मु० अ० संख्या 125, 126, 127/99 में अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

159–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु०अ० संख्या 125, 126, 127/99 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ के अभियुक्तों के विरुद्ध मार्च, 1999 से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

मु० अ० सं०–125/99 धारा 392 भा० द० वि० थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 6-4-99 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी किन्तु पुलिस उप महानिरीक्षक,, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद के आदेशानुसार इस अभियोग की पुनः विवेचना किये जाने हेतु जनपद इलाहाबाद स्थानान्तरित की गयी, जिसकी विवेचना दिनांक 16-4-99 को थानाध्यक्ष हंडिया, जनपद इलाहाबाद के द्वारा की जा रही है । मु० अ० सं०–126/99 धारा 147/148/[illegible]/323/504/506 भा० दं० वि० तथा

3(1) 10 एस सी/.एस टी थाना कन्धई की विवेचना क्षेत्राधिकारी, एट्टी द्वारा की गयी जिसमें अभियुक्त प्रह्लादी पुत्र सूरज दीन, अनवर पुत्र दुल्लन, शेर अली पुत्र दुल्लन, मुनव्वर पुत्र दुल्लन तथा करामत पुत्र दुल्लन क्रमशः दिनांक 01-6-99, 18-5-99, 10-5-99, 10-5-99 तथा दिनांक 18-5-99 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजे गये। इन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-9 दिनांक 03-6-99 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। मु० अ० सं०–127/99 धारा 307-323/504/506 भा० द० वि० थाना कन्धई की विवेचना के फलस्वरूप दिनांक 13-5-99 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया किन्तु आरोप पत्र रोक कर पुलिस उपमहानिरीक्षक इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद के आदेश से इस अभियोग की पुनः विवेचना कराये जाने हेतु जनपद इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

160–श्री अजय कुमार पोइया–

[दि० 3-1-2000 को अता० प्र० सं०–98 द्वारा उत्तरित।

आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ० प्र० का जिलाधिकारी, सीतापुर को उचित दर विक्रेता के विरुद्ध श्री बदलू राम के शिकायती-पत्र की जांच विषयक प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही

161–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एव रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ० प्र० का जिलाधिकारी, सीतापुर को प्रेषित पत्रांक 2547/अ० यू० पी० डी० एम०/148/97 दिनांक 20 नवम्बर, 1999 जो प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध श्री बदलूराम के शिकायती-पत्र की जांच हेतु भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस शिकायती प्रार्थना-पत्र के आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी, हां। श्री बदलूराम के शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी। जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर श्री रमेश चन्द्र, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत–विक्रमपुर सरैया, ब्लाक–कसमण्डा, तहसील–सिधौली, जिला–सीतापुर की उचित दर की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया।

जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर के अपराध सं० 109/88 में जांच आख्या में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक पत्र

162–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 109/88 धारा 302/364/20/आई०पी०सी० थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के केस में सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा जांच आख्या में दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक पत्र सी०एम० वि०को०/एम०–1/27323/मैनपुरी/99 दिनांक 1-11-99 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर पर पंजीकृत मु० अ० सं०–109/88 में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही का परीक्षण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यू चांद सहकारी आवास समिति लि०, पिकनिक स्पाट रोड, खुर्रम नगर, लखनऊ के मो० अजीम आदि द्वारा प्लाट बेचकर धोखाधड़ी करके पैसा लेने के संबंध में उप सचिव गृह पुलिस–4 का पत्र एवं कार्यवाही

163–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव गृह पुलिस–4 का पत्र संख्या 8365–ख/6-4-99 दिनांक 25 नवम्बर, 1999 जो न्यू चांद सहकारी आवास समिति लि०, पिकनिक स्पाट रोड, खुर्रम नगर, लखनऊ के मो० अजीम, एतिसाम, मो० आरिफ द्वारा श्री मोहम्मद सिद्दीकी, निवासी पुराना महानगर, घोसियाना, जनपद लखनऊ को प्लाट बेंचकर धोखाधड़ी करके पैसा ले लेने की जांच कराने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी जन के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में थाना गुडम्बा पर मु० अ०सं०–279/99 धारा 420/427 भा० दं० वि० बनाम अजीम आदि पंजीकृत होकर विवेचना की गयी । विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट संख्या–80 दिनांक 31-12-99 को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

अपराध प्रमाणित नहीं पाये गये । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

164–श्री संजय गर्ग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जिलापूर्ति कार्यालय, मथुरा में स्थानीय स्टाफ द्वारा दुकानदारों का उत्पीड़न सम्बन्धी विधायक कोष्ठक का पत्र एवं कार्यवाही

165–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय मथुरा में स्थानीय स्टाफ द्वारा दुकानदारों का उत्पीड़न तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जगह कुछ विशेष दुकानदारों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/22010/मथुरा/99 दिनांक 3-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी, हां । शिकायत की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से कराई गई । जांच में शिकायत निराधार पाई गई ।

जिलाधिकारी, मथुरा को हथियार लाइसेन्स जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक की ओर से भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

166–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथियार लाइसेन्स जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम/22039/मथुरा/99, दिनांक 5-4-1999 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त पत्र में अंकित आवेदकों में से 10 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० बाराबंकी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासनिक दुरुपयोग के प्रकरणों की जांच

167–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि०, बाराबंकी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासनिक दुरुपयोग के प्रकरण की जांच उप निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० फैजाबाद मंडल, फैजाबाद से करायी गयी थी ? क्या जिला सहकारी बैंक लि० देहरादून तथा सहारनपुर में उनके कार्यकाल में किये गये वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है ? क्या यह सही है कि उपनिबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० फैजाबाद द्वारा जिला सहकारी बैंक, लि०, बाराबंकी में हुये करोड़ों रुपयों के गबन आहरण तथा दुरुपयोग के संबंध में अपने पत्रांक 4962-67/अधि० दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 द्वारा जांच कमेटी गठित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी । अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत 15 कर्मचारी निलम्बित किये गये तथा 12 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई । सभी दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–68 (1) की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें से 11 कर्मचारियों के मामले में अधिभार आदेश पारित हुआ है ।

श्री सेवा राम त्यागी प्रबन्धक हल्दूचौड़ नैनीताल पी० सी० एफ० के विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में पत्र एवं कार्यवाही

168–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-10-99 जो श्री सेवा राम त्यागी प्रबन्धक हल्दूचौड़ नैनीताल पी० सी० एफ० के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

मामले में प्रारम्भिक जांचोपरान्त श्री सेवाराम त्यागी को निलम्बित करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–डा० सरजीत सिंह डंग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा फैक्स फेड में अनियमितता पाये जाने पर अवर अभियन्ताओं को सेवा मुक्त करने के आदेश के विषय में जानकारी दिये जाने की मांग

170–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर ने फैक्स फेड में अनियमितता पाये जाने पर अपने निरीक्षण दिनांक 15/16-7-1999 को विकास खण्ड अमेठी के ग्राम खेरौना मीटिंग हाल तथा विकास खंड कूड़े भार मुख्यालय पर मीटिंग हाल के सत्यापन में जांचोपरान्त जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30-7-1999 के अनुक्रम में अपने आदेश पत्रांक 4817 दिनांक 3-8-1999 द्वारा स्थल पर तैनात प्रभारी अवर अभियन्ताओं को सेवा से मुक्त करने का निर्देश अधिशासी अभियन्ता को दिया था ? यदि हां, तो अब तक किन-किन अवर अभियन्ताओं को सेवा से मुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

श्री सुधीर कुमार एवं श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दुर्गा बंशल फर्टिलाइजर लि० मंगारी, फैजाबाद की जहरीली गैस रिसाव से नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति का भुगतान मांगने पर किसानों पर फर्टिलाइजर के प्रबन्धक व कर्मचारियों द्वारा लाठी चार्ज सम्बन्धी कोतवाली बीकापुर फैजाबाद में दर्ज मुकदमा एवं कार्यवाही

171–श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री दुर्गा बंशल फर्टिलाइजर लि० मंगारी, फैजाबाद की जहरीली गैस रिसाव से नष्ट हुई खरीफ सन् 1999 की फसलों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मांगने गये प्रभावित गांव मंगारी, असरेवा, रिवछिरपुर, परसीपुर, साल्हीपुर के किसानों पर दिनांक 29-11-99 को फर्टिलाइजर के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों द्वारा बर्बर लाठी चार्ज व बन्दूकों से फायरिंग करके किसानों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में कोतवाली, बीकापुर, फैजाबाद में मुकदमा अपराध सं०–330/99 अन्तर्गत धारा 307, 504, 506 भा० दं० वि० एवं धारा 3(1) अनु० जाति उत्पीड़न निवारण अधि० कायम हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना के संबंध में मिल मालिक, प्रबन्धकों एवं अन्य दोषी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मामले में अभियुक्त स्वामी नाथ तथा गया बक्श सिंह को गिरफ्तार किया गया । दोनों अभियुक्तों की लाईसेन्सी बन्दूकें जमा कर ली गयी हैं । तीसरा अभियुक्त चन्द्रभान ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । फैक्ट्री में कई मैनेजर हैं । यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कौन मैनेजर था और न किसान ही इस संबंध में आज तक बता सके । इस कारण मैनेजर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका ।

भारत नेपाल सीमा पुलिस संगठन को अर्धसैनिक बल का दर्जा देकर सीमा सुरक्षा बल की भांति बटालियने गठित किये जाने की मांग

172–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 में गठित भारत नेपाल सीमा पुलिस में रैंकवार सिपाही, प्रधान आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षक, उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक व अपर महानिदेशक स्तर तक के कर्मचारी व अधिकारी

कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त पुलिस संगठन ने दो वर्षों में घुसपैठियों व तस्करी संबंधी कितने मामले दर्ज किये ? क्या सरकार उक्त संगठन को मजबूती प्रदान किये जाने हेतु इसे अर्धसैनिक बल का दर्जा देकर सीमा सुरक्षा बल की भांति बटालियनें गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

पुलिस अधीक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

उ० प्र० नेपाल सीमा पुलिस बल को सीमा शुल्क, अधिनियम के अन्तर्गत विधिक अधिकार प्राप्त न होने के कारण तस्करी संबंधी पकड़े गये मामलों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु उ०प्र० नेपाल सीमा पुलिस बल द्वारा सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया जाता है।

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव गृह विभाग में विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अधीन सहकारी कामदार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं भर्ती स्थगित करने के आदेश

173–श्री सुधाकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अधीन सहकारी कामदार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 21 मार्च, 1997 से लेकर अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये और उनके चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ? क्या यह सच है कि नियमों व प्राविधानों का अतिक्रमण करके बिना परीक्षा व साक्षात्कार लिये उक्त पदों की सीधी भर्ती प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका दोषी कौन है और वैधानिक प्रक्रिया द्वारा उक्त भर्ती हेतु सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

निर्धारित अवधि में 13310 आवेदन पत्र प्राप्त हुये परन्तु उक्त चयन प्रदेश की संबंधित सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होने तक स्थगित रखने के आदेश दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ की खराब वित्तीय स्थिति होने के कारण बन्द पड़ी प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालन किये जाने की मांग एवं प्रासंगिक व्यय में बढ़ोत्तरी की जांच किये जाने की मांग

174–श्री सुधाकर सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का वेतन वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण मई, 1997 से नहीं दिया जा रहा है ? क्या इस कारण कई, प्रशिक्षण संस्थायें बन्द हो गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त संस्था के विधिवत संचालन की व्यवस्था कर रही है ? क्या यह सच है कि वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में उक्त संस्था के प्रासंगिक व्यय में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 1996-97 में बढ़े हुये प्रासंगिक व्यय व उसके औचित्य की उच्चस्तरीय जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं।

माह दिसम्बर, 1999 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में मात्र रु० 8734.50 पैसे का प्रासंगिक व्यय में वृद्धि हुई है, जिसका कारण मंहगाई में वृद्धि तथा कतिपय आवश्यक नयी मदों में व्यय का होना है ।

वर्ष 1996-97 में प्रासंगिक व्यय की वृद्धि औचित्य पूर्ण है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लखीमपुर में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा की जानकारी दिये जाने की मांग

175–डा० कौशल किशोर–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सहकारी बैंक लखीमपुर में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

तदर्थ कर्मचारी मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ से प्राप्त स्थगन आदेश के आधार पर कार्यरत हैं इनकी सेवाओं का विनियमतीकरण बैंक की सेवा में अभी नहीं हो पाया है तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ से प्राप्त स्थगन आदेशों के क्रम में कार्यरत होने से इनकी पूर्व की तदर्थ सेवा की यथा स्थिति रखते हुये इन्हें अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है ।

जनपद मथुरा, थाना गोवर्धन मुकदमा अपराध संख्या 32/99 की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र

176–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–32/99 थाना गोवर्धन, मथुरा की सी० बी० सी० आई० डी० जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–2/23435/मथुरा/99, दिनांक 18-5-1999 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मुकदमा अपराध सं०–32/99 थाना गोवर्धन, मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने के निर्देश दिनांक 25-1-2000 को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, श्री बहोरी लाल द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच विषयक विधायक कोष्ठक द्वारा जिलाधिकारी मथुरा को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

177–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, श्री बहोरी लाल द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर उन्हें जनपद से बाहर स्थानान्तरण किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–2/23442/ मथुरा/99, दिनांक 18-5-1999

जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना–वृन्दावन मु० अ० संख्या–206/99 में अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक से पुलिस अधीक्षक मथुरा को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

178–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–206/99 थाना वृन्दावन जनपद मथुरा में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–2/23439/मथुरा/99, दिनांक 18-5-1999 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा की आख्यानुसार सन्दर्भित पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं हो पाया है ।

मु०अ०सं०–206/99 धारा 304/506 भा०द०वि० थाना वृन्दावन के अभियुक्त रविन्द्र राघव, प्रधानाचार्य, पी०एम०बी० वृन्दावन व उसकी पत्नी व दोनों लड़को के विरूद्ध पंजीकृत हुआ । इस अभियोग की विवेचना से पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट अंकित न होने के कारण विसरा सील करके परीक्षण हेतु भेजा गया । विवेचना के मध्य कालेज के अध्यापकों एवं स्टाफ तथा 04 अन्य गवाहानों के कथन अंकित करने पर सभी गवाहान द्वारा अभियुक्त रविन्द्र राघव के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया जाना बताया गया है । क्योंकि उपरोक्त चारों गवाह चश्मदीद हैं । विवेचना से अभियोग झूठा पंजीकृत होना पाये जाने पर दिनांक–1-2-2000 को अन्तिम रिपोर्ट सं०–3/2000 के द्वारा विवेचना समाप्त करके न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा जनवरी, 1999 से की गयी विदेश यात्रायें एवं व्यय हुई धनराशि का विवरण

179–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा एक जनवरी, 1999 से अब तक कितनी विदेश यात्रायें की गई ? उन विदेश यात्राओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री राम प्रकाश–

माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा 01 जनवरी, 1999 से अब तक कोई विदेश यात्रा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लेखा संवर्ग एवं परिषदीय सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पदों के सृजन में की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक सचिव (वित्त) को सम्बोधित पत्र एवं कार्यवाही

180–श्री हरदेव सिंह–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लेखा संवर्ग एवं तथाकथित परिषदीय सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पदों के सृजन में की गई अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-9-98 जो कि प्रमुख सचिव (वित्त) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं । पत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु मा० विधायक को विशेष सचिव वित्त की ओर से तीन अर्धशासकीय पत्र दिनांक 31-12-99, 28-1-2000 एवं 9-3-2000 भेजे गये तथा व्यक्तिगत सम्पर्क करके भी पत्र की प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया गया किन्तु पत्र की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं की संख्या एवं आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

181–श्री सतीश जतारिया–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने शासकीय अधिवक्ता (दीवानी, फौजदारी व राजस्व) नियुक्त हैं ? उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या यह सही है कि शासकीय अधिवक्ता पद पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

प्रदेश में कुल 926 शासकीय अधिवक्ता नियुक्त हैं ।

76 अधिवक्ता अनुसूचित जाति के हैं ।

शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति एक व्यवसायिक आबन्धन है, इनका पद शासकीय सेवा का पद नहीं है जिसके कारण इन पदों पर आरक्षण अधिनियम लागू नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये उत्पीड़न के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

182—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र संख्या क–2 नं० 241320, दिनांक 16-10-99 जो दिनांक 3-10-99 को जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये उत्पीड़न के संबंध में फैक्स उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु माननीय सदस्य से अनुरोध किया गया था परन्तु उनसे प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ के पुलिस के विरुद्ध जांच विषयक पत्र संख्या क–2 नं० 2411326 दि० 19-10-99 एवं कार्यवाही

183—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या क-2 नं० 2411326, दिनांक 19-10-99 जो प्रतापगढ़ के पुलिस के विरुद्ध जांच विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु मा० सदस्य से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

ई० डब्लू० एस० तथा आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटित मकानों पर रजिस्ट्री के समय न्यूनतम स्टाम्प व्यय किये जाने की मांग

184—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ई०डब्लू०एस० मकानों तथा आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटित मकानों पर रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टाम्प व्यय को न्यूनतम करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 12 बजकर 19 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ब० स० पा० के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर धार्मिक स्थल विधेयक पर चर्चा कराने की मांग करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कुछ क्षणों बाद 12.20 बजे वित्तीय वर्ष 2000-2001 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा । मा० सदस्यों को वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–"हां" सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ, चित्रकूट, तथा आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण और "नहीं" सभाकक्ष में नाम निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

सभी सदस्यों को बजट भाषण की प्रतियां वितरित की जायें ।

(बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, किसान कामगार पार्टी के मा० सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर "धर्म स्थल विधेयक वापस लो, काला कानून वापस लो" के नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 का आय-व्ययक

(बजट भाषण की प्रतियां बांटी गई)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2000-2001 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं :—

(घोर व्यवधान जारी रहा तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजट भाषण की प्रति फाड़कर मा० अध्यक्ष के आसन की ओर फेंकी ।)

(इसी घोर व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ते रहे)

नयी सहस्त्राब्दि के प्रथम वर्ष में आज भारत के सबसे बड़े राज्य का बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वर्ष 1999-2000 का बजट फरवरी माह में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु इस बार लोक सभा एवं विधान सभा के उप चुनाव तथा बकरीद एवं होली के त्योहार पड़ने के कारण इस बजट को फरवरी में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो सका । इस प्रकार मार्च, 31 तक बजट के पारित न हो सकने की स्थिति में तीन माह का लेखानुदान भी साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है।

आर्थिक परिवेश :—

मान्यवर,

★ इस समय उत्तर प्रदेश आर्थिक पिछड़ेपन और भीषण आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है । आज की यह स्थिति विगत अनेक वर्षों की गलत नीतियों, अनियोजित नियोजन तथा बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार का परिणाम है । मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को इस दुष्चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभावी सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से स्थिति में सुधार लाने के लिए सचेष्ट है ।

मान्यवर,

★ हमारे प्रदेश में प्रचुर मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु इनके सही दोहन एवं नियोजन की सही नीति नहीं बनायी गयी । मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि इन संसाधनों का सही ढंग से दोहन किया गया होता, तो हम प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन एवं गरीबी को दूर कर आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली की दिशा में बहुत आगे पहुंच गये होते ।

★ श्रीमन्, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1950-51 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश के प्रति व्यक्ति आय के बराबर थी लेकिन आज वह राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम रह गयी है । राज्य का इस प्रकार निरन्तर पिछड़ते रहने का मुख्य कारण रहा है प्रति व्यक्ति केन्द्र से अन्तरण, योजना परिव्यय एवं केन्द्रीय पूंजी निवेश का प्रदेश में कम होना । आरम्भ की चार पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय परिव्यय में उत्तर प्रदेश का अंश केवल 5 से 7.5 प्रतिशत रहा है जबकि जनसंख्या 16 प्रतिशत है । वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, के द्वारा संस्तुत अन्तरण में भी राज्य को हमेशा जनसंख्या के अनुपात से कम अन्तरण प्राप्त हुआ है । केन्द्रीय योजना आयोग से मिलने वाली सहायता भी राज्य को आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं प्राप्त हुई । राज्य को प्राप्त प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में काफी कम रही है । केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्र में पूंजी निवेश किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास का आवश्यक अंग होता है किन्तु प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक भी

औद्योगिक परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में नहीं स्थापित की गयी । वर्ष 1968-69 तक केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के पूंजी निवेश में उत्तर प्रदेश का अंश केवल 4.3 प्रतिशत ही रहा । फलतः विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया ।

★ इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वर्तमान भारत सरकार की नीति पिछड़े राज्य सरकारों के संबंध में बदली है और ग्यारहवें वित्त आयोग की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है जिसके परिणाम अच्छे होंगे । इस सम्बन्ध में-मैं आगे कहूंगा ।

वित्तीय स्थिति :–

श्रीमन्,

राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में राज्य की न्यून विकास दर का नकारात्मक प्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है । हमारे वित्तीय संसाधन वांछित दर से नहीं बढ़ पाये हैं तथा राज्य कर एवं राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में जड़ता आ गई है । दूसरी ओर केन्द्र से राज्यों को होने वाले कुल अन्तरण में कमी आयी है । केन्द्र के पंचम वेतन आयोग के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को भी वेतन आदि देने से वेतनमान भुगतान के मद में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । यह वृद्धि 4000 करोड़ रुपये से 4500 करोड़ रुपये एकमुश्त एवं 3000 करोड़ रुपये से 3500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है । इस वृद्धि ने राजस्व घाटे को प्रभावित किया है । ऋणों के प्रतिदान एवं ब्याज के मद में दी जाने वाली धनराशि भी वर्षानुवर्ष बढ़ती जा रही है । यह वृद्धि प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है, फलस्वरूप राज्य का राजस्व घाटा बढ़ रहा है और पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है ।

इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार की राजकोषीय व्यवस्था के चलते रहना राज्य के समग्र विकास में बाधक है और इसमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि राजकोषीय घाटा इतना अधिक बढ़ गया है कि अब इसको कम करना नितान्त आवश्यक हो गया है ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम :–

राज्य सरकार विगत लगभग 12 वर्षों से चलते आ रहे इस राजकोषीय असंतुलन को दूर करने एवं विकास की दर को ऊंचे स्तर पर पुनः स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है । माननीय सदन इस तथ्य से अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 में आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय वित्तीय स्थिति पर एक ''श्वेत-पत्र'' भी जारी किया गया था । इस श्वेत-पत्र में तत्समय उत्पन्न राज्य की वित्तीय स्थिति की विवेचना की गयी थी ।

इसी सन्दर्भ में मैं, सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजकोषीय परिदृश्य में गुणात्मक सुधार लाने के दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार के साथ दिनांक 04-जून, 1999 को ''समझौता-ज्ञापन'' पर हस्ताक्षर किये गये । इस ''समझौता-ज्ञापन'' के अन्तर्गत, राजकोषीय स्थिति में सुधार किये जाने के राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प को सराहते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य को कठिन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी । हम केन्द्र सरकार के इस सामयिक सहयोग के आभारी हैं ।

इस समझौता-ज्ञापन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लगभग 12 क्षेत्रों में एक समयबद्ध सारिणी के अनुसार सुधार कार्यक्रम लागू किये गये । इसमें कर एवं करेत्तर राजस्व के क्षेत्र में सुधार, अवस्थापना सुविधाओं यथा ऊर्जा, सिंचाई एवं सड़क क्षेत्र में व्यापक सुधार, सामाजिक सेवाओं यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में सुधार, उद्योग क्षेत्र में

सुधार तथा बजटीय क्षेत्र में सुधार आदि कई प्रमुख कार्यक्रम सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों का सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है और इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दी गई बचनबद्धता को पूर्ण भी कर लिया गया है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा एक मध्यकालीन राजकोषीय नीति तैयार की गई है जिसमें सुधार कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यद्यपि राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से राजस्व में वृद्धि, व्यय की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है तथापि यह कार्यक्रम व्यापक है और इनका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा, सिंचाई, एवं सड़क तथा सामाजिक सेवाओं यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के क्षेत्रों में अलग-अलग विस्तृत सुधार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

जहां तक राजकोषीय क्षेत्र में सुधार का संबंध है मैं, उसकी कुछ मुख्य-मुख्य बातों को सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा।

i चूंकि व्यापार कर राज्य की राजस्व आय का एक बड़ा स्रोत है। इसलिये इस क्षेत्र में दरों के अभिनवीकरण, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा प्रशासनिक सुविधा में सुधार के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास जारी हैं। इस संबंध में अगले 4 वार्षिक चरणों में उपरोक्त क्षेत्रों में व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू किये जायेंगे। पूरे व्यापार-कर प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण भी किया जायेगा।

मैं यहां यह अवगत कराना चाहूंगा कि दिल्ली में हुई वित्त मंत्रियों की बैठक में हुई आम सहमति के बाद राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कर दरों को चार वर्गों में विभाजित कर न्यूनतम "फ्लोर" दरें घोषित कर दी गयी हैं, जो शून्य के अतिरिक्त क्रमशः 4, 8, 12, व 20 हैं। हम आशा करते हैं कि इससे राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होगी। उपरोक्तानुसार व्यापार कर की दरों के प्रकार को 11 से घटाकर 5 तक लाया जायेगा। वस्तुओं के वर्गीकरण को 1400 से घटाकर 200 तक लाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इन सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य यही होगा कि इनके क्रियान्वयन से प्रदेश को व्यापार कर से प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और प्रक्रिया का सरलीकरण एवं पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और व्यापारी वर्ग सुगमता पूर्वक एवं सहज रूप से देश के विकास में योगदान कर सकें। "इन्ट्री टैक्स" (प्रवेश कर) को प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे लगभग 500.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार व्यापार कर की मद में वर्ष 1999-2000 के 3830 करोड़ रुपये पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष 4900 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा और इस क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया जायेगा, जिससे कि पारदर्शिता परिलक्षित हो। इन उपायों से स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क की राशि में वृद्धि होगी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमान 1397.89 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2000-2001 में 1472.41 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। मोटर वाहन तथा माल एवं यात्री करों की दरों का सतत् युक्तिकरण व सरलीकरण किया जाता रहेगा, जिससे राज्य के कर संसाधन जुटाने में अधिक योगदान हो सके। वाहन कर तथा माल एवं यात्री कर में वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमान 626.67 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2000-2001 में 728.85 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है।

जहां तक करेत्तर राजस्व का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की फीस तथा शुल्कों की समीक्षा की है तथा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण शुल्क की दरों का युक्तिकरण किया है ताकि लागत की किंचित प्रतिपूर्ति हो सके, जिससे इस

क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु धन उपलब्ध कराया जा सके । करेत्तर राजस्व में वर्ष 2000-2001 में 1919.20 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है ।

ii राजस्व आय में वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार राज्य में होने वाले व्यय की विस्तृत समीक्षा कर उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर रही है । इसका मुख्य उद्देश्य अनुत्पादक व्यय में कटौती करके उच्च प्राथमिकता वाले विकास व्यय में वृद्धि करना होगा । इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुदानों की समीक्षा करना भी प्रस्तावित है ।

राजस्व एवं व्यय के क्षेत्रों में प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम को सफल करने के लिए व्यय प्रबन्धन क्षेत्र में भी सुधार का प्रयास किया जा रहा है । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वृहद् कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम लागू किया गया है । समस्त कोषागारों के कार्य-कलापों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है तथा बजट बनाने की प्रक्रिया को भी शनै-शनैः पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा । इसी प्रक्रिया में बजट अनुमानों को वास्तविक बनाने, व्यय के मासिक/त्रैमासिक स्तर निर्धारित करने, राजस्व को विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं एवं नीतियों के अनुसार निर्धारित करने, विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग से राज्य को लाभांश प्राप्त होने, पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर अधिक बल देने तथा आय-व्ययक की नियमित रूप से समीक्षा करने आदि के बिन्दु सम्मिलित हैं ।

iii राजस्व एवं वित्तीय प्रबन्ध तथा प्रशासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में कार्यकुशलता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व्यवस्था के साथ-साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन पर मेरा लगातार जोर रहेगा । मैं चाहूंगा कि राजस्व व वित्तीय प्रबन्ध में लगे सभी लोग कबीर दास जी के निम्न दोहे से प्रेरणा लें जो उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि संसार में बेदाग कैसे रहें–

"ऐसे जतन से ओढ़ी चदरिया
कि जस की तस धर दीन्हीं"

iv मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार का यह विशेष प्रयास होगा कि राज्य में ऋण-ग्रस्तता के स्तर में कम से कम वृद्धि हो तथा इस प्रकार के ऋणों को लेने का प्रयास किया जाय, जिसमें ब्याज की दर कम हो तथा जिनके भुगतान की अवधि दीर्घकालीन हो । ऊंची ब्याज वाले अल्प कालीन ऋणों के स्थान पर कम ब्याज वाले दीर्घ कालीन ऋणों को लिया जायेगा । इससे प्रति वर्ष ब्याज भुगतान की राशि में कमी आयेगी तथा राजस्व घाटे को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी ।

मान्यवर,

ऋण पर निर्भरता तो कुछ अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती है परन्तु ऋण की ग्रस्तता तो एक तरह का आर्थिक कैन्सर है । मैं चाहूंगा कि सन्त शिरोमणि श्री कबीर दास जी का यह दोहा हम सभी के लिये मार्ग दर्शक बने । जैसा उन्होंने कहा है कि–

"कर बहियाँ बल आपनी, छोड़ि बिरानी आस
जहि आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास"

इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के लिये राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारन्टी की नीति में भी परिवर्तन किया गया है । पूर्व का अनुभव यह बताता है कि अनेक संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान नहीं किया है तथा शासकीय गारन्टी होने के कारण इन ऋणों के भुगतान का दायित्व राज्य पर आया है तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अब राज्य सरकार द्वारा गारन्टी तभी दी जायेगी जब यह पूर्ण

रूप से सुनिश्चित हो जायेगा कि संस्था द्वारा ऋण की राशि का उपयोग ऐसे कार्यों पर किया जायेगा, जिससे मूलधन की किस्त एवं ब्याज की किस्तों का भुगतान नियमित रूप से हो सके।

यहां मैं, सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इसी बीच ग्यारहवें वित्त आयोग के सम्मुख राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी, मंत्रि मण्डल के सहयोगियों एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा दी गयी अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यांश के अतिरिक्त, संविधान की धारा–275 के परन्तुक के अन्तर्गत लगभग 14500.00 करोड़ रुपये की संस्तुति की है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि मिलने की सम्भावना है, जिसके कारण राज्य सरकार को अपने वित्तीय असंतुलन को दूर करने में सहायता मिलेगी। मैंने अपने बजट अनुमानों में इस मद में 1649 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लिया है।

मैंने राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के संबंध में जो मध्यकालीन रणनीति का ऊपर उल्लेख किया है, उसके माध्यम से ऋण के स्तर और ऋण सेवा अनुपात में कमी हो सकेगी तथा वर्ष 2003-2004 तक प्राइमरी घाटा समाप्त होकर वह प्राइमरी बचत के रूप में परिलक्षित होगा। इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में वर्ष 2004-2005 में वर्ष 1998-99 के सापेक्ष काफी अधिक कमी हो जायेगी। इसी प्रकार राज्य का स्वयं का राजस्व जो (घोर व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे।

(घोर व्यवधान)

अभी तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 प्रतिशत के आस पास ही रहा है वह इस मध्यकालीन परिप्रेक्ष्य में बढ़कर वर्ष 2004-2005 में लगभग 8 प्रतिशत हो जायेगा।

राजकोषीय सुधार के साथ ही महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक सेक्टरों जैसे ऊर्जा, सिंचाई, सड़क निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी व्यापक सुधार लागू किये जा रहे हैं। राजकोषीय क्षेत्र में सुधार तथा आर्थिक एवं सामाजिक सेक्टरों में चलाये जा रहे सुधार कार्यक्रमों के कारण राज्य द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सामाजिक सेवाओं में अधिक विनियोग किया जा सकेगा, इनके स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार होगा और एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसके कारण निजी पूंजी विनियोग इस प्रदेश में और आकर्षित होगा। राज्य में समग्र पूंजी विनियोग बढ़ेगा तथा उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनने का सपना साकार होगा।

इन सबका सम्मिलित प्रभाव राज्य की विकास की दर पर भी पड़ेगा तथा राज्य में विकास की दर में गति आयेगी और मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर में क्रमिक वृद्धि के साथ वर्ष 2004-2005 में राज्य की विकास की दर 5 प्रतिशत के स्तर को पार कर जायेगी।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास :–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि वित्तीय असंतुलन को दूर करने के लिए विकास की गति बढ़ाना ही एक मात्र समाधान है और शेष सभी कार्य-कलाप इसी की सफलता पर आधारित हैं। राज्य के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का

विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि निजी पूंजी निवेश में वृद्धि हो सके और साथ ही साथ सृजित की गयी अवस्थापना सुविधाओं का दोहन हो सके और राज्य की राजस्व आय में भी पर्याप्त वृद्धि हो सके।

ऊर्जा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम :–

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देश देता हूं कि सारे टी० वी० सेट तथा कैमरे बन्द कर दिये जायें। जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं उनके कैमरे की रील निकलवा ली जाय।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर,

यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि जहां प्रदेश में प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग के आधार पर प्रदेश का स्थान अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे है, वहीं कार्यकुशलता के मानकों यथा विद्युत गृह क्षमता उपयोग (प्लान्ट लोड फैक्टर) तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में प्रदेश की स्थिति काफी खराब है। इन सबका राज्य विद्युत परिषद् की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाये गये हैं ताकि जहां राज्य की जनता को अबाध एवं नियमित विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो, वहीं विद्युत कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा हो सके।

इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा "विद्युत नियामक आयोग" का गठन किया गया है तथा आयोग द्वारा विधिवत् अपना कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम" पारित कर दिया गया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम-2000" अधिसूचित की गयी है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य विद्युत परिषद् को तीन स्वतंत्र निगमों यथा– "उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड", "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड" एवं "उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड" में विभक्त कर दिया है तथा इन तीनों निगमों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

सदन के वेल में आये हुए सदस्यों को "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किया जाय" सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष द्वारा चर्चा में अनुमति प्रदान न किये जाने के निर्देश

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देश देता हूं कि जितने भी सदस्य वेल पर खड़े हैं उन सबका नाम नोट कर लिया जाय तथा जब इस विधेयक पर चर्चा हो वह मांग करें तो उन्हें चर्चा करने की अनुमति न दी जाय।

(सदन के वेल पर श्री अकबर हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री इलम सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री जगदीश नारायण राय, श्री जगपाल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री धर्मराज निषाद, श्री मुरलीधर, श्री मुराद लारी, श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी, श्री राम ललित चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री मुख्तार अंसारी, श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री राजा रामपाल, श्री लालमणि प्रसाद, श्री सतीश जतारिया, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री मतेश चन्द्र सोनकर खड़े थे)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक (क्रमागत)

(घोर व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'' ने अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखा ।)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

मैं, सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए कटिबद्ध है । यह नये निगम आरम्भ से ही कुशलता पूर्वक एवं लाभ के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करें, यही राज्य सरकार का उद्देश्य है । इस उद्देश्य की प्राप्ति में राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को पूर्व में दिये गये ऋण एवं उस पर देय ब्याज का लगभग उन्नीस हजार पांच सौ करोड़ रुपये को ''बट्टे-खाते'' में डालने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त आरम्भ की

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यगण नारे लगाते रहे)

कठिनाइयों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने आय-व्ययक के माध्यम से यथा सम्भव वित्तीय सहायतॉ दिये जाने का भी निर्णय किया है । वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमान 1385.13 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2000-2001 में ऊर्जा विभाग के अनुदान में 2477.13 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है ।

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की पहल का स्वागत किया है तथा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अपनी वचनबद्धता दी है तथा इस संबंध में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है । इस दिशा में राज्य सरकार एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के मध्य दिनांक 25 फरवरी, 2000 को एक ''समझौता-ज्ञापन'' भी हस्ताक्षरित किया गया है ।

इस समझौता-ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा एक समयबद्ध सारिणी के अनुसार पारेषण एवं वितरण कार्यों, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा आडिट करने, वितरण केन्द्रों को लाभ के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने एवं ''विद्युत नियामक आयोग'' को प्रभावी भूमिका हेतु पूर्ण सहायता देने आदि कार्यों को करना होगा । इन सब कार्यों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ''पावर फाइनेंस कारपोरेशन'' के माध्यम से लगभग 7000.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । इस हेतु यदि आवश्यक होगा तो पावर फाइमेन्स कारपोरेशन द्वारा सामान्य शर्तों का शिथिलीकरण भी किया जायेगा ।

यह वित्तीय सहायता मुख्य रूप से ओवरा, पनकी, हरदुआगंज, पारीछा, आनपारा ''अ'' विद्युतगृहों के अभिनवीकरण हेतु 2000.00 करोड़ रुपये, जलविद्युत परियोजनाओं हेतु 300.00 करोड़ रुपये, पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु 700.00 करोड़ रुपये, उपभोक्ता स्तर तक सन् 2001 तक प्रत्येक में मीटर लगाने एवं कम्प्यूटराइज्ड बिल व्यवस्था हेतु 650.00 करोड़ होगी । ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आनपारा ''सी'' विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 3500.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम की पूर्ण सहायता की जायेगी ।

जल विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु मनेरी भाली फेज-दो तथा लखवार व्यासी परियोजनाओं को पुनः शुरू किया जायेगा तथा इन्हें ''नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन'' एवं ''उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम'' के द्वारा संयुक्त क्षेत्र में निर्मित किया जायेगा ।

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय बजट में ऊर्जा क्षेत्र में पारेषण एवं वितरण कार्यों में सुधार हेतु लगभग 1000.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की घोषणा की है । राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि इस हेतु पारेषण एवं वितरण के लिए नई परियोजनाएं तैयार कर इस अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि में से अधिक से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायं ।

ऊर्जा क्षेत्र में उपरोक्त मूलभूत सुधार के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2003 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 6730 निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किया गया । विद्युत उत्पादन में पिछले साल की तुलना में अपेक्षाकृत सुधार आया है एवं विद्युत गृह क्षमता उपयोग (पी० एल० एफ०) 49 प्रतिशत से अधिक पहुंचा है ।

इसके अतिरिक्त नये उद्योगों को त्वरित गति से विद्युत भार स्वीकृत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है ।

सड़क एवं पुल :—

अवस्थापना सुविधाओं में दूसरे महत्वपूर्ण कार्य यथा– सड़कों एवं पुलों का निर्माण व अनुरक्षण है । उल्लेखनीय है कि वर्क चार्ज तथा दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था अनुदान संख्या–58 के अन्तर्गत अनुरक्षण व निर्माण कार्यों के अन्तर्गत की जाती थी वह अनुदान संख्या–54 अधिष्ठान में स्थानान्तरित की जा रही है ताकि निर्माण व अनुरक्षण कार्यों के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके । साथ ही आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) स्टॉफ के लिये लगभग 199.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुदान संख्या–54 अधिष्ठान से हटाकर अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार में की जा रही है ।

अनुदान संख्या–58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल 1474.82 करोड़ रुपये के प्रविधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए कुल 1615.26 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष कुल 140.44 करोड़ रुपये अधिक है । इसके अतिरिक्त वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन आदि की जो व्यवस्था अभी तक अनुदान संख्या–58 के अन्तर्गत की जाती थी, को अब आगामी वित्तीय वर्ष से अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में कराया गया है तथा इसके लिये 122 करोड़ रुपये (एरियर की धनराशि को छोड़कर) का प्राविधान किया गया है, जिससे अब इतनी ही अतिरिक्त धनराशि निर्माण/अनुरक्षण कार्यों के लिये उपलब्ध हो सकेगी । इस प्रकार लगभग 262 करोड़ रुपये की वृद्धि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों के लिये की जा रही है ।

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत जिला योजना में कुल 326.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा नाबार्ड वित्त पोषित ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत कुल 348 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है । इस प्रकार ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये कुल 674.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए करायी जा रही है, इसमें 160 करोड़ रुपये से नये कार्य कराये जायेंगे ।

प्रदेश के ग्रामों को जोड़ने की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 3300 ग्रामों को लेपित मार्गों से जोड़ने के लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं में जनवरी, 2000 तक 1920 ग्रामों को लेपित मार्गों से जोड़ा जा चुका है ।

वर्ष 2000-2001 में विभिन्न ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत 3300 ग्रामों को सर्वऋतु योग्य लेपित मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रदेश में बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे सम्पारों के स्थान पर ऊपरिगामी सेतुओं के निर्माण को वरीयता प्रदान की गई है एवं वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 6 नये ऊपरिगामी सेतुओं का निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा तथा लगभग 25 और ऊपरिगामी सेतुओं के लिए भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने के प्रस्ताव भेजे जायेंगे । नई मांगों से ऊपरिगामी सेतुओं के लिए 15 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्थ वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में करायी गयी है ।

(सदन के वेल में आये हुए विपक्ष के सदस्यगण नारे लगाते रहे ।)

(वित्त मंत्री जी द्वारा बजट भाषण पढ़े जाने के मध्य ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियम 110 के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल ने आपको लिख कर दिया है ।

(घोर व्यवधान के मध्य नेता विरोधी दल से)

श्री अध्यक्ष–

आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं आप इन लोगों से कहें कि वह अपने स्थान पर जांय । कृपया अपने स्थान पर वापस जांय । मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं और आप अपने स्थान पर वापस नहीं जा रहे हैं। मैं कार्यवाही नहीं रोकूंगा ।•यह कोई तरीका नहीं है । इस प्रकार से बिना अनुमति के कोई बात कहें, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस बजट के पेश होने के पहले मैंने प्रस्ताव किया था और इस सदन की नियमावली के नियम 110 के तहत प्रस्ताव किया था ।

(व्यवधान)

इस काले कानून को पास करने के लिये प्रस्ताव पेश हुआ था, का विरोध मैने और मेरी पार्टी ने किया था, जोरदार तरीके से किया था, लेकिन असंवैधानिक तरीके से इसे पास किया गया था ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बजट भाषण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं चर्चा कराने के लिये आपसे अनुरोध कर रहा हूं । आप केवल इतना स्वीकार कर लीजिये । बजट के तुरन्त बाद चर्चा स्वीकार कर लें । गतिरोध अपने आप समाप्त हो जायेगा, हम नहीं चाहते हैं, बजट में व्यवधान पैदा हो ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे)

(वित्त मंत्री ने पुनः अपना भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया । श्री जगदीश सिंह राणा ने रिपोर्टर की कापी तथा रिपोर्टर्स मेज की बजट प्रति छीनकर माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर फेंकीं)

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा केन्द्रीय बजट के माध्यम से ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) की राशि में वृद्धि के साथ-साथ ब्याज की दर में आधा प्रतिशत की कमी की गयी है । राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि इस ऋण के माध्यम से लोक निर्माण की नई परियोजनाएं ली जांय ।

इसके अतिरिक्त "राज्य सड़क निधि" में वर्ष 1999-2000 के 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2000-2001 में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बजट के माध्यम से "केन्द्रीय सड़क निधि" में भी अधिक व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है, इसके कारण इस निधि से राज्य सरकार को अधिक धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है । इस धनराशि से न केवल राष्ट्रीय राज्य मार्गों के निर्माण एवं विस्तार का कार्य किया जायेगा, बल्कि राज्य स्तरीय नये मार्गों का भी निर्माण कराया जायेगा । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से 1600.00 करोड़ रुपये की एक नई परियोजना लिया जाना भी प्रस्तावित है ।

सिंचाई:—

यह सदन इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि राज्य की आय में कृषि क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तथा कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु सिंचाई की समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई क्षेत्र में पुनर्गठन का कार्यक्रम इस उद्देश्य से लिया जा रहा है कि जिससे सृजित सिंचाई सुविधाओं का समुचित रख-रखाव हो सके एवं नई सिंचाई सुविधा सृजित हो सके। इस हेतु जहां त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) एवं ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) के माध्यम से अधिक से अधिक संस्थागत वित्त प्राप्त किया जायेगा, वहीं विश्व बैंक की सहायता से एक नई परियोजना भी शुरू की जायेगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई संगठन के ढांचे में भी मूलभूत परिवर्तन किये जा रहे हैं। कार्य को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ का चिन्हीकरण किया गया है, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य के जल संसाधनों के समन्वित एवं एकीकृत विकास हेतु राज्य जल नीति वर्ष 1999 में घोषित की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य सतही एवं भूगर्भ जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ जल संसाधन प्रबन्धन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जल उपयोग कर्ताओं अर्थात् किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। किसानों की जल उपभोक्ता समितियाँ गठित कर नहरों का अनुरक्षण एवं परिचालन विकेन्द्रीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 7 नई परियोजनाएं चिन्हित की गयी हैं, जिन पर इसी पंचवर्षीय योजनाकाल में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में 10 चेक डैम एवं 14 जलाशयों के पुनर्निर्माण करने का कार्य भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना एवं कनहर परियोजना पर भी कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में बाढ़ एवं जल प्लावन से लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है। इस समस्या के निदान के लिए भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में नई मांगों के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा एवं जल निकासी परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बाढ़ सुरक्षा के लिए आय-व्ययक में समुचित व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा निधि से राज्य को मिले 96.00 करोड़ रुपये को परियोजनाओं में व्यय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुदान संख्या–94 (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित प्राविधान 1574.06 करोड़ रुपये के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु 1845.47 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है, जो अपेक्षाकृत 271.41 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त वर्क चार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों की मजदूरी की 51.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुदान संख्या 93 (अधिष्ठान) में की गई है, जिसके कारण इतनी अतिरिक्त धनराशि निर्माण/अनुरक्षण कार्यों के लिए उपलब्ध होगी।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में वृहत् एवं मध्यम सेक्टर (पूंजीलेखे) के बाह्य सहायता कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपये, नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु 145 करोड़ रुपये एवं ए०आई०बी०पी० कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। बाह्य सहायतित कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये नई मांगों के माध्यम से व्यवस्था की गई है। लघु सिंचाई कार्यों हेतु 75.75 करोड़ रुपये एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु 55.84 करोड़ रुपये जिसमें 1.3 करोड़ रुपये नाबार्ड पोषित एवं 12.40 करोड़ रुपये केन्द्र पुरोनिधानित सम्मिलित है, की व्यवस्था की गई है।

पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक निर्माण कार्य एवं नयी योजनायें आरम्भ की गयी परन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण इन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं हुई है और विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े हुए हैं और किये गये निवेशों का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इस परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में यह निर्णय लिया गया था कि सामान्य तौर पर 80 प्रतिशत धनराशि चालू कार्यों के लिए रखी जाय और 20 प्रतिशत धनराशि ही नये कार्यों के लिए व्यवस्थित करायी जाय। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नये निर्माण कार्यों की तुलना में चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभागों के अनुदानों में अधिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जो पूंजी निवेश विभिन्न योजनाओं में किये गये हैं उनका लाभ तत्काल मिलना आरम्भ हो सके।

आवास :—

नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्या के समाधान हेतु राज्य आवास नीति के अन्तर्गत बनाई गई कार्य-योजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत समकालीन अवधि में इन अभिकरणों की कुल अर्जित आय में 126.45 प्रतिशत वृद्धि रही। शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋणों की अदायगी में गत वर्ष की तुलना में 150 प्रतिशत वृद्धि रही किन्तु ऋण लेने में 74 प्रतिशत कमी हुई, विकास निर्माण कार्यों पर 116 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया और अधिष्ठान व्यय में 7 प्रतिशत की कमी लाई गई।

सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत आश्रय योजना में गरीबी रेखा के नीचे निर्धनतम वर्ग के व्यक्तियों के लिये उनकी आर्थिक क्षमतानुसार 5, 10 व 15 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर सभी प्राधिकरण सेवित नगरों में आश्रय उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत लघु, मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को स्ववित्त पोषित आधार पर 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न प्राधिकरणों को सबके लिए आवास योजना के तहत अब तक 66600 भवन तथा आश्रय योजना के अन्तर्गत अब तक 44000 आश्रय उपलब्ध कराये जा चुके हैं। भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत अब तक 22600 भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

आवास निर्माण में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीति निर्धारित की गयी है।

नगर विकास :—

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 20 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस जनसंख्या को 12 नगर निगमों, 225 नगर पालिकाओं तथा 447 नगर पंचायत परिषदों द्वारा नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रदेश के 12 नगर निगमों में स्वकर निर्धारण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत आने वाली आवासीय इकाइयों के गृहकर, जलकर व ड्रेनेज निर्धारण की प्रक्रिया को सरल पारदर्शी वस्तुनिष्ठ बनाने एवं नागरिकों को स्वकर निर्धारण की सुविधा प्रदान की जायेगी। स्वकर निर्धारण की सुविधा से जहां एक ओर नागरिक सुविधायें उपलब्ध होंगी वहीं नगर निगमों की आय में वृद्धि होगी। नगर पालिका, देहरादून को उच्चीकृत करते हुए नगर निगम बनाया गया है। 11 बड़े महानगरों में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए 20.00 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की गई है।

राज्य वित्त आयोग की स्थापना के उपरान्त राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7 प्रतिशत नगरीय निकायों को अवमुक्त किया जा रहा है। कानपुर में साउथ सिटी जोन के लिये पेयजल आपूर्ति सीवरेज, सेनीटेशन एवं सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु डच सरकार के सहयोग से 118.19 करोड़ रुपये की "गंगा एक्शन सपोर्ट परियोजना" स्वीकृत की गई है। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 571.00 करोड़ रुपये से यमुना, गंगा एवं गोमती नदी के तट पर स्थित नगरों में प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दूषित जल को शोधित किया जायेगा।

नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप में 140.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था रिवाल्विंग फण्ड के रूप में करायी जा रही है।

"प्रशासन जनता के द्वार" को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 1725.56 लाख रुपये व्यय कर 764042 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

कुम्भ मेला, 2001 के लिए नगर विकास विभाग के अनुदान में 80.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद शहर में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु नई मांगों के माध्यम से 20.00 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 10.00 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद नगर निगम में जल निकासी एवं सीवरेज एवं ड्रेनेज अवस्थापना सुविधाओं के लिए 10.00 करोड़ रुपये व्यवस्था नई मांगों से की गई है।

(वेल में आये हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे किन्तु भारी शोर-शराबे के मध्य वित्त मंत्री का बजट भाषण जारी रहा।)

शिक्षा क्षेत्र :—

मान्यवर,

अब मैं, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार को सौंपा गया है और हम इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश में डेढ़ किलोमीटर की परिधि के अन्दर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है। शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत किसी गांव या उसके मजरे में जहां 30 बच्चे पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं और जहां एक किलोमीटर की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहां कक्षा 1 व 2 के शिक्षण की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल 488 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया तथा कुल 63 नवीन एवं 516 पुराने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भवन की व्यवस्था, न्यूनतम 2 अध्यापक, शिक्षण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है तथा इसके अन्तर्गत अब तक 70438 प्राथमिक विद्यालय आच्छादित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 19148 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी इस योजना में आच्छादित करने का प्रस्ताव है। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा गुणवत्ता में वृद्धि के लिये जन संचार माध्यमों का सदुपयोग करते हुए कार्यक्रमों का निर्माण कर दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से प्रसारण कराया जा रहा है।

विश्व बैंक की सहायता से संचालित "सभी के लिए शिक्षा परियोजना" के अन्तर्गत जिन विद्यालयों के आयोजनागत पक्ष से आयोजनेत्तर में लिये जाने की प्रतिबद्धता थी उसके लिये पर्याप्त

व्यवस्था करायी जा रही है । जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना द्वितीय के अन्तर्गत 39 जनपदों में योजना का विस्तार किया गया है । जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना तृतीय, जो लगभग 847 करोड़ रुपये की परियोजना है, के अन्तर्गत 38 अतिरिक्त जनपद लिये जा रहे हैं । इस योजना का 15 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत 36.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2000-2001 में की जा रही है । छात्र, अध्यापक अनुपात पूर्ण करने के लिये शिक्षा मित्र योजना लागू की गयी है, जिससे कि प्रति विद्यालय कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था नियमित अध्यापक एवं शिक्षा मित्र की नियुक्ति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

मान्यवर, विगत वर्षों में साक्षरता में यद्यपि उल्लेखनीय वृद्धि हुई है फिर भी यह अभी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और अवस्थापना सुविधा का विकास तथा खोले गये विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त व्यापक जन सहयोग एवं जनान्दोलन के बिना सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । ग्राम पंचायतों को भी अधिक से अधिक इस महा यज्ञ में योगदान देने के लिये प्रेरित किया जाना होगा । इस उद्देश्य से इस वर्ष के आय-व्ययक में प्रत्येक जिले की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किये जाने के लिये एक नयी योजना आरम्भ की गयी है, जिसके लिये नयी मांगों के माध्यम से 1.00 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है । दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत विद्यालयों के भवन निर्माण, पेयजल आदि के लिये सुविधायें उपलब्ध होती थी । ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं और केन्द्र सरकार से ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त इन क्षेत्रों में विशेष सहायता की आशायें हैं, जिसके लिये यथा समय अतिरिक्त बजट व्यवस्था भी करायी जायेगी ।

शिक्षा के क्षेत्र में, मान्यवर, मैं, आपके माध्यम से जन सहयोग एवं जनान्दोलन की अपील करता हूं ताकि सम्पूर्ण साक्षरता का हमारा सपना पूरा हो सके । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध है । देश के स्वर्णिम काल में शिक्षा के विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । गुरुकुल में बिना भेदभाव के छात्र अध्ययन करते थे । मान्यवर, यही कारण था कि जिस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव था उसी क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति होती थी और हमारा गौरवशाली इतिहास दुनिया में इसकी एक मिसाल रहा है । कुछ समय पूर्व तक गंगा-जमुना की इस उपजाऊ भूमि की प्रबुद्ध जनता के सहयोग से ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे महान ज्ञान के स्रोत धरती पर उतारे गये थे । दुर्भाग्य से अब स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिये सरकार पर लगभग शत-प्रतिशत निर्भरता हो गयी है । माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाया जाना अपरिहार्य हो गया है । विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है, जिसका व्यापक लाभ प्राप्त हुआ है ।

प्रदेश में राजकीय तथा सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या 12 है, जो लगभग पूर्णतः राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर हैं वहीं निजी क्षेत्र की भागीदारी के फलस्वरूप प्रदेश में अब इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या 49 हो गयी है । निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के फलस्वरूप अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता 7200 से बढ़कर 10,554 हो गयी है । प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी जहां एक ओर प्रदेश में पर्याप्त सीटें न होने के कारण उच्च तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रहे थे वहीं दूसरी ओर प्रदेश से अरबों रुपये अन्य राज्यों यथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को कैपीटेशन फीस के रूप में पलायन होते थे । प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना से इस क्षेत्र में लगभग 500.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश हो रहा है और प्रदेश की जनता को नये रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके हैं जो बिना निजी क्षेत्र की भागीदारी के कदापि सम्भव नहीं था ।

इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र में 4 मेडिकल कालेज व 7 डेंटल कालेजों की स्थापना के फलस्वरूप अतिरिक्त पूंजी निवेश हुआ है, प्रवेश क्षमता में वृद्धि हुई है, जनता को उपलब्ध शैय्याओं व चिकित्सा सुविधा में भी वृद्धि हुई है तथा साथ ही जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रदेश के कुल 361 असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा समेकित कन्या इण्टर कालेजों के स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी की गयी है। असेवित विकास खण्डों की दूसरी न्याय पंचायतों में कन्या विद्यालयों की स्थापना के लिये वर्ष 2000-2001 में दस करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय को अधिकतम बीस लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महाविद्यालयों की निजी क्षेत्र में स्थापना के लिये दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है ताकि छात्र संख्या में वृद्धि हो सके और रोजगार के नयेअवसर भी जनता को उपलब्ध हो सके। वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में भी शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार लगभग 6300 करोड़ रुपये का प्राविधान कर रही है, जो कुल राजस्व व्यय का लगभग 19.5 प्रतिशत है। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का बढ़ाया जाना, फीस की दरें युक्तियुक्ति किया जाना, निजी प्रबन्ध-तंत्र की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाना आज के समय की मांग है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में समग्र एवं त्वरित विकास के लिये पंचायतों के माध्यम से जन आन्दोलन आरम्भ कर जनता का सहयोग प्राप्त करना, निजी प्रबन्ध तंत्रों की भागीदारी बढ़ाने, धीरे-धीरे यूजर चार्जेज के रूप में फीस को बढ़ाना ही शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार का एक मात्र तरीका है, जिसके लिये हम सबको एकजुट होकर कटिबद्ध होना होगा। सरकार द्वारा शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करा दी गयी हैं, जिनके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये वह कृतसंकल्प है।

(बजट भाषण पढ़े जाने के मध्य नारे लगाये गये)

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य :—

प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु के उद्देश्य की प्राप्ति की निमित्त प्रयासों में और अधिक गुणवत्ता लाने के प्रयोजन से प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में न्यूनतम् आधारभूत चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराना तथा इनकी गुणवत्ता बनाये रखना प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति हजार जनसंख्या 0.5 मलेरिया रोग घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार कुष्ठ रोग की दर घटाने का लक्ष्य 2 प्रति दस हजार रखा गया है तथा राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान 1.58 प्रतिशत दर को घटाकर वर्ष 2002 तक 0.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में विकलांगता को समाप्त करने के लिये 5 वर्ष तक के 3.8 करोड़ बच्चों को पांच चरणों में पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत पोलियो ड्राप पिलायी गयी। इस बार 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्राप के साथ विटामिन "ए" का घोल भी दिया गया।

जनसंख्या नीति :—

वर्ष 1971-80 एवं 1981-1990 के दशकों में प्रदेश की शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर 2.30 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 2.23 से घटकर 2.16 प्रतिशत रह गयी। इसके अतिरिक्त 1995 में प्रदेश की कुल प्रजनन दर 5.1 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 3.5 प्रतिशत थी। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर प्रदेश स्तर पर 85 प्रति हजार और राष्ट्रीय स्तर पर 71 प्रति हजार पायी गयी। यह प्रदेश की अनियंत्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या के परिचायक है। इस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से

पहले से ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परियोजना से प्रदेश के 68 जनपदों को आच्छादित किया गया है। साथ ही सिफ्सा परियोजना, जो प्रदेश के 29 जनपदों में लागू है। अब यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई, 2000 से हेल्थ सिस्टम परियोजना से प्रदेश के अधिकांश जिलों को आच्छादित किया जाय। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता में सीमित परिवार के लाभों के प्रति जागरुकता पैदा की जाय ताकि वे अपने परिवार में वृद्धि को सीमित रखते हुए प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण रखने से सरकार के प्रयासों को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकें। प्रदेश सरकार का लक्ष्य न्यूनाधिक राष्ट्रीय जनसंख्या दर को प्राप्त करना है। ग्राम पंचायतों को भी अधिक से अधिक इस कार्य हेतु प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से इस वर्ष के आय-व्ययक में प्रत्येक जिले की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के लिये एक नई योजना आरम्भ की गयी है, जिसके लिये नई मांगों के माध्यम से एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

स्वास्थ्य सेवाएं :–

राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 1998-1999 में राजकीय एलोपैथी चिकित्सालयों को दवाओं की खरीद के लिये दुगुनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। वित्तीय वर्ष 1999-2000 की भांति वर्ष 2000-2001 में इस वृद्धि को बनाये रखकर लगभग 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था दवाओं के क्रय के लिये की गयी है। यह भी निर्णय लिया जा रहा है कि यूजर चार्जेज में वृद्धि के फलस्वरूप जो भी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी उसका कम से कम 50 प्रतिशत राजकीय चिकित्सालयों में दवाओं की खरीद एवं अनुरक्षण एवं सेवाओं के विकास के लिए दिया जायेगा।

अन्य चिकित्सा पद्धति यथा– आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा तथा होम्योपैथी चिकित्सा में गत वर्ष 1999-2000 में दवाओं की खरीद में वृद्धि नहीं की गयी थी और वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों में भी दवाओं की खरीद के लिये वित्तीय वर्ष 1999-2000 की तुलना में लगभग दुगुना प्राविधान किया जा रहा है। होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद के भवनों के निर्माण हेतु भी 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। गत वर्षों में विभिन्न जनपदों में जिन चिकित्सालयों के निर्माण कार्य आरम्भ किये गये थे, उन्हें पूर्ण कराने के लिए इस वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमान 64.64 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2000-2001 में 98.46 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास :–

कृषि :–

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण राज्य सरकार की इस क्षेत्र के विकास हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग के आय-व्ययक में वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक वित्तीय व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को नई दिशा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। कृषि को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिये कृषि नीति बनायी गयी है।

वर्ष 1999-2000 में खरीफ की फसल में 165.50 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ जो वर्ष 1997-98 में हुए सर्वाधिक उत्पादन 160.02 लाख टन से 3.42 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष चावल का भी रिकार्ड उत्पादन हुआ जो वर्ष 1997-98 के सर्वाधिक उत्पादन से 5.85 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार से 1999-2000 में रबी की फसल में 246 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है।

कृषि के बहुमुखी विकास हेतु एक कृषि विकास निधि की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आरम्भ में पन्द्रह करोड़ रुपये की धनराशि रखी जा रही है।

पश्चिमी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में विकास की नई सम्भावनाओं की खोज एवं नई तकनीकी के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से मोदीपुरम्, जनपद मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये नई मांगों से 10.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जल के अधिकतम सदुपयोग एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सहायता से जलागम प्रबन्ध योजना चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

विश्व बैंक तथा यूरोपियन यूनियन के सहयोग से गत वर्षों में प्रदेश की 8,914 हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में 25,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य है।

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक गांवों में शिक्षित कृषक मित्रों का सहयोग कृषि प्रसार हेतु लिया जायेगा।

कृषि व कृषि सहभागी क्षेत्रों में विविधीकरण को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय व रोजगार-सृजन और आधारभूत ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं, जैसे सम्पर्क मार्गों, हाट-पैठों आदि का विकास करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से "उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना" चलायी जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 5 वर्ष की परियोजना अवधि में लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और 70 जनपदों के लगभग 200 विकास खण्ड लाभान्वित होंगे। इस वर्ष लगभग 4.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया गया है जिससे 96.87 लाख टन के रिकार्ड आलू उत्पादन की सम्भावना है। उपलब्ध भण्डारण क्षमता से आलू स्थानीय तथा दूसरे राज्यों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चावल निर्यातकों को मण्डी शुल्क, व्यापार कर से छूट प्रदान की गयी है। आम, आंवला, सेब तथा आलू उत्पादों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यात नीति बनाई जा रही है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :—

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में औद्यानिकी की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा स्रोत है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता का आर्थिक स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। विभाग द्वारा मुख्य रूप से औद्यानिक फसलें यथा – फल, शाकभाजी, आलू, पुष्प, पान, मेंथा, मसाला, शहद, मशरूम तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से उत्पादित उन्नतशील रोपण सामग्री बीज तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

उन्नतशील पौध रोपण सामग्री के त्वरित उत्पादन हेतु लखनऊ में स्थापित उत्तक संवर्धन इकाई का उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है। विभाग के 103 फल संरक्षण केन्द्रों का उच्चीकरण कर उसे पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी के प्रचार-प्रसार तथा प्रशिक्षण देने योग्य बनाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास :—

प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु अधिकाधिक वित्तीय संसाधन ग्रामीण अंचलों में विनियोजित किये जा रहे हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजनान्तर्गत 5 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 22 लाख परिवारों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत इस वर्ष 71,886 आवासहीन गरीब

परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में 1,90,000 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

जवाहर ग्राम्य समृद्ध योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे । आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1164 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है । इन दोनों योजनाओं की समस्त धनराशि ग्राम्य पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला परिषद् के माध्यम से व्यय की जायेगी, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं क्षेत्रीय जनता की अधिकाधिक भागीदारी बनी रहे । ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 306.32 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

विधायक निधि :—

विधायक निधि की स्थापना वर्ष 1998-99 के अन्तिम त्रैमास में की गयी थी जिसके अन्तर्गत प्रति विधायक क्षेत्र 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी । वर्ष 1999-2000 में इस धनराशि में वृद्धि करके प्रति विधायक क्षेत्र 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी और इसी के अनुसार वर्ष 2000-2001 में भी 267 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

वर्ष 1998-99 में विधायक निधि का वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में सृजन होने के कारण वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाईयां उत्पन्न हुई थी विशेषकर नवसृजित जनपदों में वैयक्तिक लेखा खाता (पी० एल० ए०) खोलने इत्यादि में विलम्ब हुआ था और कई जनपदों में पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं हो सका था । माननीय सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि यह धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । यद्यपि वित्तीय व्यवस्था उसी वित्तीय वर्ष के लिये की जाती है परन्तु वर्ष 1998-99 में योजना के क्रियान्वयन में आयी प्रारम्भिक कठिनाइयों को देखते हुए अपवाद के रूप में यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

पंचायती राज :—

ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से 12 विभागों के चयनित कार्य और 8 विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में कर दिये हैं । इसके अतिरिक्त विकास कार्यों हेतु इस वर्ष ग्राम पंचायतों को कुल 1100 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया है । ग्राम पंचायतों के कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये 6 समितियों का गठन किया गया है और इन समितियों के मध्य कार्य का विभाजन भी कर दिया गया है ।

नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों की समीक्षा सरकार द्वारा की गई और इन्हें जारी रखने का निर्णय लिया गया । लेकिन इन दायित्वों को निभाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव अब ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे ।

प्रदेश में विकेन्द्रीकरण एवं जन सहभागिता की प्रक्रिया के अन्तर्गत विकास कार्य किये जाने का प्रयास आगामी वित्तीय वर्ष में भी सुदृढ़ किया जायेगा । ग्राम पंचायतों में हाट एवं पैठों का उच्चीकरण एवं जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चलाया जाना प्रस्तावित है । आगामी वित्तीय वर्ष में स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 35.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनायें तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व भी पंचायतों को सौंपा गया है । इस प्रयोजन के निमित्त राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर

पंचायतों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल 328 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किया गया है तथा वर्ष 2000-2001 में कुल 398 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

(वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा ।

घोर व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ते रहे ।

श्री उदय राज यादव, रिपोर्टर्स टेबुल पर चढ़कर नारे लगाते रहे ।)

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में लगभग 30 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरुद्ध वर्ष 2000-2001 में लगभग 35 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है तथा वर्ष 2000-2001 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,92,466 व्यक्तिगत शौचालय तथा 476 महिला कॉम्पलेक्स के निर्माण का लक्ष्य है ।

सहकारिता :—

कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को अच्छे बीज, खाद्य एवं कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है । इनकी व्यवस्था करने के लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति राज्य में फैले हुये सहकारिता संगठन द्वारा की जाती है । इसके तहत ''कृषि साख स्थायीकरण निधि'' योजना चलाई जा रही है । राज्य सरकार द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं तथा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड के ऋण पत्रों एवं अंशपूंजी में विनियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ''स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान'' एवं ''ट्राइबल सब प्लान'' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए अंशपूंजी क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है ।

महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में महिला उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन किया गया है । सहकारी कार्यक्रमों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में और अधिक बढ़ोत्तरी में विशेष प्रयास किये जायेंगे ।

सहकारिता की भावना को जनान्दोलन का रूप देने के लिए सहकारी समितियों के गठन एवं उनके संचालन को विशिष्ट महत्व दिया गया है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 में अब तक लगभग 877.75 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है । इस समय समूचे प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर गठित 8,384 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं 60 सहकारी जिला बैंकों की 481 शाखाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है । सहकारी बैंकों की कार्यकुशलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इन बैंकों की जमा क्षमता 80 प्रतिशत है, जबकि व्यावसायिक बैंकों में यह मात्र 32 प्रतिशत है । मिनी बैंकों द्वारा लगभग 67.27 करोड़ रुपये जमा कराये गये हैं ।

दुग्ध विकास एवं पशुधन :—

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में अब तक लगभग 6.86 लाख लीटर प्रति दिवस दुग्ध उपार्जन किया गया, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार 5.46 लाख लीटर प्रति दिवस दुग्ध का विपणन किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है । महिला डेरी परियोजनान्तर्गत 1855 महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन कर 74.81 हजार महिलाओं को सदस्य बनाया गया ।

सघन मिनी डेरी योजना के अन्तर्गत 73 जनपदों को आच्छादित किया गया और 65757 पशु क्रय कर 36267 मिनी डेयरियां स्थापित की गयीं ।

प्रदेश में गोवंशीय पशुओं का वध रोकने, स्वदेशीय पशुओं के संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हेतु "गो-सेवा आयोग" का गठन कर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने का प्रयास किया गया। कुक्कुट विकास को निजी क्षेत्र में विकसित करने के उद्देश्य से दस हजार से कम पक्षी-क्षमता वाले व्यावसायिक लेयर-ब्रायलर प्रक्षेत्रों अथवा हैचरियों की स्थापना हेतु नयी कृषि नीति के अन्तर्गत चयनित करते हुए इसे कृषि की भांति समस्त सुविधायें, विशेषकर विद्युत उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

पशुधन विभाग में पशुओं की नस्ल सुधार, चिकित्सा एवं चारा विकास की योजनाओं पर विशेष बल देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में गाय/भैंसों में प्रजनन सुविधाओं के विकास की योजना हेतु 29.79 करोड़, पशु चिकित्सालयों के निर्माण के लिए 7.74 करोड़ और चारा विकास की योजनाओं हेतु 3.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रेशम विभाग :—

उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 3000 मी० टन कच्चे रेशम की वार्षिक खपत होती है। प्रदेश के 37 जनपदों में रेशम उत्पादन का कार्य किया जा रहा है और लगभग 35 मी० टन रेशम के धागे का उत्पादन होता है। विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 9 जनपदों में 5 वर्ष में कच्चे रेशम का वार्षिक उत्पादन बढ़ाकर 750 टन किया जाना तथा 1.10 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

वन विभाग :—

उत्तर प्रदेश वन विभाग प्रदेश के वृक्षों, वनों, वन्य जन्तु एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पति के संरक्षण, पुनर्वास, रख-रखाव, विस्तार एवं उपयोग के लिए कटिबद्ध है तथा राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य वन नीति, 1998 की घोषणा की जा चुकी है। वनों के अवैध कटान रोकने के लिए अब तक 303 वन माफियाओं को चिन्हित कर उनमें से 225 के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। अवैध पतन के भी 5980 मामले पकड़े गये हैं जिसमें लगभग 91 लाख की लकड़ी जब्त की गयी और लगभग 51.5 लाख प्रतिकर वसूला गया है। विभागीय वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत कुल 50,000 हेक्टेअर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 1999 वर्षात में 53,066 हेक्टेअर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया।

वनों का प्रबन्धन अब पर्यावरण सन्तुलन, भूमि एवं जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण एवं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया जायेगा तथा वन विभाग चरणबद्ध तरीके से यह कार्य ग्रामीणों के सहयोग एवं सहभागिता से करेगा। इस प्रयास में महिलाओं का विशेष योगदान रहेगा एवं विभिन्न सम्बन्धित विभागों की भी इस पावन कार्य में भागीदारी रहेगी। प्रदेश की योजनाओं के साथ-साथ केन्द्र सहायतित योजनाओं एवं विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही वानिकी परियोजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों का वित्त पोषित किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् रोजगारपरक योजनाओं की धनराशि सीधे पंचायतों को जाने के कारण वन विभाग के वृक्षारोपण के लक्ष्यों को पंचायतों से मिली धनराशि के सापेक्ष परिवर्तित किया जायेगा।

समाज कल्याण :—

समाज के कमजोर वर्गों के लिए समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की गयी हैं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन योजना/विधवा पेंशन तथा अनुसूचित एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्यकों व विकलांग व्यक्तियों के सहायतार्थ छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति में केन्द्र सरकार की सहभागिता से नई योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अभी प्रतीक प्राविधान किया जा रहा है।

आपरेशन विजय में शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं माता-पिता को कुल 176 शहीदों के मामलों में 5,000 रुपये तथा 2,500 रुपये की धनराशि प्रत्येक मामले में पेंशन के रूप में दी गयी । प्रत्येक शहीद परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गयी ।

कल्याणकारी योजनाओं में अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी सुविधायें लिये जाने के प्रकरण समय-समय पर प्रकाश में आते रहे हैं, जिससे कि वास्तविक पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाता है और अपात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा लेते हैं । इस प्रकार की योजनाओं से आच्छादित अभ्यर्थियों की सघन जांच की कार्यवाही की गयी है, जिसके फलस्वरूप 45 विद्यालयों की मान्यता निरस्त की गयी, 99 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और लगभग 10 लाख रुपये वसूल किये गये । 94832 अभ्यर्थियों की पेंशन निरस्त की गयी । इस अभियान को और प्रभावी बनाया जायेगा तथा फर्जी पेंशन आदि को निरस्त कर नये लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी । वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है और छात्रवृत्ति की मद से 12 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है । इस प्रकार अतिरिक्त धनराशि प्राविधानित किये जाने तथा अपात्र व्यक्तियों से चयन एवं उनकी सुविधायें निरस्त किये जाने के फलस्वरूप अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा । गम्भीर बीमारी से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों के उपचार के लिए एक नयी योजना चालू की जा रही है । उसके लिए नई मांगों से 5 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

समाज के असहाय, निराश्रित, सुविधाविहीन विशेष रूप से विकलांग वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी और इसी प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं हेतु वर्ष 1999-2000 के सापेक्ष अगले वर्ष आय-व्यय में अधिक व्यवस्था की गयी है ।

अल्प-संख्यकों का सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानों को वर्ष 2000-2001 में बढ़ाया गया है ।

औद्योगिक विकास :—

मान्यवर,

हमारी नई औद्योगिक नीति से राज्य की प्रगतिशीलता परिलक्षित होती है । यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि राज्य द्वारा प्रतिपादित नई औद्योगिक नीति का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया जा रहा है । इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि परिलक्षित होगी और राज्य में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धिदर प्राप्त हो सकेगी । इसके परिणामस्वरूप राज्य के घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का अंश 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003 तक 25 प्रतिशत तक प्राप्त हो सकेगा ।

निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु अच्छा वातावरण, उच्चकोटि की अवस्थापना सुविधायें, सरल कराधान प्रणाली एवं अनावश्यक हस्तक्षेपों से मुक्त सहयोगात्मक एवं निवेशोन्मुखी व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित कर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का अच्छा रख-रखाव हो सकेगा और उद्योगों को उत्तम अवस्थापना सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

हमारा लक्ष्य एक उद्यमशील, रचनात्मक एवं सामाजिक दायित्व से परिपूर्ण निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता का है । इसी क्रम में वृहतर नोएडा क्षेत्र में सीवरेज एवं सफाई व्यवस्था में निजी क्षेत्र की सहभागिता के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

उद्योगों को समस्त प्रकार की सूचना उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से बृहतर नोएडा तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को अपने कार्यकलापों की इन्टरनेट के माध्यम से समस्त सूचना उपलब्ध करायी जा रही है और इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं एवं खातेदारों के लेखों के भी विवरण इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं, जिससे कि एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी ।

प्रदेश में 7 औद्योगिक गलियारे चिन्हित किये गये हैं जहां उच्च स्तर पर अवस्थापना का विकास करके उन्हें उत्कृष्टता का केन्द्र बनाया जायेगा । इन गलियारों की अवस्थापना मैपिंग विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से करा ली गयी है तथा इस आधार पर परियोजनाओं का चिन्हांकन करके क्रियान्वयन की कार्यवाही निजी, संयुक्त अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों में की जायेगी । इन गलियारों के अध्ययन के आधार पर 23 हजार करोड़ रुपये की 68 योजनायें तैयार की गई हैं । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये राज्य की प्रमुख कृषि मण्डियों : सहारनपुर, हापुड़, लखनऊ, इलाहाबाद तथा वाराणसी के निकट कृषि उद्योग पार्क विकसित किये जाने की योजना है ।

राज्य में खनिज सम्पदा के दोहन एवं विकास के लिये आधुनिकतम् तकनीक को बढ़ावा देने के लिये खनिज विकास निधि की स्थापना का प्रस्ताव इस आय-व्ययक में किया गया है । इसी प्रकार फिल्म उद्योग के विकास हेतु एक विस्तृत फिल्म नीति का निर्धारण किया गया है और फिल्म निधि की भी स्थापना की गयी है, जिसके लिये आय-व्ययक में एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

राज्य में औद्योगिक विकास के साथ प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कम्प्यूटर साक्षरता के विस्तार के साथ-साथ साफ्टवेयर के विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी प्रस्तावित है । सूचना प्रौद्योगिकी के ब्यूरो का गठन किया जा रहा है, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यावधिक तकनीकी का प्रचार एवं प्रसार हो सके ।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नये उद्योगों आदि की स्थापना एवं पूंजी निवेश के लिये तीसरी आवश्यकता कुशल जन शक्ति की है और हम गर्व से कह सकते हैं कि कुशल जन शक्ति की इस प्रदेश में कोई कमी नहीं है । इस प्रकार विद्युत की उपलब्धता, बेहतर संचार माध्यम व बेहतर शान्ति व्यवस्था की स्थिति में औद्योगिकीकरण एवं निजी क्षेत्र में अतिरिक्त पूंजी निवेश की आधारभूत आवश्यकताओं को स्थापित किया जा रहा है । अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने के लिये नई मांगों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था कराई गई है ।

अनिवासी भारतीयों तथा प्रदेश के बाहर रहने वाले प्रदेश के मूल निवासियों के सहयोग से भी अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में पूंजीनिवेश के लिये राज्य सरकार प्रयासरत् है, जिसके उत्साहवर्धक प्रारम्भिक संकेत मिले हैं । इस संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष में ठोस प्रयास किये जायेंगे ।

रोजगार सृजन :–

अतिरिक्त पूंजी निवेश एवं विकास की दर बढ़ाने से स्वतः रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक पुनर्संरचना के विभिन्न प्रयासों का लक्ष्य विकास की दर में वृद्धि करना है । शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि होगी । केन्द्र सरकार द्वारा भी बुनियादी क्षेत्र यथा राजमार्ग, विद्युत परियोजनायें, संचार सुविधाओं आदि के क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । शासकीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के स्थान पर बुनियादी सेक्टर में अधिक पूंजी निवेश के फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में औद्योगिकीकरण का वातावरण बनाने के फलस्वरूप अधिक पूंजी निवेश होगा जिसे परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ।

स्वरोजगार के क्षेत्र में अब संगठित क्षेत्रों की तुलना में असंगठित क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं । स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित ग्राम योजना तथा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना संचालित की जा रही है । इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विकास, उद्योग, वन तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा भी स्वरोजगार हेतु योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5.38 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनुमानित है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं में प्राइमरी पाठशालाओं हेतु 22700 बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी है और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शासकीय विभागों के रिक्त पदों पर लगभग 7800 कर्मियों की नियुक्तियाँ की गयी हैं । आर्थिक विकास के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं ।

इस प्रकार राज्य सरकार संगठित व असंगठित क्षेत्रों में अधिक पूंजीनिवेश का वातावरण सृजित कर स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर व सभी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों को एक छतरी के नीचे लाकर आगामी वित्तीय वर्ष में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए प्रयासरत है ।

पर्यटन :–

वर्ष 1998-99 में प्रदेश में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गयी थी और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है । पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटक/यात्री को केन्द्र बिन्दु मानकर पर्यटन विकास, धार्मिक साहसिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन हेतु पर्यटकों को विशेष सुविधा, पर्यटन उद्योग में दक्षता, सामाजिक, आर्थिक लाभ एवं एतद्द्वारा रोजगार के सृजन में वृद्धि, समाज एवं ट्रैवेल ट्रेड की पर्यटन उद्योग में भागीदारी, पर्यटन से जुड़े स्वदेशी भागीदारों को गुणात्मक सेवायें उपलब्ध कराना, प्रदेश के समस्त परिपथों का एकीकृत विकास/विपणन का मास्टर प्लान बनवाना तथा उसका क्रियान्वयन, पर्यटन उत्पादन में विपणन करने का उद्देश्य रखा गया है ।

वर्ष 2000-2001 के पर्यटन उद्योग के लिए नई मांगों से 17.20 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 9.60 करोड़ रुपये विभिन्न पर्यटक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए तथा जनपद मथुरा में बृज चौरासी कोस एवं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन हेतु 5.00 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं । पर्यटकों को परेशानियों से बचाने तथा उनकी सहायता व सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटन पुलिस बल के गठन का निर्णय लिया गया है । इसके लिए पचास लाख रुपये की व्यवस्था नई मांगों से की गई है ।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास :–

प्रदेश के 32 लाख गन्ना उत्पादकों को पेराई सत्र 1998-99 में गन्ने के मूल्य के रूप में देय 3260 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3052.48 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया गया जो कि एक नया कीर्तिमान है । गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1999-2000 में गन्ना किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए गन्ने के मूल्य में 5 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गयी, जिससे गन्ना किसानों को 225 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी । चीनी निगम और सहकारी चीनी मिल की इकाइयों को नकद साख सीमा हेतु पेराई सत्र 1999-2000 के लिए शासकीय गारन्टी दी गयी है ।

चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुल शीरा उत्पादन का केवल 20 प्रतिशत शीरा देशी शराब के लिए आरक्षित किया गया है तथा 80 प्रतिशत शीरा आरक्षण से मुक्त

रखा गया है । चीनी मिलों को अपनी सुविधानुसार खुले बाजार में शीरा बेचने की स्वतंत्रता दी गयी है । प्रदेश में उत्पादित फ्री-सेल शीरा एवं इससे निर्मित अल्कोहल को प्रदेश के बाहर निर्यात करने की सुविधा दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना एवं चीनी उत्पादन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । प्रदेश को स्थायी रूप से चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाये रखने के लिए चार वर्षीय सघन बीज के विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिससे प्रति हेक्टेअर गन्ना उत्पादकता में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही चीनी परते में एक प्रतिशत की वृद्धि होने से देश की उत्तर प्रदेश अधिक चीनी का अंशदान दे सकेगा । अत्यधिक रूग्णता के आधार पर प्रदेश की बन्द होने वाली चीनी मिलों के गन्ना किसानों का हित सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनके गन्ने का व्यावर्तन आस-पास की चीनी मिलों में रखते हुए गन्ने की खरीद की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

प्रशासनिक सेवायें :—

राजस्व प्रशासन :—

राजस्व विभाग प्रशासन का मेरूदण्ड है जो ग्रामीण अंचल में जन सामान्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है । राजस्व प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रदेश में नवसृजित 15 जनपदों तथा 5 मण्डलों को बनाये रखने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । साथ ही विकास खण्ड स्तर तक नायब तहसीलदारों की तैनाती किया जाना प्रस्तावित है ताकि जनता को अपने कार्यों के लिए अधिक दूरी पर न जाना पड़े ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नई मांगों के माध्यम से तहसील भवनों आदि के निर्माण के लिये 9.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है । राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिये दशम वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप ही ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सहायता अलग से सम्भावित है, जिसके लिये यथासमय अतिरिक्त आय-व्ययक व्यवस्था प्रस्तावित की जायेगी ।

पुलिस प्रशासन :—

गत वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार द्वारा कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसके कारण प्रदेश में आम तौर पर शान्ति व्यवस्था अक्षुण्ण रही । साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रहा, जातिगत तनाव में कमी आयी और 3 चरणों में आयोजित लोक सभा चुनावों को अभूतपूर्व शान्तिपूर्ण तरीकों से सम्पन्न कराया गया । जहां देश के विभिन्न प्रदेशों में हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई, वहां इतने बड़े प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनायी रखी गयी जो सभी के लिये गौरव का विषय है ।

आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही के अतिरिक्त पुलिस को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अनावश्यक रूप से नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन न हो । मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं पर सम्बन्धित अधिकारी की गिरफ्तारी, निलम्बन या स्थानान्तरित करने की कार्यवाहियों के अतिरिक्त कई प्रकरणों में सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है ।

माफिया गिरोहों व संगठित अपराधी गिरोहों पर अंकुश लगाने के लिए "स्पेशल टास्क फोर्स" (एस० टी० एफ०) की तर्ज पर जनपदों में "स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप" (एस० ओ० जी०) का गठन किया गया । "स्पेशल टास्क फोर्स" (एस० टी० एफ०) के द्वारा माफिया गिरोहों के विरुद्ध उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किया गया है, इस कारण "स्पेशल टास्क फोर्स" (एस० टी० एफ०) का अब

स्थायी स्वरूप प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक में नई मांगों में "स्पेशल टास्क फोर्स" (एस० टी० एफ०) हेतु 108 पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 84.92 लाख रुपये व्यय होगा।

पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण के लिए नई मांगों के माध्यम से तीन नवीन थाने तथा चार चौकियों का सृजन किया जाना भी प्रस्तावित है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत दंगा निरोधक उपकरण, हल्के शस्त्र, मोटर साइकिल, सुरक्षा व संचार उपकरणों का क्रय किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 2000-2001 वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में लगभग 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के लिए प्रदेश प्रशासन के अभिन्न अंग मजिस्ट्रेसी शाखा के अधिकारियों को भी आवश्यक उपकरणों यथा दूरसंचार उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

खाद्य एवं रसद :—

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों को उसके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य एवं निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के आधार पर प्रति वर्ष प्रदेश सरकार की विपणन शाखा एवं उसके द्वारा नामित क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं की खरीद सीधी किसानों से की जाती है।

खाद्य विभाग द्वारा गत वर्ष रबी एवं खरीफ योजना में खाद्यान्न का क्रय करके भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता था। क्रय किये गये खाद्यान्न की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में किये जाने के पश्चात् खाद्यान्न का मूल्य प्राप्त होने में 15 दिन से लेकर एक माह तक का समय लग जाता था।

वर्ष 1999-2000 से खाद्यान्न की विकेन्द्रीयकृत योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न की मात्रा के अनुरूप खाद्यान्न का भण्डारण खाद्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और इससे अधिक जो खाद्यान्न क्रय होगा उसे ही भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न की मात्रा का भण्डारण स्वयं करने के कारण इसके मूल्य की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम से नहीं हो पायेगी। किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से उधार के लिये 70 करोड़ रुपये की वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अगले वित्तीय वर्ष में 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

सार्वजनिक उद्यम :—

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की स्थापना समय-समय पर विभिन्न उद्देश्यों के लिये की गयी थी जिसमें उचित कीमत पर उत्पाद एवं सुविधायें उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता दूर करना इत्यादि उद्देश्य सम्मिलित हैं। कालान्तर में आर्थिक प्रगति एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण अनेक उपक्रम कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण तथा अन्य विभिन्न कारणों से अर्थक्षम्य (इकनॉमिकली वायबल) नहीं रह गये हैं। कुल 50 उपक्रमों में से कुछ उपक्रम विनियोजन एवं कुल व्यापार (टर्न ओवर) की दृष्टि से काफी छोटे हैं और उनकी उपादेयता अधिक नहीं रह गयी है। इन 50 उपक्रमों द्वारा अब तक लगभग 3250.00 करोड़ रुपये की संचित हानि अर्जित की जा चुकी है।

आर्थिक औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बदले हुए परिवेश में सार्वजनिक उपकरणों/निगमों की पुनर्संरचना/विक्रय/बन्दीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शासन की यह नीति है कि निजी क्षेत्र की दक्षता की सम्भावना एवं कार्यों की वाणिज्यिक प्रगति को देखते हुए शासकीय हस्तक्षेप का इन क्षेत्रों में अब अधिक विस्तार नहीं किया जायेगा। कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया गया है। उद्यमों की शेयरधारिता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विनिवेश आयोग (डायवेस्टमेन्ट कमीशन) गठित किया गया है। संक्षेप में भविष्य में सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकांश पूंजी निवेश केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही भविष्य में किया जायेगा और अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की भूमिका सीमित रखी जायेगी।

प्रशासन तंत्र में सुधार :–

आर्थिक एवं वित्तीय सुधार के व्यापक एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना अत्यन्त अपरिहार्य हो गया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों के लिए जो धनराशि व्यय की जा रही है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की वसूलियां भी नहीं हो रही हैं और यह मनोवृत्ति बन गयी है कि शासकीय ऋण का भुगतान नहीं किया जाना है।

उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवाओं की कार्य करने की शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि गैर सरकारी संगठनों व नागरिकों के साथ बने समीकरणों को बदलें। ऐसी आधुनिक प्रणाली विकसित करें, जिसमें अद्यतन सूचना तकनीकी का प्रभावी प्रयोग हो और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके। साथ ही विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सके। पूरे प्रदेश के प्रशासन में शासन व स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधायन हो और विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय व उनका क्रियान्वयन हो।

विगत वर्षों में शासकीय कार्यों में आधुनिक उपकरणों यथा–फैक्स/कम्प्यूटर आदि का प्रयोग बढ़ा है, जिससे कि सूचना की आदान-प्रदान में तत्परता आयी है, परन्तु प्रशासन में कम्प्यूटरीकरण की गति अभी काफी पीछे है। इस वर्ष के आय-व्ययक में कम्प्यूटरों के क्रय एवं रख-रखाव के लिए तथा स्टेशनरी आदि के क्रय के लिये दो अलग व्यय के नये मद खोले जा रहे हैं। इस वर्ष इन मदों में प्रतीक प्राविधान भी कराया जा रहा है ताकि भविष्य में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि की विभागवार आवश्यकताओं का समुचित आंकलन कर विभाग अपने अनुदानों में इसके लिये अलग से व्यवस्था करा सके।

प्रशासनिक सुधार :–

राज्य सरकार प्रदेश में सुराज्य की ओर अग्रसर है तथा स्वच्छ पारदर्शी संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासक के लिए जन साधारण से सम्बन्धित 18 चयनित विभागों में इन विभागों से सम्बन्धित चार्टर तैयार कर उन्हें प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है।

प्रशासन को नई दिशा देने के लिए एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार लाये जाने के लिये एवं शासन के निर्णय को जन आकांक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी एवं सरल एवं सर्व स्वीकार बनाने तथा निर्णयों में आर्थिक एवं अर्थावधिक इनपुट को सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग में नीति निर्धारण प्रकोष्ठ गठित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कानून/नियम/विनियम/प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे यथावत रखने, संशोधन/निरस्तीकरण पर विचार करने, नये कानून आदि

को प्रतिपादित करने एवं सुसम्बद्ध विषयों पर विचार कर संस्तुति करने के लिए एक विनियमितीकरण समिति का गठन किया गया है, जिसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ।

नियोजन :—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज :—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के विकास हेतु एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद तथा बरेली मण्डल के 23 जनपदों को लिया गया है । इस पैकेज के अन्तर्गत जो 13 कार्य योजनायें प्रस्तावित हैं, जिसके लिये विभिन्न विभागों के द्वारा अपने आय-व्ययक में व्यवस्था की जाती है ।

उत्तर प्रदेश शासन तथा सेन्टर फॉर मानीटरिंग इण्डियन इकानोमी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के मध्य एक अनुबन्ध दिनांक 03 फरवरी, 2000 को किया गया है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन तथा सेन्टर फॉर मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी मिल कर प्रदेश से सम्बन्धित आधारभूत आंकड़ों पर प्रतिमाह एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिनमें वार्षिक संकेतक, कृषि, अवस्थापना सुविधाओं, उद्योग, पूंजीनिवेश तथा जनपदों से प्राप्त सूचना को सम्मिलित किया जायेगा । इस 12 मासिक समीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त कृषि, ऊर्जा, अवस्थापना सुविधा, उद्योग इत्यादि सेक्टरों से सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी । सेन्टर फॉर मानीटरिंग इण्डियन इकानोमी, उत्तर प्रदेश शासन के लिए अनुश्रवण प्रणाली बनायेंगे । ''सेन्टर आफ मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनामी'' (सी० एम० आई० ई०) में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा, ''सेन्टर ऑफ मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनामी'' (सी० एम० आई० ई०) का उत्कृष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त डाटा बेस उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा । इस अनुबन्ध के फलस्वरूप ''सेन्टर ऑफ मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनामी'' (सी० एम० आई० ई०) की गुणवत्ता मानव संसाधन एवं उपस्करों का लाभ प्रदेश को मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के अद्यावधिक एवं परिशुद्ध अभिलेख हमें उपलब्ध होंगे ।

वार्षिक योजना 2000-2001 :—

विशालतम् जनसंख्या वाला हमारा प्रदेश विकास क्रम में आगे बढ़ता जाए, हमारा यही प्रयास है ।

उद्योगों के विकास एवं विस्तार हेतु पर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास, नियमित एवं पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सामाजिक अवस्थापना की पर्याप्तता आदि हेतु उपलब्ध संसाधनों से भरपूर प्रतिफल लेने का हर सम्भव प्रयास किये जाने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है ।

फिर भी प्रदेश सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद यह प्रयास किया गया है कि अगले वर्ष के बजट में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं, बेसिक मिनिमम सर्विसेज से सम्बन्धित योजनाओं, बाह्य वित्त पोषित योजनाओं आदि के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाय ।

वर्ष 2000-2001 के लिए वार्षिक योजना का आकार अभी केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अन्तिम नहीं किया गया है, फिर भी अनन्तिम रूप से वर्ष 2000-2001 आय-व्ययक में 10081.34 करोड़ रुपये का परिव्यय आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित किया गया है, जिसमें उत्तरांचल क्षेत्र की उपयोजना तथा बाह्य सहायतित परियोजनायें सम्मिलित हैं ।

वार्षिक योजना के जिला अंश जिसे सामान्यतया जिला सेक्टर की योजना कहते हैं, के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति पूर्ववत् कार्यरत रहेगी ।

उत्तरांचल विकास :–

उत्तरांचल क्षेत्र का प्रदेश में एक विशेष स्थान है एवं इस क्षेत्र का देश के पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराचंल क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण का अंश रहता है। उत्तरांचल क्षेत्र के लिए नई मांगों के माध्यम से 55 नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक योजनायें सम्मिलित हैं। उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटन की भी अपार सम्भावनायें है एवं पर्यटन के विकास के लिए तथा उत्तरांचल स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री धामों के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना सम्मिलित है। उत्तरांचल क्षेत्र के लिए नई मांगों के माध्यम से लगभग 150.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

नई मांगों से शिक्षा, पर्यटन इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सामान्य प्रकार की योजनाओं के अतिरिक्त देवी आपदाओं के सम्बन्ध में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना, भू-स्खलन के सम्बन्ध में मुख्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रक एवं उपचार कार्यक्रमों का सम्पादन, वन पंचायतों का गठन एवं उनके माध्यम से वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्य, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, जनपद उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल का विकास तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मुख्य यात्रा धामों के विकास की योजनाएं प्रमुख हैं।

टिहरी बांध से प्रभावित गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए टिहरी जल विद्युत निगम के द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में 25.00 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके लिए आय-व्ययक में नई मांगों के माध्यम से इतनी ही धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्त मंत्री जी का बजट भाषण जारी रहा।

क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु दो निधियों की स्थापना :–

प्रदेश के पिछड़ेपन एवं अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना की गयी है, जिसमें क्रमशः 28 जनपद एवं 7 जनपद सम्मिलित हैं। वर्ष 2000-2001 में पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिए क्रमशः 150.00 करोड़ रुपये तथा 50.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग :–

मान्यवर,

संविधान के तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधन के अन्तर्गत राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन 23 अप्रैल, 1994 को किया गया था। इस आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण पंचायतों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां दी थीं। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर संस्तुतियों को मान लिया गया। इन संस्तुतियों की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त हो रही है। राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2001 से पांच वर्ष की अवधि के लिए संस्तुति करने हेतु श्री टी०एन०धर, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन से शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थायें वित्तीय रूप से स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर होंगी तथा संवैधानिक तीसरे स्तर के शासन के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

वर्ष 2000-2001 के बजट का वित्तीय विवरण :—

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा ।

प्राप्तियां :—

- वर्ष 2000-2001 में 46215.02 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में 27038.62 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 19176.40 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं ।
- वर्ष 2000-2001 की राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 19.40 प्रतिशत अधिक है ।
- वर्ष 2000-2001 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 16887.43 करोड़ रुपये है । इसमें आय कर में राज्य का अंश 3486.27 करोड़ रुपये सम्मिलित है । यह प्राप्तियां गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 12.37 प्रतिशत अधिक है ।

(घोर व्यवधान होते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने आसन पर जायें ।

(घोर व्यवधान के मध्य बजट भाषण जारी रहा)

(वित्त मंत्री के बजट भाषण के मध्य । बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

व्यय :—

- वर्ष 2000-2001 में कुल व्यय 49935.04 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 11.92 प्रतिशत अधिक है ।
- कुल व्यय में 32923.78 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 17011.26 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2000-2001 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से मात्र 7.71 प्रतिशत अधिक है ।
- वर्ष 2000-2001 में पूंजीगत व्यय 4129.54 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 62.30 प्रतिशत अधिक है जिसे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ।
- पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999-2000 में आयोजनागत व्यय 8938.67 करोड़ रुपये सम्भावित है । इसके विपरीत वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक अनुमान में 11397.90 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ।

समेकित निधि का घाटा :—

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2000-2001 में घाटा 3720.02 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह घाटा 3421.60 करोड़ रुपये था । इस प्रकार समेकित निधि के घाटे में 298.42 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है ।

लोक-लेखा से समायोजन :–

वर्ष 2000-2001 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 3210.41 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे जबकि वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार लोक-लेखा से 3521.64 करोड़ रुपये समायोजित किये गये ।

अन्तिम शेष :–

वर्ष 2000-2001 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध घाटा 1128.48 करोड़ रुपये होना अनुमानित है । इस घाटे को भी व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

यह भी उल्लेखनीय है कि दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार को केन्द्रीय करों के अंश के अतिरिक्त अनुदान के रूप में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अनुदान प्राप्त होता रहा है जिसमें से सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत राजस्व एवं पुलिस विभाग के भवनों का निर्माण व आधुनिकीकरण आदि के लिए भी सहायता प्राप्त होती रही है । स्कूलों के भवनों तथा पंचायतों को भी सहायता प्राप्त होती रही है । इस वर्ष ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य का भ्रमण किया गया था तथा राज्य सरकार के पक्ष को विस्तार से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । आशा है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में काफी अधिक धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी और जिन-जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी उन क्षेत्रों में यथासमय आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

मान्यवर,

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया था कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए शासन पद्धति में मूलभूत सुधार किये जाने आवश्यक हैं । इसके लिए निम्न क्षेत्रों में सुधार के लिए नीतियां प्रतिपादित की गयी है :–

1. मध्यकालीन वित्तीय सुधार नीति ।
2. वित्तीय प्रबन्ध एवं उत्तरदायित्व व्यवस्था सुदृढ़ीकरण नीति ।

इन नीतियों का विस्तृत विवरण बजट साहित्य के खण्ड-2 भाग-1 में उपलब्ध है ।

मान्यवर,

इस विशाल प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों से कृपापूर्ण सहयोग, सहायता एवं सहभागिता की आकांक्षा करता हूं तथा यह भी आशा करता हूं कि हमें सदन के सभी माननीय सम्मानित सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

मैं प्रदेश की जनता, उसके प्रतिनिधियों, प्रशासनिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में लगे कर्मियों से अपील करता हूं कि **वह जापान के इस उद्घोष को अंगीकार करें कि हम उपयोग करते हैं तो कर देंगे क्यों नहीं, हम वेतन लेते हैं तो काम करेंगे क्यों नहीं** । जापान की जनता ने यह उद्घोष उस समय किया था जबकि जापान दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से ध्वस्त और बर्बाद हो गया था और पांच वर्षों की अल्पावधि में संसार के बड़े देशों की कतार में खड़ा हो गया ।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इस सहस्त्राब्दि का प्रथम आय-व्ययक प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया है । मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों का भी मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । वित्त विभाग के अन्य

अधिकारियों/कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से बजट शीघ्र तैयार कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजकीय मुद्रणालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अन्त में,

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्॥

के संकल्प के साथ मैं इस विशाल प्रदेश में जन-जन के सम्पूर्ण विकास, सम्पूर्ण सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु

(व्यवधान के मध्य)

वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक को उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते हुए रिपोर्टर्स टेबिल पर चढ़कर व्यवधान करते रहे और अनेक सदस्यों ने कागज के गोले बनाकर अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंके।)

श्री अधिष्ठाता–

मा० वित्त मंत्री।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग के लिए लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

लेखानुदान प्रस्ताव की प्रतियां बांट दी जांय।

(प्रस्ताव की प्रतियां बांटी गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के माह अप्रैल, मई तथा जून, 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 27 मार्च, 2000 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-6 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 92,31, 14, 96,000 रुपये से अधिक न हो पर विचार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्ताव की प्रतियां बांट दी जांय।

(प्रस्ताव की प्रतियां सदस्यों को बांटी गयीं)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के माह अप्रैल मई तथा जून, 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 27 मार्च, 2000 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-6 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 92,31,14,96,000 रुपये से अधिक न हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

दिनांक 28-3-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड-2 से खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000

01 अप्रैल, 2000 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2000 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि मे से वर्ष 2000-2001 के लिये 14097,46,33,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2000 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के संबंध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी गयी धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 14097,46,33,000 रुपये (चौदह हजार सत्तानब्बे करोड़ छियालिस लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	67596	3	67599
		पूंजी :	2591	—	2591
02	आवास विभाग	राजस्व :	76386	169750	246136
		पूंजी :	428956	118125	547081

1	2			3	
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	102867	50	102917
		पूंजी :	17826	–	17826
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	23879	13	23892
		पूंजी :	–	–	–
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	64052	–	64052
		पूंजी :	–	–	–
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	66296	75	66371
		पूंजी :	3750	143	3893
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	2676	1625	4301
		पूंजी :	590075	2175	592250
08	उद्योग विभाग (मुद्रण और लेखन सामग्री)	राजस्व :	144921	–	144921
		पूंजी :	442	–	442
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	23085	800	23885
		पूंजी :	6169150	–	6169150
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	206620	951	207571
		पूंजी :	8250	–	8250
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2500140	3	2500143
		पूंजी :	776280	–	776280
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	160573	–	160573
		पूंजी :	–	–	
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	4387142	300	4387442
		पूंजी :	1	–	1
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	2800130	5	2800135
		पूंजी :	22514	–	22514
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	435788	25	435813
		पूंजी :	29233	–	29233
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	49821	1	49822
		पूंजी :	15825	–	15825
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	60292	1	60293
		पूंजी :	–	–	–

1	2			3	
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	81238	78233	159471
		पूंजी :	1630425	98875	1729300
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	10819	–	10819
		पूंजी :	–	–	–
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व :	2177	43375	45552
		पूंजी :	–	–	–
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	247564	12521	260085
		पूंजी :	602361	2827513	8851124
22	खेल विभाग	राजस्व :	40596	–	40596
		पूंजी :	4361	–	4361
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	166388	705	167093
		पूंजी :	–	554	554
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	39922	40003	79925
		पूंजी :	–	20000	20000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	264465	200	264665
		पूंजी :	17500	–	17500
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	5415459	1678	5417137
		पूंजी :	62518	950	63468
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	324654	–	324654
		पूंजी :	–	–	–
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	172434	–	172434
		पूंजी :	–	–	–
* 29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	–	7473	7473
		पूंजी :	–	–	–
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	3114	–	3114
		पूंजी :	–	–	–
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	434198	6	434204
		पूंजी :	125000	–	125000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1577483	125	1577608
		पूंजी :	246158	–	246158

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	292231	–	292231
		पूंजी :	1250	–	1250
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	127356	6	127362
		पूंजी :	15000	–	15000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	679653	44	679697
		पूंजी :	–	–	–
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	382877	125	383002
		पूंजी :	1	–	1
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1033577	–	1033577
		पूंजी :	500000	–	500000
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	15803	–	15803
		पूंजी :	135	–	135
39	भाषा विभाग	राजस्व :	8842	–	8842
		पूंजी :	–	–	–
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	587608	–	587608
		पूंजी :	500001	–	500001
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	53332	–	53332
		पूंजी :	–	–	–
42	न्याय विभाग	राजस्व :	650262	99143	749405
		पूंजी :	45000	–	45000
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	75860	3	75863
		पूंजी :	–	–	–
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	28104	–	28104
		पूंजी :	97310	–	97310
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	527757	–	527757
		पूंजी :	190000	–	190000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	1116839	–	1116839
		पूंजी :	–	–	–
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	303790	18776	322566
		पूंजी :	13000	–	13000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	429278	44	429322
		पूंजी :	18756	–	18756
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	803676	–	803676
		पूंजी :	–	–	–
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	435956	9	435965
		पूंजी :	64923	–	64923
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व :	609706	602050	1211756
		पूंजी :	–	–	–
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1646364	3434	1649798
		पूंजी :	566	263	829
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	174	–	174
		पूंजी :	25	–	25
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	993345	100	993445
		पूंजी :	–	–	–
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	68518	3689	72207
		पूंजी :	70050	25	70075
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	2606476	125	2606601
		पूंजी :	2731559	–	2731559
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	71747	–	71747
		पूंजी :	3749	–	3749
60	वन विभाग	राजस्व :	727086	130	727216
		पूंजी :	2250	–	2250
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय	राजस्व :	4743845	19745673	24489518
		पूंजी :	136000	22356384	22492384
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	5315890	2884	5318774
		पूंजी :	500000	–	500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	148179	125	148304
		पूंजी :	–	–	–
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व :	2531	–	2531
		पूंजी :	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	:	144292	–	144292
		पूंजी	:		–	–
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	:	1923	282090	284013
		पूंजी	:	–	–	–
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	:	20933	547	21480
		पूंजी	:	–	–	–
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	:	59904	1162	61066
		पूंजी	:	–	–	–
69	विधायी एवं संसदीय-कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	:	–	–	–
		पूंजी	:	3125	–	3125
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	:	50818	–	50818
		पूंजी	:	237500	–	237500
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	:	7801755	730809	853564
		पूंजी	:	5353	–	5353
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	:	4517748	390001	4907749
		पूंजी	:	19457	–	19457
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	:	1066140	17500	1083640
		पूंजी	:	22750	–	22750
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	:	149440	5	149445
		पूंजी	:	–	–	–
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	:	179266	–	179266
		पूंजी	:	–	–	–
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	:	218752	–	218752
		पूंजी	:	6956	–	6956
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	:	365987	1	365988
		पूंजी	:	–	–	–
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	:	173883	–	173883
		पूंजी	:	12597	–	12597
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	:	1655629	–	1655629
		पूंजी	:	50001	–	50001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	28959	3	28962
		पूंजी :	3100	–	3100
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	26948	637	28585
		पूंजी :	–	–	–
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	741	–	741
		पूंजी :	–	–	–
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	2533	–	2533
		पूंजी :	–	–	–
86	सूचना विभाग	राजस्व :	73062	–	73062
		पूंजी :	13	–	13
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	37732	1	37733
		पूंजी :	–	–	–
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	4091	1	4092
		पूंजी :	6195	–	6195
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व :	344533	276	344809
		पूंजी :	3353	–	3353
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	14900	–	14900
		पूंजी :	–	–	–
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	83118	3	83121
		पूंजी :	26	–	26
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	35477	1	35478
		पूंजी :	3236	–	3236
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	785019	–	785019
		पूंजी :	287023	–	287023
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	562707	974195	1536902
		पूंजी :	3771759	5025	3776784
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व :	2024734	169	2024903
		पूंजी :	1944550	423	1944973
		योग :	64870461	23232682	88103143
			27441035	25430455	52871490
			92311496	48663137	140974633

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे । श्री उदयराज यादव एवं श्री राम विशुन आजाद द्वारा अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, कई सदस्य कागज के टुकड़े फेंक रहे थे ।)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2000 पारित किया जाए ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को, ''भारत का सविधान'' के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय द्वारा भेजे गये सन्देश, भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 12012/5/98-एस०आर०, दिनांक 7 फरवरी, 2000, पत्र संख्या 12012/5/99-एस० आर०, दिनांक 13 मार्च, 2000 तथा संख्या 12012/5/99,-एस० आर०, दिनांक 13 मार्च, 2000 के साथ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा अभिशासन और सार्वजनिक उद्यमों में सुधार हेतु शासन द्वारा बनाई गई तीन नीतियों के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 11, 12, 13 में कुछ नहीं है, मद संख्या–14 ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री रामजग–

मान्यवर, सदन में उपस्थिति की संख्या कृपया देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

कोरम पूरा है, संख्या देख ली है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया इसे हो जाने दें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं वक्तव्य पढ़े देता हूं । "शासन द्वारा लोक सेवा.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा मान लेते हैं, पटल पर रखवा देते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पटल पर रखवा दिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह पहले बंटवाया जाता है । न बंटने की कोई वजह तो पता लगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुरोध किया माननीय मंत्री जी से कि पटल में यह रखवा दें प्रतियां रख दी गयीं ।

मैं यहीं बंटवा देता हूं । मैंने सोचा कि प्रतियां प्राप्त हो गयी हैं माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये पटल पर रखवा देता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, नियम 110 में प्रस्ताव है, इसको टेक-अप कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

उस पर व्यवस्था दे दी है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बंट रही हैं, माननीय सदस्य अनुमति दें तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब तक इसे पढ़ दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है । सदन की जितनी समय की क्षति हो रही है उसकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री जी की है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी गयी हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[अभिशासन और सार्वजनिक उद्यमों में सुधार के लिये तीन नीतियां बनाई गयी हैं । संक्षेप में इन तीनों का उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं ।

लोक सेवायें राज्य में शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं । नियोजन युग के प्रारम्भ के साथ ही उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, सामुदायिक विकास और ग्राम्य विकास के क्षेत्र में नई पहल के साथ अग्रणी स्थान प्राप्त किया है । उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण एवं गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बदलते परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि लोक सेवाओं में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने की प्रतिसंवेदी क्षमता शासन तंत्र में विकसित हो सके । लोक सेवा सुधार नीति की संरचना इस उद्देश्य के निमित्त की गयी है ।

राज्य स्तर पर प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन के माध्यम से आर्थिक प्रगति एवं समतामूलक समाज का सृजन सम्भव है । अवस्थापना में सुधार तथा बढ़ते हुए वित्तीय घाटे को कम करने की दृष्टि से अभिशासन की गुणवत्ता व संस्थाओं की दक्षता को बढ़ाने के लिये अभिशासन में सुधार की नीति बनाई गई है । इसमें प्रशासन की भूमिका का पुनर्परिभाषन विशेषतः विनियोजन तथा नियंत्रण, प्रशासन को और अधिक पारदर्शी एवं जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनाना, अभिशासन में गैर सरकारी संस्थाओं की समुचित जन भागीदारी तथा वित्तीय प्रबन्धन में सुधारों के एकीकरण के द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्वता में वृद्धि लाना मुख्य रूप से समाहित है ।

सार्वजनिक उद्यमों को अपने कार्यकलापों को सुधारने तथा उन्हें बदलते आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढालने एवं अनुत्पादक कार्यकलापों से मुक्त होने के निमित्त प्रदेश की सार्वजनिक उद्यम नीति की संरचना की गयी है । उद्यमों में पुनर्संरचना, विनिवेश, निजीकरण तथा कार्यकलाप बन्द करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित दर पर उचित स्तर की सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं ।

इन तीनों नीतियों के नीति पत्र मैं माननीय सदन के सम्मुख रखता हूं ।]

नेता विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव को नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से लाने की मांग (क्रमागत)

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने जिस कक्ष की बात का स्मरण दिलाया है, वहां पर मेरी जितनी जानकारी है कोई एक राय नहीं बनी थी अनुरोध किया गया था कि 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव में चर्चा करा ली जाये ताकि उसमें मतदान हो सके । सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी केवल चर्चा के लिये सहमत थे, गतिरोध तो आपके चेम्बर में भी था । अगर एक राय बनी होती तो विपक्ष के सारे सदस्य उसको मानते । मान्यवर, आपसे अनुरोध है और बारम्बार आपसे अनुरोध है कि 110 के अन्तर्गत

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसकी चर्चा करायें जिसके तहत इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है माननीय नेता विरोधी दल और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा ताकि इसमें मतदान हो सके और यहां यह स्पष्ट हो सके कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सदन के बाहर क्या बोलते हैं और अन्दर क्या बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन इसके लिए नहीं है कि कौन बाहर क्या बोलता है और अन्दर क्या बोलता है।

(व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति यह थी कि नियम 56 भी न लिया जाय लेकिन फिर भी आप सब के अनुरोध को स्वीकारते हुए नियम 311 के अन्दर जिस प्रस्ताव को माननीय मौर्य जी ने प्रस्तुत किया यद्यपि उसकी अनुज्ञा मैंने नहीं दी थी, मैंने सोचा उस पर चर्चा करा देता हूं आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अपने विचार व्यक्त कर दीजिए। मैं समझता हूं कि 2 घंटा इसके लिये पर्याप्त है। कभी कभी पीठ की तरफ से अप्रिय व्यवस्था दी जाती है और वह स्वीकार नहीं है तो चर्चा कराने का क्या औचित्य है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा० बरखू राम वर्मा जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है मा० स्वामी प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया है, मा० नेता विरोधी दल ने स्पष्ट कर दिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वस्तुतः यह विधेयक पारित हो गया और उस समय आप लोगों नें सदन का बहिर्गमन कर दिया और कुछ लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि इसको निरसित करें तो इसकी एक प्रक्रिया है। (व्यवधान)

(अनेक विपक्षी सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसका मतलब यह है कि विरोध के लिये यह चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं।

मैंने आपकी बात मान ली है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी आपने व्यवस्था देते हुए यह बात कही है कि कुछ लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया और कुछ लोगों ने बहिर्गमन कर दिया मान्यवर, अगर नियम 110 में इस पर चर्चा करा लेते हैं तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस दल ने विरोध नहीं किया है और किस दल ने भाग नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर चर्चा प्रारम्भ करना चाहते हैं तो माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वह चर्चा प्रारम्भ करें। प्रस्ताव के रूप में नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को देखते हुए इस विषय पर चर्चा हो, अगर चर्चा प्रारम्भ करें तो ठीक है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं केवल आपकी अनुमति से उस नियम को पढ़ देना चाहता हूं जिस नियम के अन्तर्गत यहां प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। मान्यवर, यह नियमावली के नियम 110 बिना सूचना के प्रस्ताव–निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें–बिना सूचना के किये जा सकेंगे संवेदना या बधाई प्रस्ताव, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव, समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, किसी विधेयक या संकल्प का प्रस्ताव या उस पर संशोधन को

वापस लेने का प्रस्ताव, किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, वाद विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव, किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव । यह वह स्थितियां हैं जिन पर नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाया जा सकता है । नियम 110 में सुस्पष्ट प्राविधान है । अब आप कह रहे हैं कि कोई विधेयक यहां से पारित हो गया अब उसको निरसित करने का या वापिसी का प्रस्ताव को यहां ले आये तो नियम 110 में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है । अगर इस सदन को नियमावली से संचालित करना है तो उसको देखना है कि उसके अन्तर्गत यह प्रस्ताव आ सकता है या नहीं । मेरा आपसे आग्रह यह है कि नियमों का दुरुपयोग न किया जाय । मैं आपसे यही चाहता हूं कि नियम 110 में कोई प्राविधान इस प्रकार के प्रस्ताव को लेने का नहीं है, इसलिये इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुज्ञा दी ही नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 16 अक्टूबर, 1952 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर संशोधन विधेयक पर माननीय राज नारायण जी ने बोलना चाहा था, तब पीठ से व्यवस्था दी गयी थी, मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि इस सदन में एक्ट पास हो चुका है । जिस सिद्धान्त को सदन स्वीकार कर चुका है, स्वीकार कर लिये जाने के बाद कोई बात नहीं होनी चाहिए । यह 16 अक्टूबर, 1952 का इस पीठ का निर्णय है और उसके बाद भी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य नियमावली का उदाहरण देते हुए, गलत तरीके से इस विषय को लाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करा लीजिये । यह चर्चा करना भी नहीं चाहते, इनको केवल छपास रोग है, यह उससे पीड़ित हैं । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब एक विधेयक पास होकर जा चुका है तो उस पर सदन चर्चा नहीं कर सकता और ऐसा करना नियमों, परम्पराओं और पीठ के पूर्व निर्णयों का शायद उल्लंघन होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, नियम 111 देखिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

110 में उपबंधित अवस्था को छोड़कर किसी प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और सचिव को सम्बोधित होगी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 111 देखिये । प्रस्ताव की पुनरावृत्ति, यदि कोई प्रस्ताव लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो । यह निस्तीर्ण हो चुका है, इसलिये 6 महीने के अन्दर इसे नहीं ला सकते ।

श्री बी० आर० वर्मा–

नियम 110 में लिखा है, अभी बाजपेयी जी कह रहे थे कि नियम बाधित हो रहा है । विधेयक पारित हो गया है लेकिन पारित होने के बाद भी यह विधेयक की शक्ल में है , अधिनियम नहीं बना है, एक्ट का रूप धारण नहीं कर सका है । यह कहां लिखा है कि इस पर चर्चा नहीं कर सकते, इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते या संशोधन वापस नहीं ले सकते । इसमें स्पष्ट है, 110 (5) में आप देखें–किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव, यह सब चीजें

अलग-अलग हैं . इसकी अनुमति 110 में है, इसलिये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 23 तारीख को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसकी आपने अनुमति दी है, अगर आपने अनुमति न दी होती.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्पष्ट किया कि मैंने अनुज्ञा नहीं दी थी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह विधान सभा की कार्यवाही में अंकित न होता ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने देख लिया है उसे । पहले अनुज्ञा मांगी जाती है, कि मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं । मैंने अनुज्ञा नहीं दी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सदन की परिसम्पत्ति बन चुका है, अब यह केवल हां न करके ही समाप्त हो सकता है । प्रस्ताव लिखा है जो इस सदन की परिसम्पत्ति बन चुका है और 23 तारीख की कार्यवाही में अंकित है ।

श्री अध्यक्ष–

जब कोई विधेयक इस सदन के अन्दर प्रस्तुत होता है और उसके बाद उस पर विचार किया जाता है कि उसका पारण हो, पारण करने का प्रस्ताव आता है कि विचार किया जाए, इस दृष्टि से देखें नियम–111, अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर यदि कोई प्रस्ताव लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो तो यथास्थिति प्रस्ताव के लम्बनकाल में अथवा उसके निस्तारण की तिथि से 6 महीने के भीतर कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसमें सारतः वही वाद-विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व प्रस्ताव में अन्तर्निहित था, तो पूर्व प्रस्ताव में क्या अन्तर्निहित था, वही तो आज आप चर्चा कराना चाहते हैं, इसलिए यह प्रस्ताव बाधित है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप जो कह रहे हैं इससे तो आप हमारी बात को बल दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है, इसमें अनुज्ञा नहीं दी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम उस प्रस्ताव को कहां ला रहे हैं ? हम तो उस पर संशोधन ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप उस पर संशोधन कहां से ले आयेंगे जो पारित हो चुका है ? यदि चर्चा प्रारम्भ करना चाहें तो चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब आप चर्चा करा ही रहे हैं तो नियम–110 पर करा लीजिए । अगर 110 पर मत विभाजन हो जाए तो यह सरकार अल्पमत में आ जायेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन सारी बातों से हटकर केवल एक बात कहना चाहता हूं जो मेरा पूर्व प्रस्ताव नियम–110(5) के अन्तर्गत दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुज्ञा नहीं दी है ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, यह काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की अवहेलना करके लायी है ।

श्री नीरज चतुर्वेदी–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी ने उस समय भी इसका घोर विरोध किया था । हमारे साथी भी उस समय सदन को छोड़कर चले गये थे । वह आज हमारे विचारों का समर्थन करते हुए सदन में संघर्ष कर रहे हैं । मान्यवर, मैं जन भावनाओं का स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज भी जन भावनाओं का स्वागत करिये और इस काले कानून को वापस करवायें । इसमें जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार कहीं पर मजार बनाने में भी आपत्ति है, शिक्षा संस्थाओं, चाहे मदरसे हों या मकतब हों उनकी इमारत बनाने की भी अनुमति नहीं है ।

श्री नीरज चतुर्वेदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो विषय महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष विचाराधीन है क्या उस पर सदन में चर्चा की जा सकती है ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आपने अनुमति नहीं दी है उसके बावजूद भी यह टोका टाकी कर रहे हैं । श्रीमन् मैंने यह प्रस्ताव किया है और आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है । अगर कोई बात होगी तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अरविंद जैन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, आप पहले सदन को शांत करायें । यह कोई तरीका नहीं है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइये । विपक्ष की ओर से दो अनुरोध आये थे । एक अनुरोध माननीय मौर्य जी का था, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मैंने कहा कि मेरी अनुज्ञा नहीं है । एक प्रस्ताव आज नियम 311 में माननीय नेता विपक्ष की ओर से आया । मैंने सभी विपक्ष के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उस समय भी कहा था और इस समय भी कह रहा हूं, कि उस विषय पर चर्चा करना चाहें तो कर लें । प्रस्ताव की अनुज्ञा उस दिन भी नहीं दी थी और आज भी नहीं है । विपक्ष अपनी बात कहना चाहें तो चर्चा के माध्यम से कह लें, घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे का समय निर्धारित कर सकता हूं लेकिन तकनीकी बातों पर जायेंगे तो तकनीकी बाधाएं बहुत हैं । इधर से आपत्ति हो रही है और उधर से भी आपत्ति हो रही है । तकनीकी आपत्तियों के निस्तारण में सारा समय व्यतीत हो जाएगा । माननीय नेता विरोधी दल ने नियम 311 की सूचना दी है तो चर्चा कराने के लिये मैं तत्पर हूं । चर्चा प्रारम्भ करें अन्यथा मैं सदन को स्थगित कर दूंगा इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह आपका अधिकार है और आपकी जिद है । आपने कहा था कि संगत नियमों के अन्तर्गत दे दीजिये चर्चा करा देंगे । आपने समय भी निर्धारित कर दिया तो मेरा अनुरोध है कि चर्चा कराइये ।

श्री अध्यक्ष–

आप चर्चा करिये ।

श्री दुनियाद हुसैन अंसारी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । मैंने पहले ही कह दिया था कि जो वेल में आये हैं उनको चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं दूंगा ।

(शोर)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी संकल्प का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–15 को मैं 30 मार्च तक के लिये स्थगित कर रहा हूं ।

(अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर बोलने लगे–शोर)

नेता, विरोधी दल द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जायं" सम्बन्धी प्रस्ताव को नियम 311 के माध्यम से उठाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

मैं देख रहा हूं कि चर्चा प्रारम्भ करने के बजाय हंगामें में ज्यादा रुचि है । माननीय नेता विपक्ष, कृपया चर्चा प्रारम्भ करिये ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री धनीराम वर्मा–

हम नियम 110 के अन्तर्गत ही चर्चा करेंगे क्योंकि उसको आपने संगत नियमों के अन्तर्गत स्वीकार भी किया है और प्रस्ताव पेश भी करवाया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुज्ञा नहीं दी है । अगर आप चर्चा प्रारम्भ करना चाहते हैं तो प्रारम्भ करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप स्मरण करियेगा, आपने कहा था कि संगत नियमों के अन्तर्गत दीजिए । [× × ×] मैंने प्रस्ताव संगत नियमों के अन्तर्गत दी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है इसलिए अनुज्ञा नहीं दी । चर्चा प्रारम्भ करें अन्यथा मैं समझूंगा कि चर्चा में किसी की रुचि नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

जो प्रस्ताव मैंने नियम 110 के अन्तर्गत दिया है और आपने स्वीकार किया है । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि यह सरकार अल्पसंख्यकों को दहशत में डालना चाहती है.....

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

अभी हमने अनुमति नहीं दी है । यह लिखा नहीं जायेगा । मैंने नियम–110 में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी है । इसलिए आपने 311 में जो सूचना दी थी उस पर चर्चा करना चाहें तो करें अन्यथा नहीं ।

श्री धनीराम वर्मा–

जो विधेयक महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया है उसको तुरन्त वापस लिया जाये और उस पर मतदान करवा लिया जाये, यही मेरा निवेदन है ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट एवं श्री अम्बिका चौधरी के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप नियम 110 में चर्चा करायें.....

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, दिनांक 29 मार्च, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 04 मिनट पर बुधवार दिनांक 29 मार्च, 2000 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 27 मार्च, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

संलग्नक–1

उन कारागारों की सूची, जिनमें क्षमता से अधिक बन्दी निरुद्ध हैं।

(दिनांक 31-1-2000 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	कारागार का नाम	क्षमता	निरुद्ध बन्दी	अतिरिक्त बन्दी
1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय कारागार, आगरा	1212	1213	1
2	जिला कारागार, आगरा	880	1039	159
3	जिला कारागार, अलीगढ़	720	1565	845
4	जिला कारागार, एटा	487	576	89
5	जिला कारागार, मैनपुरी	339	389	50
6	जिला कारागार, मथुरा	294	591	297
7	जिला कारागार, झांसी	346	544	198
8	जिला कारागार, उरई	168	426	258
9	जिला कारागार, बांदा	444	730	286
10	जिला कारागार, हमीरपुर	265	392	127
11	जिला कारागार, बरेली	770	1687	917
12	जिला कारागार, बदायूं	674	1185	511
13	जिला कारागार, शाहजहांपुर	464	916	452
14	जिला कारागार, पीलीभीत	146	542	396
15	जिला कारागार, लखनऊ	695	1514	819
16	जिला कारागार, उन्नाव	624	986	362
17	जिला कारागार, हरदोई	396	1061	665
18	जिला कारागार, सीतापुर	642	1410	768
19	जिला कारागार, खीरी	880	1093	213
20	जिला कारागार, कानपुर	1026	1992	966
21	जिला कारागार, इटावा	440	715	275
22	जिला कारागार, फतेहगढ़	615	1004	389
23	जिला कारागार, मुरादाबाद	431	1667	1236
24	जिला कारागार, रामपुर	450	592	142

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
25	जिला कारागार, बिजनौर	314	618	304
26	जिला कारागार, बुलन्दशहर	256	961	705
27	जिला कारागार, गाजियाबाद	660	1679	1019
28	जिला कारागार, सहारनपुर	542	607	65
29	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर	389	1240	851
30	जिला कारागार, पौड़ी	45	115	70
31	जिला कारागार, देहरादून	171	268	97
32	जिला कारागार, फतेहपुर	345	528	183
33	जिला कारागार, प्रतापगढ़	299	403	104
34	जिला कारागार, वाराणसी	523	905	382
35	जिला कारागार, मिर्जापुर	380	437	57
36	जिला कारागार, गोरखपुर	720	741	21
37	जिला कारागार, देवरिया	240	667	427
38	जिला कारागार, बस्ती	270	487	217
39	जिला कारागार, बाराबंकी	385	1187	802
40	जिला कारागार, सुल्तानपुर	366	669	303
41	जिला कारागार, बहराइच	396	657	261
42	जिला कारागार, गोण्डा	543	635	92
43	जिला कारागार, आजमगढ़	236	772	536
44	जिला कारागार, बलिया	260	329	69
45	जिला कारागार, मेरठ	788	1620	832
46	उप कारागार, हल्द्वानी	212	633	421
47	उप कारागार, रुड़की	124	133	9
48	उप कारागार, महोबा	123	159	36
49	उप कारागार, देवबन्द	131	156	25
50	उप कारागार, ज्ञानपुर	150	168	18
	महायोग =	22276	40603	18327

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर)

श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–137 का संलग्नक

1–श्री दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद, निवासी भोगांव, थाना भोगांव ।

2–श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी प्रेमनगर कस्बा बेवर, थाना बेवर ।

3–श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री विजय बहादुर, निवासी न० धरम मा० रामनगर बेवर ।

4–श्री राकेश मिश्रा पुत्र श्री सियाराम मिश्रा, निवासी आंछा, थाना आंछा ।

5–श्री श्याम बाबू पुत्र श्री राजाराम, निवासी सराय थाना आंछा ।

6–श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री मिलाप सिंह, निवासी न० बरी, थाना दलाहार ।

7–श्री सुभाष चन्द्र यादव पुत्र श्री दफेदार सिंह यादव, नि० करहल, थाना करहल ।

8–श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महाराज सिंह, नि० करहल, थाना करहल ।

9–श्री लाखन सिंह पुत्र श्री जयराम, नि० रोपनपुर, थाना कुर्रा ।

10–श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री बाबूराम, नि० गुन्हैय्या, थाना कुर्रा ।

11–श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मोहरमन सिंह, नि० गुन्हैय्या, थाना कुर्रा ।

12–श्री रामस्वरूप पुत्र श्री नयनसुख, नि० रोपनपुर, थाना कुर्रा ।

13–श्री जमादार सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह, नि० जीगनचन्दाई, थाना कुरावली ।

14–श्री हाकिम सिंह पुत्र श्री कन्हई लाल, नि० डिलहा, थाना किशनी ।

15–गिरन्द सिंह पुत्र श्री कन्हई लाल, नि० डिलहा, थाना किशनी ।

16–श्री राम प्रकाश पुत्र श्री पीतमलाल, नि० कछपुरा, थाना किशनी ।

17–श्री संजय कुमार पुत्र श्री रवीकान्त, नि० जागीर, थाना एलाऊ ।

18–श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जमुना प्रसाद, नि० अधार, थाना एलाऊ ।

19–श्री अशोक कुमार पुत्र श्री अतर सिंह यादव, नि० राजाकाबाग, थाना कोतवाली, मैनपुरी।

20–श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री रघुवीर सिंह नि० गनेशपुर, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

21–श्री जगतेन्द्र सिंह पुत्र श्री कढोरी सिंह यादव, नि० पंजाबी कालोनी, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

22–श्री राजूम पुत्र माधोराम, नि० मो० गोवर्धन, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

23–श्री लाखन सिंह पुत्र श्री बाबूराम नि० आगरा रोड, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

24–श्रीमती शीतल यादव पत्नी श्री उत्तम सिंह, नि० खरगजीत नगर, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

25–श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री मातादीन, नि० हिन्दूपुरम् कालोनी, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

26–श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र, नि० शाह आलमपुर, थाना बिछवां, जिला मैनपुरी ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

प्रश्न संख्या–139 के अंश 2 से सम्बन्धित संलग्न सूची

1–शिवराज सिंह पुत्र बाबू सिंह, निवासी किशनपुर, गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

2–दिनेश चन्द्र पुत्र सुरेन्द्र सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी

3–हरबीर सिंह पुत्र नत्थू सिंह, निवासी चिलौसा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

4–उदयवीर सिंह पुत्र नत्थू सिंह, निवासी चिलौसा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

5–नानक चन्द्र पुत्र हरीराम, निवासी मददापुर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

6–सतेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

7–हितेन्द्र उर्फ शम्भू पुत्र प्रकाशभान सिंह, निवासी जी० टी० रोड, बेवर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

8–दीन मोहम्मद पुत्र अमीर खां, निवासी अहमलपुर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

9–रूपलाल पुत्र भजनलाल, निवासी हुसैनपुर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

10–शिशुपाल पुत्र नवाब सिंह, निवासी बराना, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

11–जगवीर सिंह पुत्र छोटे सिंह, निवासी बरान, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

12–शीलू उर्फ शीलेन्द्र सिंह पुत्र रामबहादुर, निवासी घुटारा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

13–श्रीकृष्ण पुत्र उल्फत सिंह, निवासी बरा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

14–बिजेन्द्र उर्फ भल्लू पुत्र सुरेन्द्र सिंह, निवासी किशनपुर, गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(संलग्नक हेतु देखिये अता० प्र० सं०–147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

संक्षिप्त आपराधिक इतिहास

गजराज सिंह पुत्र ईश्वरदेव सिंह सा० कादीहट, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर माफिया सरगना है। इसका गैंग श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, उ० प्र० वाराणसी के पत्र संख्या सीओबी–छः माफिया-आई० डी०–1/98/6/31 दिनांक 25-9-98 द्वारा सूचीबद्ध गैंग हैं। उक्त गैंग में गजराज सिंह के अलावा गजराज सिंह का लड़का आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह भी गैंग का सदस्य है। यह जघन्य अपराध करने में बराबर लिप्त रहता है। इसके गैंग में कुख्यात अपराधी मुन्ना उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ बजरंगी सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह सा० कसेरू (पूरेदयाल) थाना सुरेरी, जौनपुर भी है। अभियुक्त आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह की पत्नी बिन्दु सिंह अपने पति के अपराधिक मनोवृत्ति व जघन्य अपराधों में सतत लिप्त रहने के कारण हमेशा क्षुब्ध रहा करती थी, परन्तु आलम सिंह के व्यवहार व अपराधिक प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। श्रीमती बिन्दु सिंह ने अपने पति के बार- बार संगीन वारदातें, हत्या आदि करके जेल में निरुद्ध रहने के कारण क्षुब्ध होकर दिनांक 20-9-98 को आग लगा कर आत्म हत्या कर लिया। जहां तक पुलिस उत्पीड़न से आत्म हत्या का प्रश्न है यह बिल्कुल ही निराधार व गलत है। मृतका श्रीमती बिन्दु सिंह के पति आलम सिंह द्वारा अब तक किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1-मु० अ०सं०–14/93धारा 147/148/323/504, भा०दं०वि० थाना सुरेरी, जौनपुर पीटी

2-मु०अ०सं०–26/95 धारा 307/427 भा०दं०वि० थाना सुरेरी, जौनपुर एफ० आर०

3–मु०अ०सं०–120/97 धारा 147/148/149/307/504/506 भा०दं०वि० थाना सुरेरी, जौनपुर पीटी।

4–मु० अ० सं०–123/97 धारा 364/323/504/506 भा०दं०वि० थाना सुरेरी, जौनपुर पीटी

5–मु० अ० सं०–69/97 धारा 302 भा०दं०वि० थाना रामपुर, जौनपुर पीटी

6–मु० अ० सं०–319/96 धारा 506 भा०दं०वि० थाना रामपुर, जौनपुर पीटी

7–मु० अ० सं०–70/96धारा 147/148/149/307/302/120 बी भा०दं०वि० थाना रामपुर पीटी

8–मु० अ० सं०–280/95 धारा 504/506 भा०दं०वि० थाना नेवढ़िया, जौनपुर पीटी

9–मु० अ० सं०–105/96 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना नेवढ़िया, जौनपुर पीटी

10–मु० अ० सं०–39/97 धारा 406/384/504/506/427 भा०दं०वि० थाना नेवढ़िया, जौनपुर पीटी।

11–मु० अ० सं०–26/97 धारा 110 सी आर पी सी थाना नेवढ़िया, जौनपुर। पीटी

12–मु० अ० सं०–निल/97 धारा एन० एस० ए०थाना नेवढ़िया, जौनपुर। पीटी

13–मु० अ० सं०–163/97 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सुरेरी, जौनपुर। पीटी

14–मु० अ० सं०–8/98 धारा एन० एस० ए०, थाना फूलपुर, वाराणसी। पीटी

15–मु० अ० सं०–190/97 धारा 147/148/149/302 भा०दं०वि० थाना फूलपुर, वाराणसी। पीटी

16–मु० अ० सं०–63/97 धारा 3उ० प्र० गुण्डा एक्ट थाना नेवढ़िया, जौनपुर।

6 माह हेतु दिनांक 5-7-99 से जिला बदर।

पी०एस०यू०पी०–एल० 201 विधान सभा–(386) 2000-813 (डी०टी०पी०)।